सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

— जनवरी 2020 —

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

- बोडो समझौता
- ब्लू कॉर्नर नोटिस
- वेब पोर्टल गति
- वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट
- Z मोड़ सुरंग
- इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स
- मेसोथेलियोमा
- वंगा नारी
- मेडिसिन बिल, 2019 की भारतीय प्रणाली
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- पूर्वोदय योजना
- वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

राजनीति और शासन

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 1
बोडो समझौता 2
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को हटाने की मंजुरी दी 3
ब्लू कॉर्नर नोटिस 4
विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 4
विवाह का असाध्य रूप से समाप्त होना (इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज) 4
अग्रिम जमानत 5
आकांक्षी जिलों की रैंकिंग 5
कर्नाटक का अंधविश्वास विरोधी कानून 6
आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा तीन राजधानियों संबंधी विधेयक पारित 6
महाराष्ट्र में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य 7
सोशल मीडिया पोस्टिंग एक मौलिक अधिकार है 7
आत्महत्या के लिए उकसाना 8
खनन के पश्चात् क्षेत्र को पुनः हरा–भरा बनाना 8
संपत्ति का अधिकार – एक मानवाधिकार है 8
व्यस्क स्त्री से विवाह करने पर अव्यस्क पुरूष सजा का पात्र नही है 9
लद्दाख को छठी अनुसूचि के क्षेत्र का दर्जा प्राप्त 9
पोलिसिंग की आयुक्त प्रणाली 9
लोकतंत्र सूचकांक (डेमोक्रैक्सी इंडेक्स) 10
दमन, दादरा नागर हवेली एवं दमन एवं दीव की राजधानी घोषित 10
अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का उपवर्गीकरण 11
32 वीं प्रगति बैठक 11
अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक 11
सांसद आदर्श ग्राम योजना 11
तुलू भाषा 12
ब्रु शरणार्थियों के संकटों को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर 12
'भारत में मृत्युदंड' रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रकाशित 13
राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) 13

अर्थव्यवस्था

वेब पोर्टल गति 13
खादी 14
बजट तैयार करने संबंधी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 14
एस डी जी 14
ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 (स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019) 15
भारत की ऊर्जा नीतियों की समीक्षा 15
उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड 16
पचासवाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 17
राष्ट्रीय स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल 18
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट (वैश्विक निवेश प्रवृत्ति पर्यवेक्षण रिपोर्ट) 18
विश्व इकोनॉमिक फोरम के कौषल निर्माण के प्रयास 19
Z मोड़ सुरंग 19
सोने पर हॉल मार्किंग की अनिवार्य शर्तें 19
कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 20
वित्तीय समावेशन के लिए पंचवर्षीय राष्ट्रीय रणनीति 20
ऊर्जा के भविष्य पर बैठक (वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट) 20
ऑपरेशन ट्विस्ट 21
औद्योगिक उत्पादन बढ़ा 21
गवर्नमेंट एंड कांट्रेक्टर ऑपरेटेड (गोको) मॉडल – 21
शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी मर्यादित बैंक 22
दिसंबर 2019 में शीत सत्र में स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत विधेयक 22
भारत के 2026 में जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी... 22
ऊर्ध्वाधर कृषिः कृषि क्षेत्र में मौन क्रांति 22
पहला सौर ऊर्जा प्लांट तथा जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ने की योजना 23
असम इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट परियोजना 23
अपना यूरिया सोना उगले 23
लद्दाखः आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं का विकास 23
देश के बाहर से सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य केंद्रीय..... 23

पर्यावरण

इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स 24
रामसर साइट्स 24
अफ्रीकन चीता को भारत में बसाया जाना 25
पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली 25
कारवार बंदरगाह 25
ऑफिशथस कैलाशचंद्राई 25
ग्रीनपीस रिपोर्ट 26
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 26
1901 के बाद, 2019 सातवां सर्वाधिक उष्ण वर्ष रहा – आई एम डी 27
आर्द्रभूमियों के संरक्षण के नए नियम 27
क्लाइमेट एंड बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर – सीडीपी इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2019 27
भारत ओजोन परत के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक रसायन में से एक के ... 28

विश्व का जलवायु विज्ञान में विश्वास कम, भारतीय जलवायु विज्ञान में 28
चिल्का झील की वार्षिक गणना में 146 डॉल्फिन पाई गई 28
उड़ीसा के घोड़ाहड़ा जलाशय में मगरमच्छों की जनसंख्या बढ़ रही है 28
दक्षता लक्ष्य के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के जल विभागों की रिपोर्ट 28
रेयर स्टेपी ईगल को आंध्रप्रदेश में देखा गया 29
स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने गंगा बेसिन में आद्रभूमियों को संरक्षित किया 29
पृथ्वी की भीतरी कोर लोहे के कणों से बनी बर्फ से आच्छादित है 29
ईंधन संरक्षण के महा अभियान 'सक्षम' का उद्घाटन 30
विश्व की सबसे बड़ी मछलियों में से एक चाइनीस पेडलफिश विलुप्त हो गई 30
केरल मियावाकी विधि की और लौटा 30
मध्यप्रदेश में पहली बार हाथियों को बसाया गया 30
बिहार में अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की शुरुआत 30
मौसम की यलो चेतावनी 31
ऑपरेशन वनीला 31
असम विलुप्तप्रायः प्रजाति हरगिला का प्रजनन कराने वाला प्रथम राज्य बना 31

विज्ञान एवं तकनीक

इसरो का जीसैट 30 सैटेलाइट 32
भारतीय डाटा रिले सेटेलाइट सिस्टम (आइडीआर एसएस) 32
सबसे पुराने ठोस पदार्थ की खोज 33
नया आर्कियां 33
भुवन पंचायत ट 3.0 वेब पोर्टल 33
नासा का स्पाइटज़र मिशन 34
मेसोथेलियोमा 34
नाविक नेवीगेशन इन इंडियन कांस्टेलेशन 34
पॉलीक्रेक टेक्नोलॉजी 34
पृथ्वी के आकार का ग्रह 35
लीगो द्वारा न्यूट्रॉन स्टार की भिड़ंत को देखा गया 35
व्योम मित्र 35
30 मीटर का टेलीस्कोप 36
एनआइसी ने नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन की मेजबानी की 36
ज़ेनोबोट्स 36
इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र चलाकेरे में बनेगा 36
भारतीय ड्रोसॉफिला कॉन्फ्रेंस पुणे में आयोजित की गई 37
एस्ट्रोनाट क्रिस्टीना कोच ने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय के अंतरिक्ष 37
नासा ने स्नोएक्स शुरू किया 37
इसरो ने एसपी ऑप्टिक टेलिस्कोपों को स्थापित करने के लिए खगोल विज्ञान ... 38
बेंगुलुरू में 107 वाँ भारतीय विज्ञान सम्मेलन संपन्न 38
सरकार ने नई एवं उभरती तकनीकों के लिए विभाग की स्थापना की 38
वैज्ञानिकों ने मूर्चिसन उल्कापिंड में 7 बिलियन वर्ष पुराना स्टारडस्ट पाया 39
ए (एच 9 एन 2) वीरियस एवियन इनफ्लुएंजा 39
लिथियम–सल्फर बैटरी को ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित किया गया 39
सीस्मिक हेजर्ड माइक्रोजोनेशन 39
सैमसंग की स्टार लेब ने नियोन को अपने नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता .. 39

आंतरिक सुरक्षा

नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम (एनडीएपी) 40
ए–सेट एवं एडीटीसीआर 40
के–4 पनडुब्बी ने बैलीस्टिक मिसाइल छोड़ी 41
साइबर क्राइम प्रीवेंशन यूनिट 42
दो कॉस्टगार्ड जहाजों को कमीशन किया गया 42
इजराइली स्पाइवेयर द्वारा भारतीय पत्रकारों एवं सुधारकों की जासूसी की गई 43
भारतीय नौसेना ने ऑफशोर डाटा, उत्पादों को साझा करने के लिए जीएसआई ... 43
सुखोई 30 एमकेआई हवाई जहाजों को ब्रह्मोस मिसाइलों से सुसज्जित किया गया 43
तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के नौसेना संस्करण ने आई एन एस विक्रमादित्य ... 44
डी आर डी ओ ने हल्के लड़ाकू विमान का नौसैनिक संस्करण तैयार किया 44
2020 सीआईएसएफ द्वारा गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 44
पारस्परिक कानूनी सहायता उपचारों के लिए संशोधित नियम 45
चीन–पाक नौसेना ड्रिल के चलते आई एन एस विक्रमादित्य अरब सागर में तैनात 45
विंड रेडर 45
'सहयोग– काइजीन' 45

अंर्तराष्ट्रीय संबंध

जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण 46
विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 46
भारत पोगो संबंध 46
मध्य पूर्व योजना 47
भारत–मालदीव 47
रोहिंग्या संकट 47
भारत – ब्राजील संबंध 47
पन्द्रहवां हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2020 48
पांचवा रायसीना संवाद 49
2 जी लाइसेंस मामला 49
शून्य बजट प्राकृतिक खेती जेड बी एन एफ 50
2020 में यूरेशिया ग्रुप को हो सकने वाले प्रमुख खतरे प्रकाशित 50
व्यापार एवं निवेश (डीटीआई) से जुड़े भारत–नॉर्वे डायलॉग का पहला सत्र संपन्न 50
विराटनगर समन्वित चेक पोस्ट 50
पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा में बर्बरता 51
भारत एवं फ्रांस 51

कला एवं संस्कृति

भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) 51
मराठी को 'शास्त्रीय' भाषा के रूप में घोषित करने की मांग 51
बुद्धिस्ट स्थल को बचाने के इंटाक के प्रयास 52
नौ भारतीय भाषाओं के लिए ओसीआर प्रणाली 52
मोघलमारी में दो मध्यकालीन मठ 53

एपिफेनी उत्सव 53
स्टेचू ऑफ यूनिटी 'शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 8 आश्चर्यों में शामिल 54
भारत पर्व 2020 54
नागालैंड में वार मेमोरियल 54
मणिपुर की जनजातियों ने लंबे संघर्ष के बाद शांति को अपनाया 55
नागोबा जात्रा 55
पथरी का विकास 55
12 वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 56
यात्रा एवं पर्यटन कार्यक्रम सूचकांक 56
मांडू उत्सव 56
जो कुत्पुई त्योहार 56
स्वदेश दर्शन योजना 57
5 ए एस आई संरक्षित पुरातत्व स्थानों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए 57
लाई हाराओबा 57
पटोला साड़ी 57
वंगा नारी 58
भक्त रामदास 58
औशविट्ज की मुक्ति की 75 वीं वर्षगांठ 58
डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत पर प्रदर्शनी 58

समाज एवं स्वास्थ्य

महिला, व्यापार एवं कानून 2020 59
भारतीय में महिला राजनीतिज्ञों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है 59
राष्ट्रीय बालिका दिवस 60
मनरेगा योजना में धन की कमी 60
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) 61
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सी ए आर ए) 61
3 वर्षों में पोषण अभियान के लिए जारी धन का केवल 30 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया है 61
भारत में 5 वर्ष से कम बच्चों की आयु में लड़कियों की मृत्यु 62
डब्ल्यूएचओ ने 2020 की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की घोषणा की 62
वार्षिक रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (बीएसई आर) 2019 रिपोर्ट प्रकाशित 64
दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा घोषित 65
भारत ने यूएनएड्स के गोलमेज बैठक में भाग लिया 65
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का ... 66
नीति आयोग मेक इन इंडिया के तहत घरेलू चिकित्सा उपकरणों .. 66
पूरे भारत में कैंसर के बोझ के बढ़ने चेतावनी 67
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'अम्मा वोडी' योजना शुरू की 67
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के न्यू न्यूमोकोकल वैक्सीन ने डब्ल्यूएचओ 67
डीबीटी एवं एनआईआई के संयुक्त अध्ययन में चिकनपॉक्स प्रतिरक्षा के ... 67
तेलंगाना में में औद्योगिक स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत 68
'नर्स एवं दाई का वर्ष' 68
पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन शतप्रतिशत 68
कोलकाता पुलिस ने 'सुकन्या' परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया। 68
यूपी के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय 69

एम एच ए ने आपसी कानूनी सहायता संधियों के लिए संशोधित मानदंड जारी किए 69
छत्तीसगढ़ ने सीएसएसडीए का मोबाइल ऐप लॉन्च किया 69
मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 69
क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को उन्मूलन पर केंद्रित करने के लिए नाम बदला गया 70
मेडिसिन बिल, 2019 की भारतीय प्रणाली 70
होम्योपैथी बिल, 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग 71
समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) 71
दुनिया भर में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस (विश्व एनटीडी दिवस) मनाया गया 71

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

नागार्धन खुदाई 71
जल्लीकट्टू 72

सामान्य अध्ययन II

2018 में भारत में अपराध 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा – एन सी आर बी 74
फास्ट फूडको लेबल करने का कार्य लंबे समय से क्यों अटका है 75
चीन–म्यानमार संबंध 76
अमेरिका ईरान के मध्य संघर्ष तथा भारत के उस पर परिणाम 77
सांसदों की अयोग्यता संबंधी स्पीकर की शक्तियां तथा स्वतंत्र ट्रिब्य... 79
अनुच्छेद 19 80
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम असंतोष – एक जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक 81
राजनीति का अपराधीकरण 82
राज्यों ने अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की 84
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 85

सामान्य अध्ययन III

पारस्परिक क्षेत्र (रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज) 87
अमेरिका, चीन व्यापार समझौते के प्रथम चरण पर हस्ताक्षर किए 87
आपराधिक मामलों में आंकड़ों के निवेदन के संशोधित दिशा–निर्देश 89
आई4सी एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल 89
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग एवं भारी बाढ़ 90
सरकार को समाज के अमूल्यष् सामुदायिक संसाधनों के स्थानांतरण ... 91
पूर्वोदय योजना 92
कोयला खनन में एफडीआई 93
एक उर्जा मंत्रालय की आवश्यकता 93
विश्व बैंक की अर्ध–वार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के पूर्वानुमान 95
विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ... 96

राजनीति

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स

समाचार –

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआई)–2019 (भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक–2019) पर **भारत, 2018 की रैंक 78 से फिसलकर 2019 में 80 पर पहुँच गया।**

विवरण –

- उन देशों में अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है जहां धन चुनावी अभियानों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है या जहां सरकारें केवल धनी या सरकार से प्रगाढ़ संबंधों वाले व्यक्तियों की आवाज ही सुनती हैं।
- यह सूचकांक प्रतिवर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया जाता है। यह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समर्पित एक गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है। इसे 1993 में, बर्लिन (जर्मनी) में, स्थापित किया गया था।
- 1995 में पहली बार जारी किए गए इस सूचकांक को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, अंतरराष्ट्रीय नीति के एजेंडे पर अधिक व्यापक रूप से रखने का श्रेय दिया जाता है।
- सूचकांक विश्व भर के देशों एवं क्षेत्रों को सूचिबद्ध करके सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापत भ्रष्टाचार का एक तुलनात्मक चित्र प्रदान करता है।
- यह प्रत्येक देश को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से लेकर 100 (सर्वाधिक नैतिक) के मध्य एक अंक प्रदान करता है।
- करप्शन परसेप्शन इंडेक्स–2019, 180 देशों एवं क्षेत्रों में किए गए 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों पर आधारित है।

वैश्विक परिणाम –

- अधिकतर देश भ्रष्टाचार से निपटने में कोई सुधार नहीं दिखा पा रहे हैं।
- पिछले आठ वर्षों में, केवल बाईस देशों ने अपने सीपीआई स्कोर में सुधार किया, जिनमें ग्रीस, गुयाना एवं एस्टोनिया शामिल हैं।
- इसी अवधि में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं निकारागुआ समेत इक्कीस देशों के स्कोर में भारी गिरावट देखी गई।
- शेष 137 देशों में भ्रष्टाचार के स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ।
- निर्णय–क्षमता को सार्वजनिक जाँच के बाहर रखने एवं उभरती हुई आवाजों को दबाने के कारण बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ जैसे कि, चीन (41), इंडोनेशिया (40), वियतनाम (37), फिलीपींस (34) इत्यादि भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए संघर्षरत रही हैं।
- कई वर्षों तक औसत स्कोर के 44 पर रहने के बाद, 2019 में, औसत स्कोर 45 रहा है जो (वैश्विक औसत 43 से बेहतर) **विश्व में 'सामान्य ठहराव' का सूचक है।**
- न्यूजीलैंड (87), सिंगापुर (85), ऑस्ट्रेलिया (77), हांगकांग (76) एवं जापान (73) जैसे उच्च प्रदर्शन वाले देशों की उपस्थिति के बावजूद, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों या परिणामों में पर्याप्त प्रगति नहीं देखी गई है।
- अफगानिस्तान (16), उत्तर कोरिया (17) एवं कंबोडिया (20) जैसे कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्र गंभीर चुनौतियों को उजागर करते हैं।
- चीन (स्कोर 41 – भारत के समान) के साथ अपनी स्थिति को 80 से 87 पर ले आया है।

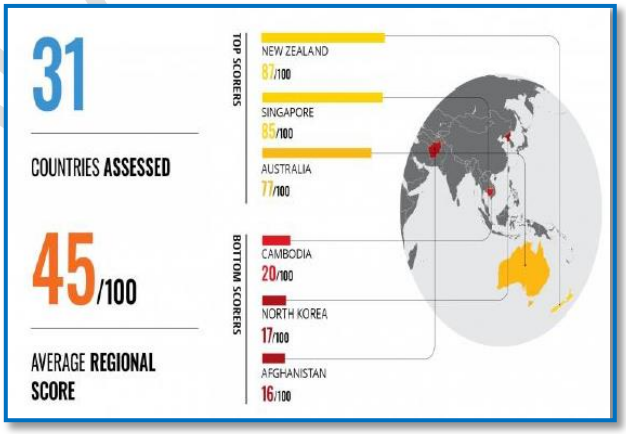

भारत का प्रदर्शन –

- 2018 के समान इस वर्ष भी भारत का स्कोर 41 ही रहा है तथा इसने 80 वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- भारत जैसे लोकतंत्रों में, अनुचित एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण, निर्णय–क्षमता पर डाले जाने वाले अनुचित प्रभाव एवं शक्तिशाली कॉर्पोरेट हित समूहों की लॉबिईंग के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के नियंत्रण में ठहराव या गिरावट आती है।

INDIA IN LAST 5 YEARS

Index Year	Rank	Score	Countries Surveyed
2012	94	36	174
2013	94	36	175
2014	85	38	174
2015	76	38	167
2016	79	40	176
2017	81	40	180
2018	78	41	180
2019	80	41	180

INDIA'S NEIGHBOURHOOD

COUNTRY	RANK	SCORE
India	80	41
China	80	41
Pakistan	120	32
Bangladesh	146	26
Sri Lanka	93	38
Nepal	113	34
Myanmar	130	29

आगे को राह –

विश्व भर में बढ़ते भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निम्न सिफारिशें की गई हैं –

1. परस्पर हित सबंधी संघर्षों को शांत करे।
2. राजनीतिक वित्तपोषण पर नियंत्रण।
3. चुनावी शुचिता को दृढ़ करना।
4. लॉबिईंग गतिविधियों को विनियमित करना।
5. नागरिकों को सशक्त बनाना।
6. तरजीही प्रथाओं से निपटना।
7. जाँच एवं संतुलन (चेक्स एंड बैलेंसेस) की प्रणाली का सुदृढीकरण।

बोडो समझौता

समाचार –

केंद्र सरकार, असम सरकार एवं बोडो समूहों, जिसमें उग्रवादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के सभी गुट शामिल हैं, ने बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD) का नाम बदल कर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण –

- बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में वे गाँव शामिल होंगे जो बोडो प्रभुत्व वाले हैं लेकिन वर्तमान में बीटीएडी के बाहर हैं। गैर–बोडो आबादी वाले गांवों को इससे बाहर रखा जाएगा।
- बीटीएडी तथा संविधान की छठी अनुसूची के तहत उल्लिखित अन्य क्षेत्रों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 से छूट दी गई है।

बोडो

- असम की अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में बोडो सबसे बड़ा समुदाय है।
- बोडो–कछारी समुदाय के हिस्से के रूप में बोडो असम की आबादी बोडो लोगों का प्रतिशत 5–6 है।

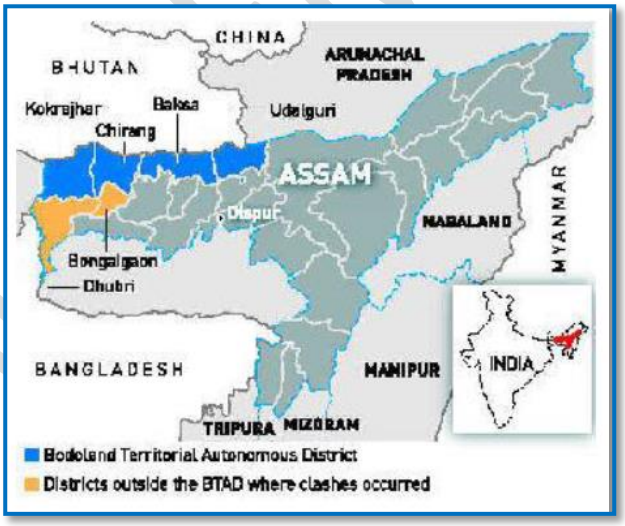

बोडो मुद्दा –

- बोडो राज्य के लिए पहली संगठित माँग 1967–68 में आई।
- 1985 में, असम समझौते के रूप में जब असम आंदोलन का समापन हुआ तब कई बोडो लोगो ने असम समझौते को मूल रूप से असमिया भाषी समुदायों के हितों पर केंद्रित पाया।
- 1987 में, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने बोडो राज्य की मांग को पुनर्जीवित किया।
- इसके बाद संस्थान ने खुद का नाम बदलकर NDFB कर लिया, एवं बाद में यह गुटों में बंट गया।

समझौते की महत्वपूर्ण झलकियाँ –

- नए क्षेत्रों को हटाने या शामिल करने का निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसके बाद, विधानसभा की कुल सीटों की संख्या मौजूदा 40 से बढ़ाकर 60 की जाएगी।
- ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) एवं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के दोनों प्रतिनिधि समिति में मौजूद रहेंगे।
- बीटीएडी के बाहर बोडो गांवों के केंद्रित विकास के लिए बोडो–कचहरी कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा एनडीएफबी के लगभग 1500 कैडरों का पुनर्वास एवं आत्मसात किया जाएगा।
- गैर–जघन्य अपराधों के लिए NDFB सदस्यों के गुटों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले लिया जाएगा एवं जघन्य अपराधों के मामलों की समीक्षा की जाएगी।
- लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक समाधान किए गए हैं। बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रूपये मिलेंगे। बोडो क्षेत्रों के विकास की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा 1500 करोड़ का एक विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा।
- पहाड़ियों में रहने वाले बोडो लोगों को अनुसूचित पहाड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा।
- देवनागरी लिपि के साथ बोडो भाषा पूरे असम के लिए सहयोगी आधिकारिक भाषा होगी।
- समझौते में BTAD में गैर–अधिवासियों की 'नागरिकता या कार्य परमिट' का जिक्र नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को हटाने की मंजुरी दी

समाचार –

हाल ही में, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को खत्म करने के फैसले को मंजूरी दी।

विवरण –

- आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहाँ द्विसदनीय विधायिका है। विधान परिषद वाले राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना शामिल हैं।

विधान परिषदें –

- भारत संसद के दो सदनों के साथ एक द्विसदनीय प्रणाली है।
- राज्य स्तर पर, लोकसभा के समकक्ष विधानसभा तथा राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद है।
- हमारा संविधान राज्यों को द्विसदनीय विधायिका के लिए बाध्य नहीं करता है बल्कि इसका विकल्प देता है।
- उच्च सदन बनाने की प्रक्रिया लंबी है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, किसी राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करके राज्य में दूसरा चैंबर बना या समाप्त कर सकती है।
- अनुच्छेद 171 (1) के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसके अलावा, किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।
- नवंबर 2019 तक, 6 राज्यों में विधान परिषद थी।

राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है –

- एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं एवं जिला परिषदों से चुने जाते हैं।
- एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- सदस्यों का छठवां भाग राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।
- सदस्यों के बारहवें भाग को राज्य में तीन वर्षों तक निवास करने वाले स्नातकों में से चुना जाता है।
- सदस्यों के बारहवें भाग को अध्यापकों में से चुना जाता है।

विधान परिषदों का दुरूपयोग –

- विधान परिषदों के विचार के विरोध में यह कहा जाता है कि इनका उपयोग उन नेताओं को सदन में शामिल करने के लिए किया जाता हैं जो चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होते हैं।
- प्रगतिशील कानून में देरी करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
- राज्य के वित्त को हानि पहुँचाते हैं।

CHAHAL ACADEMY

विधान परिषदों के सदुपयोग –

- दो चैंबर होने से सदन में मुद्दों पर अधिक बहस एवं कार्य साझा करने की क्षमता होती है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि शिक्षकों एवं स्नातकों की भूमिका को कम या समाप्त किया जाना चाहिए एवं स्थानीय निकायों की आवाज को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकायों को अधिक किया जाना चाहिए।

ब्लू कॉर्नर नोटिस

समाचार –

गुजरात पुलिस द्वारा इंटरपोल से मांग करने के हफ्तों बाद, इंटरपोल ने भगोड़े स्वयंभू भगवान नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिए एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। नित्यानंद पिछले साल बलात्कार एवं यौन शोषण के आरोपों के बीच भारत से भाग गया था।

इंटरपोल नोटिस –

- ये वह नोटिस होते हैं जिसमें सदस्य देशों से पुलिस को अपराध से संबंधित जानकारी साझा करने के जो सहयोग या सावधान होने का अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध किया जाता हैं।
- यह नोटिस सात प्रकार के होते हैं – रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस एवं पर्पल नोटिस।

ब्लू नोटिस –

- ब्लू नोटिस को किसी अपराध के संबंध में, किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों विवरण अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

समाचार –

उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक उपक्रमों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने की पुष्टि की है। इस कदम से विकलांग व्यक्तियों को राहत मिली है।

विवरण –

- विकलांगों को आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत दिया जाता है।
- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 रोजगार के विकलांग लोगों के सशक्तीकरण एवं समावेश में एक महत्वपूर्ण कारक होने पर जोर देता है।

विवाह का असाध्य रूप से समाप्त होना (इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज)

समाचार –

सर्वोच्च न्यायालय ने 'विवाह के असाध्य रूप से समाप्ति' के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद के आधार –

- निम्न दो अधिनियमों के कारण 'विवाह के असाध्य रूप से समाप्ति' को विवाह विच्छेद का आधार नही बनाया जा सकता है –
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, में विवाह विच्छेद के नियम है, जो हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिखों पर लागू होते है।
- अधिनियम की धारा 13 के तहत, विवाह विच्छेद के लिए निम्न आधार शामिल किये गए हैं – 'पति के अलावा किसी व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग', 'क्रूरता', 'याचिका की प्रस्तुति के तुरंत पहले दो साल से अधिक की निरंतर अवधि तक परित्याग', 'हिंदु धर्म को त्याग धर्मांतरण', एवं 'असाध्य विकृत मस्तिष्क'।
- इसके अलावा, धारा 13B 'आपसी सहमति से तलाक' प्रदान करती है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 उस अधिनियम के अंर्तगत संपन्न हुए विवाह के मामले में तलाक के अनुदान का आधार प्रदान करती है।

विवाह का असाध्य रूप से समाप्त होना

- जब एक विवाह पूर्णतः अस्थिर, भावनात्मक रूप से मृत, निस्तारण से परे तथा असाध्य रूप से समाप्त हो चुका होता है तो फिर न केवल इस विवाह की निरंतरता बेकार है, बल्कि यह दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक आघात एवं अशांति का कारण भी बनता है अतः इसे शीघ्रताशीघ्र समाप्त करना दोनो पक्षों के लिए ऊचित होता है।

- भारत के विधि आयोग ने दो बार सिफारिश की है कि विवाह के असाध्य रूप से समाप्त होने को हिंदू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिंदुओं को विवाह विच्छेद देने के नए आधार के रूप में स्वीकार किया जाए।
- आयोग ने पहली बार 1978 में अपनी 71 वीं रिपोर्ट में तथा 2009 में 217 वीं रिपोर्ट में इस संशोधन का सुझाव दिया।

अनुच्छेद 142

- अनुच्छेद 142, पक्षों को 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात, जहां कई बार जहाँ कानून उपाय प्रदान नहीं कर सकता है, न्यायालय न्याय करने के लिए विवाद के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं की शक्तियो का विस्तार कर सकता है।
- कई मामलों में, जहां विवाह समाप्त पाया गया है, कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है।

अग्रिम जमानत

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में माना है कि अग्रिम या गिरफ्तारी जमानत की सुरक्षा किसी भी समय सीमा या 'निश्चित अवधि' तक सीमित नहीं हो सकती है।
- संविधान पीठ के सामने दो प्रश्न थे –
- पहला, क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा एक निश्चित अवधि तक सीमित होनी चाहिए, जब तक कि अभियुक्त अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करता है, एवं
- दुसरा, आरोपी को अदालत में बुलाये जाने पर अग्रिम जमानत का काल समाप्त होना चाहिए या नहीं।

अग्रिम जमानत –

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की शंका होने पर जमानत (अग्रिम) देने के निर्देश से संबंधित है।
- इसके जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे गैर–जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है एवं वह न्यायालय यदि यह उचित समझे तो निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
- नागरिकों को परेशान करने एवं अपमानित करने के लिए की गई अनावश्यक गिरफ्तारीयों एवं अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों के हित में धारा 438 के अधिनियमित किया जाता है।

आकांक्षी जिलों की रैंकिंग

समाचार –

नीति आयोग ने हाल ही में, दिसंबर 2019 माह के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है।

विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन –

- यूपी के चंदौली जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओडिशा का बोलंगीर तथा आंध्रप्रदेश का वाईएसआर क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे।
- जिलों को अन्य प्रदर्शन संकेतकों के मध्य संकेतको जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कौशल विकास एवं लोगों के बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों के आधार पर पारदर्शी तरीके से स्थान दिया गया है।
- रैंकिंग चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, जिसे जिला स्तर पर वास्तविक समय में दर्ज किया जाता है पर आधारित है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम –

- कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे अविकसित जिलों में से कुछ को जल्दी एवं प्रभावी रूप से बदलना है।
- कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन, समन्वय (केंद्रीय, राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर), तथा एक जन आंदोलन द्वारा जिलों में प्रतियोगिता की भावना प्रत्यारोपित करना है।
- राज्यों की मुख्य भूमिका के साथ इस कार्यक्रम उद्देश्य प्रत्येक जिले के प्रमुख शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना, तात्कालिक सुधार वाले अवसरों की पहचान, प्रगति एवं जिलों की रैंकिंग करना है।

कर्नाटक का अंधविश्वास विरोधी कानून

समाचार –

- कर्नाटक में एक विवादास्पद अंधविश्वास विरोधी कानून को वर्तमान सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
- इसे 'कर्नाटक अमानवीय प्रथाओं एवं काला जादू पर रोक एवं उसकी समाप्ति का अधिनियम, 2017' कहा जाता है।

बिल में निम्न वस्तुएँ प्रतिबंधित है –

- खजाने या इनाम की तलाश में किसी भी अमानवीय कृत्य, दुष्ट प्रथाओं एवं काले जादू का प्रदर्शन करना।
- शारीरिक एवं यौन हमले सहित तांत्रिक कार्य।
- किसी को नग्न करना।
- अनुष्ठान एवं अमानवीय कृत्यों को प्रोत्साहित करने के नाम पर किसी का अपमान करना।
- 'आधिपत्य' एवं भूतत्व की धारणा बनाना।
- भूत–प्रेत की आड़ में लोगों पर हमला करना।
- गलत सूचना फैलाना एवं भूत, काला जादू की आड़ में दहशत पैदा करना।
- हीलिंग पावर के दावे करना।
- अंग–विकृत करने वाली प्रथाओं का प्रचार करना।
- लोगों को आग पर चलने के लिए मजबूर करना।

क्या प्रतिबंधित नहीं है? –

- धार्मिक स्थानों पर प्रदक्षिणा, यात्रा, परिक्रमा जैसे पूजाओं के प्रकार।
- हरिकथा, कीर्तन, प्रवचन, भजन, प्राचीन एवं पारंपरिक शिक्षण एवं कला, अभ्यास का प्रसार, संचलन एवं शिक्षण।
- मृतक संतों के चमत्कारों का प्रचार तथा उनके चमत्कारों विवरण बताने वाले साहित्य का वितरण जो शारीरिक चोट का कारण नहीं बनते हैं।
- घर, मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा, शिवालय, चर्च, एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना, उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन, जो शारीरिक चोट का कारण नहीं बनते हैं।
- सभी धार्मिक समारोह, त्योहार, प्रार्थना, जुलूस एवं अन्य अनुष्ठानों से संबंधित अन्य कार्य।
- जैनियों द्वारा केश लोचन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के अनुष्ठान एवं प्रदर्शन के अनुसार बच्चों के कान एवं नाक छिदवाना।
- वास्तु शास्त्र के संबंध में सलाह, एवं ज्योतिष एवं अन्य ज्योतिषियों द्वारा सलाह।

कानून की आवश्यकता –

- देश में धर्म के नाम पर अमानवीय प्रथाएं चिंता का कारण हैं। महाराष्ट्र में, ऐसे कई मामले थे, जिनमें लोगों ने दूसरों की हत्या या क्रूरता से घायल किया एवं उन्हें उनके परिवारों में कुछ मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया, केवल संदेह के आधार पर।
- इसलिए, धर्म के नाम पर शोषण को रोकने के लिए कानून आवश्यक है।

आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा तीन राजधानियों संबंधी विधेयक पारित

समाचार –

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 एवं आंध्रा प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020, पारित किया, जो वर्तमान राज्य सरकार द्वारा राज्य की राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम एवं कुरनूल के बीच विकेंद्रीकृत करने की ओर पहला कदम है।

विवरण –

- यह कदम, आंध्र प्रदेश कैबिनेट द्वारा, आंध्र प्रदेश को विकसित करने के लिए राज्य द्वारा गठित जीएन राव समिति द्वारा सुझावों की तर्ज पर राजधानी को स्थानांतरित करने एवं अमरावती को छोड़ने के निर्णय के बाद लिया गया है।
- समिति ने विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी एवं कुरनूल (रायलसीमा क्षेत्र में) को कानूनी राजधानी के रूप में अनुशंसित किया है जहां उच्च न्यायालय होगा। अमरावती विधायी राजधानी होगा जहाँ राज्य विधानसभा एवं राज्यपाल का कार्यालय स्थित होगा)।
- राज्य का विकेंद्रीकृत विकास का यह मॉडल दक्षिण अफ्रीकी मॉडल पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में तीन राजधानियाँ हैं – प्रिटोरिया (प्रशासनिक राजधानी), केप टाउन (विधायी राजधानी) तथा ब्लॉमफोन्टिन (न्यायिक राजधानी)
- उसके बाद एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसे जी. एन. राव समिति की रिपोर्ट एवं आगे की योजना पर रणनीति तैयार करना थी। समिति का गठन अमरावती क्षेत्र के किसानों, जिन्होंने राजधानी के लिए अपनी उपजाऊ जमीन दी थी द्वारा पिछले कई दिनों से किए जा रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में किया गया।

- समिति ने 'रणनीति एवं आगे की योजना को अंतिम रूप देते समय बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखा।' आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास को बनाए रखने के लिए बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को नियुक्त किया गया है।
- अब, राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व राजधानी (अमरावती) क्षेत्र के किसानों को दी जाने वाली राशि को 2500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5000 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है।
- इसने पिछली सरकार द्वारा अमरावती को एकल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए स्थापित एपी कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) के स्थान पर अमरावती महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राजधानी का स्थानांतरण –

- 1953 में जब तेलुगु भाषी आंध्र राज्य को संयुक्त मद्रास राज्य से बाहर किया गया, तो कुरनूल को राजधानी बनाया गया।
- तीन वर्ष बाद, 1956 में, पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश के साथ मिला दिया गया और हैदराबाद को उसकी राजधानी बनाया गया।
- 2014 में राज्य के विभाजन के बाद, अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया।
- अब, अमरावती से राजधानी शिफ्ट करने के हालिया प्रस्ताव के बाद से ही लगभग सभी क्षेत्रों में अशांति फैल गई हैं क्योंकि कृष्णा नदी के तट पर स्थित लगभग 30,000 एकड़ से अधिक भूमि पर किसानों से ली गई थी जिससेकृषि आय का नुकसान हुआ। हालांकि, सत्तारूढ़ राज्य सरकार ने मुआवजे का वादा किया है।

विभिन्न समितियों के सुझाव –

- केंद्र सरकार द्वारा राजधानी के लिए विकल्पों का सुझाव देने के लिए गठित शिवरामकृष्णन समिति, एक 'सुपर–कैपिटल' के पक्ष में नहीं थी एवं विकेंद्रीकृत विकास की पक्षधर थी। लेकिन पैनल ने यह भी कभी नहीं कहा कि पूरे राज्य में राजधानियों की एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जैसा कि अब व्याख्या की जा रही है।
- पूर्व आईएएस अधिकारी जीएन राव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति ने सुझाव दिया कि आंध्र प्रदेश में कुरनूल में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, जिसकी विशाखापत्तनम एवं अमरावती में एक–एक बेंच हो तथा अमरावती में एक विधानसभा जो विशाखापत्तनम में कुछ सत्र आयोजित करती हो।

निष्कर्ष –

- यह कदम उन सभी चीजों को पूर्ववत कर देगा जिसकी पूर्व राज्य सरकारों ने अमरावती के लिए योजना बनाई थी।
- पहले से ही, अमरावती के विकास के लिए बहुत सारे निवेश किए गए हैं एवं अब आधे रास्ते पर निर्णय लेने से निवेश का माहौल प्रभावित होगा। वास्तव में, सरकार द्वारा मुआवजे के बदले में जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे किसानों को होने वाली भारी कृषि हानि ने एक चिंगारी को प्रज्वलित किया है।
- आम तौर पर लोग उन्नति की आशा करते है। किंतु इस क्षेत्र के किसानों को उन्नति की आशा के बाद अवनति देखना पड़ रही हैं जिस कारण अनुचित तनाव पैदा हो सकता है।
- सरकार को सार्वजनिक खर्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिसका उपयोग बुनियादी सुविधाओं को बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि विभिन्न शहरों में भारी लागत पर कुछ नया बनाने के लिए।

महाराष्ट्र में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढना अनिवार्य

समाचार –

- महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी, 2020 से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है।
- इसका उद्देश्य संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मूल्यों को स्थापित करना है।
- सरकार ने स्कूलों से भी एक पट्टिका या बोर्ड लगाने को कहा है। प्रस्तावना एवं स्कूलों को संविधान पर आधारित क्विज, निबंध, ड्राइंग, स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए भी कहा गया है।

सोशल मीडिया पोस्टिंग एक मौलिक अधिकार है

समाचार –

- एक ऐतिहासिक फैसले में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया, जिसे सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया था।
- सभी व्यक्तियों के साथ–साथ सरकारी कर्मचारियों पर लागू 'मौलिक अधिकार' के लिए सोशल मीडिया टैंटमाउंट पर पोस्ट करना।

- सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1988 के नियम 5 के तहत कोई दंडात्मक उपाय किए बिना बैठकों, रैलियों सहित राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने विचार पोस्ट कर सकते हैं।

आत्महत्या के लिए उकसाना

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि दहेज उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
- आईपीसी की धारा 498 ए के तहत, अभियुक्त (पति या क्रूरता के लिए जिम्मेदार महिला के पति के रिश्तेदार) को दोषी माना जाता है एवं अपराध की सजा दी जाती है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत प्रकल्पना के आधार पर, धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत दंड के लिए स्वचालित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- जब तक अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं करता है कि अभियुक्त द्वारा कुछ कार्य या अवैध कार्यो ने महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, धारा 306 के तहत यह दोष सिद्ध नहीं होगा।

खनन के पश्चात् क्षेत्र को पुनः हरा–भरा बनाना

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से खनन पट्टों एवं खदानों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में एक शर्त लगाने को कहा है जिससे यह सुनिश्चित हो कि एक बार खनन कार्य बंद हो जाने पर खदान मालिकों को खनन एवं अन्य प्रभावित क्षेत्र पर फिर से घास उगाना सुनिश्चित करना होगा।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि खनन पट्टाधारकों को खनन क्षेत्रों पर फिर से घास डालने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पनप सके।

उच्चतम न्यायालय का आदेश –

- शीर्ष अदालत ने कहा कि खनन क्षेत्रों में घास का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाता है एवं शाकाहारी जीव चारे से वंचित हो जाते हैं।
- अतः खनन समाप्त होने पर जैव विविधता को बहाल करने के लिए लाइसेंस धारक को अनिवार्य रूप से फिर से घास लगाना होगा।
- वृक्षों, पशुओं एवं अन्य वनस्पितियों के विकास के लिए ऐसे खनन वाले क्षेत्रों में फिर से घास लगाना ही एकमात्र उपाय है ताकि भूमि को ऐसी स्थिति में बहाल किया जा सके जो चारा उगाने के लिए उपयुक्त हो।
- उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उचित कार्रवाई करने के बाद तीन सप्ताह में एक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया एवं खनन पट्टाधारकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधि विकसित करने का निर्देश दिया है।
- खनन किए गए क्षेत्र को फिर से घास लगाने की लागत पूरी तरह से लाइसेंस धारक द्वारा वहन की जाएगी।

संपत्ति का अधिकार – एक मानवाधिकार है

समाचार –

- यह मामला एक 80 वर्षीय महिला का है, जिसकी 3.34 हेक्टेयर भूमि 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए जबरन ले ली गई थी। 52 वर्ष बाद भी, राज्य मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहा है।
- अपीलार्थी अपने अधिकारों से पूरी तरह अनजान था एवं उसने राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से ली गई भूमि के मुआवजे के लिए कोई कार्यवाही दायर नहीं की थी। जब उसकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा ठुकरा दी गई, तो अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
- उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 एवं अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके सरकार को 1 करोड़ रुपये महिला को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्य कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में कानून की मंजूरी के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते।
- खंडपीठ ने हरियाणा सरकार बनाम मुकेश कुमार मामले (2011) के एक फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार न केवल संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है, बल्कि यह एक मानवाधिकार भी है।
- कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अपनी निजी संपत्ति के नागरिकों को जबरन दूर करना, मानवाधिकार का उल्लंघन करना होगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संवैधानिक अधिकार भी है।

- राज्य को अपने स्वयं के नागरिकों की संपत्ति हड़पने के लिए प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत को लागू करके भूमि पर अपने शीर्षक को सही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत

- यह एक कानूनी सिद्धांत है जो उस व्यक्ति को उस भूमि पर कानूनी मालिक होने का दावा करने की क्षमता देता है जिस पर वह लंबी अवधि से रहता आया है।
- भारत में, कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का मूल मालिक नहीं है, वह इस तथ्य के कारण मालिक बन जाता है कि उसका संपत्ति पर कम से कम 12 साल से कब्जा है, तथा इस समय के भीतर असली मालिक ने उसे बाहर निकालनके के लिए कानूनी सहारा नहीं लिया है।

व्यस्क स्त्री से विवाह करने पर अव्यस्क पुरूष सजा का पात्र नही है

समाचार –

- विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार एक पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष नहीं है वह एक 'बालक' है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष जिसने 18 वर्ष से अधिक की महिला से शादी की है बाल विवाह के आरोप के अंर्तगत दंड योग्य नहीं होगा।
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने युगल को सुरक्षा प्रदान करने के अपने स्वयं के आदेश को अलग रखते हुए बाल विवाह के अनुबंध के लिए लड़के के खिलाफ मुकदमा चलाया, जिसमें वह लड़का स्वयं 'बालक' था।
- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि धारा 9 की मंशा बाल विवाह के लिए किसी बालक को दंडित करना नहीं था।
- यदि अठारह वर्ष से बीस वर्ष के बीच की आयु के पुरुष– अठारह वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ एक विवाह का अनुबंध करते हैं, तो महिला वयस्क को दंडित नहीं किया जाएगा बल्कि पुरुष को किए जाने का प्रावधान है किंतु वह स्वयं एक बालक है।

लद्दाख को छठी अनुसूचि के क्षेत्र का दर्जा प्राप्त

समाचार –

- केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6 वीं अनुसूची क्षेत्र का दर्जा देने का प्रस्ताव किया है।
- जनजातीय मामलों के मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय लद्दाख की समृद्ध विरासत को संरक्षित एवं समृद्ध करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
- छठी अनुसूची (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में) असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा आदिवासी आबादी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मिजोर में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देती है।
- जनजातीय मामलों के मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय लद्दाख की समृद्ध विरासत को संरक्षित एवं समृद्ध करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
- पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख की संस्कृति एवं पहचान को संरक्षित करने की अपील की थी।

पोलिसिंग की आयुक्त प्रणाली

समाचार –

- उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ एवं नोएडा में पुलिसिंग की आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पुलिस को अधिक अधिकार देना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- राज्य की राजधानी लखनऊ एवं राज्य की आर्थिक राजधानी नोएडा में पुलिस आयुक्त के रूप में एक एडीजी स्तर के अधिकारी होंगे। दोनों पुलिस आयुक्तों के पास मजिस्ट्रियल शक्तियां होंगी।
- यह प्रणाली पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रियल शक्तियों सहित अधिक शक्तियां प्रदान करती है एवं इसका उद्देश्य बेहतर एवं प्रभावी पुलिसिंग है।
- नई प्रणाली के तहत लखनऊ में 40 पुलिस स्टेशनों को पुलिस कमिश्नर के अधीन लाया जाएगा, जिसमें दो आईजी की एक टीम संयुक्त आयुक्त, नौ एसपी रैंक के अधिकारी एवं एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी के साथ एएसपी रैंक की महिला अधिकारी होगी।
- महिला अधिकारी विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं उसके नियंत्रण से संबंधित मामलों के लिए काम करेंगी।

लोकतंत्र सूचकांक (डेमोक्रैक्सो इंडेक्स)

समाचार –

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा तैयार किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के शोध एवं विश्लेषण प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह विश्व भर के 165 स्वतंत्र राज्यों एवं क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति को दर्शाता है।

विवरण –

- इस रैंकिंग की शुरूआत 2006 से हुई थी एवं यह चुनावी प्रक्रिया, बहुलवाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति एवं नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है।
- 0–10 के बीच उनके कुल स्कोर के आधार पर, देशों को चार प्रकार के शासन में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है – पूर्ण लोकतंत्र – 8 से अधिक स्कोर, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र – 6 से अधिक स्कोर एवं 8 से कम या उसके बराबर स्कोर, संकर (हाईब्रिड) शासन – 6 से कम तथा 4 से अधिक स्कोर या उसके बराबर स्कोर, अधिनायकवादी शासन – 4 से कम या बराबर स्कोर।

वैश्विक परिदृश्य –

- इस सूचकांक ने 2019 को एशियाई लोकतांत्रिक देशों के लिए एक 'उतार–चढ़ाव भरे वर्ष' के रूप में वर्णित किया। सबसे बड़ा बदलाव थाईलैंड में हुआ, जिसका स्कोर 2018 की तुलना में 1.69 अंकों की वृद्धि के साथ 6.32 हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 38 स्थानों की वृद्धि हुई, जबकि सिंगापुर में 'झुठे समाचारो के कानून' की शुरुआत के कारण नागरिक स्वतंत्रता के स्कोर में गिरावट आई।
- नॉर्वे 9.87 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि उत्तर कोरिया 1.08 के स्कोर के साथ वैश्विक रैंकिंग में सबसे निचले (167 वें) स्थान पर था।
- चीन का स्कोर घटकर 2.26 हो गया एवं यह अब रैंकिंग के निचले हिस्से के करीब 153 वें स्थान पर है।
- अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, 6.86 के स्कोर के साथ ब्राजील को 52 वें स्थान पर रखा गया। रूस का स्थान 3.11 स्कोर के साथ 134 वें रहा।
- पाकिस्तान 4.25 स्कोर के साथ 108 वें स्थान पर था, जबकि श्रीलंका 6.27 के स्कोर के साथ 69 वें स्थान पर था, बांग्लादेश 5.88 स्कोर के साथ 80 वें स्थान पर था।
- शीर्ष 10 देशों में क्रमशः आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर, फिनलैंड (5 वें), आयरलैंड (6 ठें), डेनमार्क (7 वें), कनाडा (8 वें), ऑस्ट्रेलिया (9 वें) एवं स्विट्जरलैंड (10 वें) स्थान पर, शामिल है।
- तीन देश – चिली, फ्रांस एवं पुर्तगाल – 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' श्रेणी से 'पूर्ण लोकतंत्र' श्रेणी में चले गए, जबकि माल्टा विपरीत दिशा में चला गया तथा 'पूर्ण लोकतंत्र' से बाहर निकलकर 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' बन गया।

भारत की रैंक –

- भारत का कुल स्कोर, 0–10 के पैमाने पर, 2018 में 7.23 से गिरकर 2019 में 6.90 हो गया।
- भारत का स्थान 10 स्थान गिरकर 51 रहा, इस सर्वेक्षण ने में देश में नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण को लोकतांत्रिक प्रतिपगमन (डेमोक्रेटिक रिग्रेशन) का प्राथमिक कारण बताया।
- लोकतंत्र सूचकांक ने जम्मू एवं कश्मीर में परिवर्तन एवं असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विवादास्पद कार्यान्वयन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में 'लोकतांत्रिक प्रतिपगमन' हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस प्रकार, भारत को 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' श्रेणी में शामिल किया गया है।
- एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, भारत तिमोर–लेस्ते, मलेशिया एवं ताइवान जैसे देशों से आठ स्थान पीछे रहा पर है।

दमन, दादरा नागर हवेली एवं दमन एवं दीव की राजधानी घोषित

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यालय के रूप में दमन को मंजूरी दे दी, जिससे यह दो विलय किए गए केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी बन गया।
- सरकार ने तीन कर प्रणालियों वाले विभिन्न कर अधिनियमों में भी संशोधन किया, जिससे कर अधिकारियों के कामकाज में सरलता, स्थिरता तथा निरंतरता आएगी एवं सरकारी खजाने के धन की बचत होगी।
- इसके अलावा, इससे न केवल कराधान कानूनों में एकरूपता आएगी, बल्कि यह कानूनों की प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का उपवर्गीकरण

समाचार –

- मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों में उप–वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी।
- संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
- इसका अर्थ यह है कि पिछड़े वर्गों को उन्नत नही माना जा सकता है। उन्नत वर्गों को बराबर लाने के लिए पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- उप वर्गीकरण– इसके मद्देनजर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था।
- अक्टूबर 2017 में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में, अति पिछड़े वर्गों (ईबीसी) को प्राथमिकता देकर एक कुशल तरीके से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा उप–वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया।

उपश्रेणीकरण की आवश्यकता –

- ओबीसी उप–वर्गीकरण से ओबीसी समुदायों के बीच अधिक पिछड़ा वर्गों को भी शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
- वर्तमान में, कोई उप–वर्गीकरण नहीं है एवं 27 प्रतिशत आरक्षण एक अखंड इकाई में लागु होता है।

32 वीं प्रगति बैठक

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने 32 वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की एवं कई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की।
- बैठक में ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक केरल एवं उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों में चल रही 2000 करोड़ रुपये की विलंबित परियोजनाओं पर चर्चा की गई।
- विलंबित परियोजनाएं रेलवे, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं।
- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बीमा योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा की।
- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना के तहत प्रगति– ई–गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली एवं 47 सरकारी कार्यक्रमों एवं 17 विविध क्षेत्रों में योजनाओं से संबंधित शिकायत निवारण का संकल्प लिया।
- प्रगति, केंद्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय प्रशासन एवं तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी–मोडल प्लेटफॉर्म है।

अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका असर देश भर के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर हो सकता है, यह माना कि ऐसे संस्थान शिक्षकों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार पाने का दावा नहीं कर सकते हैं एवं इसे सरकार द्वारा विनियमित किया जा सकता है। शिक्षा प्रदान करने में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना।
- उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसके तहत मदरसों में शिक्षकों का चयन एवं नियुक्ति एक आयोग द्वारा किया जाना है।
- इसने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को एकतरफा करार देते हुए कानून के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए अनुच्छेद 30 का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा।
- कोर्ट ने फैसला दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नियामक तंत्र लगाने के सरकार के फैसले में एचसी द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के साथ हस्तक्षेप करने की राशि नहीं थी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)

समाचार –

- ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, केवल 252 संसद सदस्यों (सांसदों) ने ग्राम पंचायतों को सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के चरण–4 के तहत अपनाया है।
- वर्तमान में, दोनों सदनों की कुल संख्या लगभग 790 है, जिसमें निर्वाचित एवं साथ ही नामित सदस्य शामिल हैं।

- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जय प्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर, 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी।
- योजना के शुभारंभ के बाद से, केवल 1,753 ग्राम पंचायतों को चार चरणों में चुना गया है, जो अपेक्षित आंकड़े से नीचे है।
- SAGY के चरण–1 में, 703 सांसदों ने ग्राम पंचायतों को अपनाया गया लेकिन चरण–2 में यह संख्या घटकर 497 एवं चरण–3 में 301 से रह गई।
- लगभग दो–तिहाई लोकसभा सांसदों को योजना के चरण–4 के तहत ग्राम पंचायतों का चयन करना बाकी है।

तुलू भाषा

समाचार –

- हाल ही में, तुलु को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। वर्तमान तुलु भाषाई बहुसंख्यक तुलुनाडु क्षेत्र तक सीमित है, जिसमें कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ एवं उडुपी जिले एवं केरल के कासरगोड जिले का पयसवानी, या चंद्रगिरि नदी तक का उत्तरी भाग शामिल है। मंगलुरु, उडुपी एवं कासरगोड शहर तुलु संस्कृति के केंद्र हैं।

- कासरगोड जिले को 'सप्त भाषा समागम भूमि (सात भाषाओं का संगम)' कहा जाता है, एवं तुलू (द्रविड़ भाषा) उन सात भाषाओं में से एक है। जनगणना के अनुसार भारत में तुलु भाषा बोलने वाले 18,46,427 व्यक्ति रहते है। भारत में तुलू भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या मणिपुरी या संस्कृत (जिसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है) की तुलना में अधिक हैं।

तुलु भाषा की स्थिति –

- वर्तमान में, तुलु भारत में एक आधिकारिक भाषा नहीं है। यदि आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो तुलु को साहित्य अकादमी से मान्यता मिल जाएगी। तुलु पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। संसद के सदस्य एवं विधायक क्रमशः संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में तुलु में बोल सकते हैं। अभ्यर्थी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे तुलु में सिविल सेवा परीक्षा लिख सकते हैं।

- भाषाई विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के निम्न लाभ है –
  1. इससे सामाजिक समावेशन एवं साझेदारी बेहतर होती है।
  2. यह विभिन्न देशी वक्ताओं के बीच लिंग एवं सामाजिक असमानता को कम करने में मदद करता है।
  3. इससे लुप्तप्राय, अल्पसंख्यक, स्वदेशी भाषाओं के देशी वक्ताओं, साथ ही गैर–आधिकारिक भाषाओं के अधिकारों की गारंटी प्राप्त होती है।
  4. शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक निर्णय लेने के लिए बोलियों के उपयोग को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

ब्रु शरणार्थियों के संकटों को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

समाचार –

- 22 वर्षीय ब्रु शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें त्रिपुरा में समुदाय के 5,300 परिवारों से जुड़े 30,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया, जहां से उन्होंने 1997 में मिजोरम में एक आदिवासी हिंसा के बाद प्रवास किया था।
- त्रिपुरा में रिंग्स नाम से पहचाने जाने वाले ब्रु समुदाय के लोगो को त्रिपुरा में बसाने के समझौते पर मिजोरम, त्रिपुरा के मुख्य सचिवों एवं गृह मंत्री की उपस्थिति में ब्रु जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- समझौते के अनुसार, शरणार्थी त्रिपुरा में बसाए जाएंगे एवं उनके पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी।
- ब्रु आदिवासी समझौते के अनुसार वे त्रिपुरा की मतदाता सूची में शामिल होंगे। केंद्र ने त्रिपुरा में जनजातियों के बसाने के लिए 600 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
- एक जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक होने के नाते, ब्रु को मिजोरम जहां बड़े पैमाने पर ईसाई मिजोस हावी हैं, में 'बाहरी लोगों' के रूप में देखा जाता है।
- 1997 में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की। हिंसा की भयावह घटना ने उनमें से हजारों लोगों को पड़ोसी त्रिपुरा में सुरक्षा के लिए भागने पर मजबूर कर दिया, जहां कई अभी भी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।

'भारत में मृत्युदंड' रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रकाशित

समाचार –

- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली में परियोजना 39 द्वारा प्रकाशित भारत में मृत्यूदंड रिपोर्ट – वार्षिक सांख्यिकी का चौथा संस्करण, बताता है कि भारत में ट्रायल कोर्ट ने 2019 में 102 मौत की सजा दी एवं यह संख्या 2018 में दी गई 162 मौत की सजा की संख्या से काफी कम है।
- इन मामलों में परिणामों का निर्धारण करने में यौन अपराधों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यौन अपराधों में शामिल हत्याओं के लिए मौत की सजा का अनुपात चार साल में सबसे अधिक 52.94 प्रतिशत (102 में से 54) था।

मुख्य निष्कर्ष –

- 2019 में, कुल मिलाकर मौत की सजा कम सुनाई गई – प्रत्येक 2 में से 1 सजा यौन हिंसा–हत्या के लिए प्रत्येक 4 में से 3 यौन हिंसा–हत्या अपराध में बच्चे हत्यारे के शिकार थे।
- 2019, 65.38 प्रतिशत यौन–हिंसा से जुड़े हत्या के अपराधों के साथ, पिछले 4 वर्षों में उच्च न्यायालयों द्वारा सबसे अधिक पुष्टि किए गए मृत्युदंडों (26 में से 17) का वर्ष भी था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 के बाद, 2019 में, मुख्य रूप से पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल के तहत, मृत्यु दंड के सर्वाधिक (27) निर्णय दिए। इसे मुख्य न्यायाधीश गोगोई द्वारा मृत्युदंड मामलों को प्राथमिकता देने से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे इस तथ्य से ओर अधिक बल मिलता है कि यह एक कैलेंडर वर्ष में 2001 के बाद से किसी भी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुनाए गई मृत्युदंडों की सबसे बड़ी संख्या है।
- बच्चों के गैर–हत्या बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सुनाने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन किया गया।
- आंध्र प्रदेश की राज्य विधायिका ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर वयस्क महिलाओं के गैर–हत्या बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया।
- एनएलयू की डेथ पेनल्टी रिसर्च परियोजना, जिसने 2016 में देश में मृत्युदंड पर पहली व्यापक रिपोर्ट तैयार की थी, ने नोट किया था कि मृत्युदंड प्राप्त कुल कैदियों की संख्या के लिए कोई विश्वसनीय स्त्रोत नहीं है। आजादी के बाद से मृत्युदंड दिए गए कैदियों की कुल संख्या का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है।
- परियोजना 39 ए आपराधिक न्याय प्रणाली एवं विशेष रूप से कानूनी सहायता, यातना, मौत की सजा एवं जेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर केंद्रित एक अनुसंधान एवं मुकदमेबाजी की पहल है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी)

समाचार –

- 10 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) 25 जनवरी, 2020 को मनाया गया।
- NVD–2020 का विषय (थीम) – मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता
- 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसी दिन 1950 में भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
- 2011 से यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य, नामांकन को प्रोत्साहित, सरल एवं अधिकतम करना है, विशेष रूप से नए मतदाताओं के लिए तथा चुनाव में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाना, है।

अर्थव्यवस्था

वेब पोर्टल गति

समाचार – केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने ऑनलाइन वेब पोर्टल (GATI) की शुरूआत की।

विवरण –

- पोर्टल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उपयोग किए गए PRAGATI पोर्टल से प्रेरणा लेकर बनाया है।
- इसे एनएचएआई वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है एवं ठेकेदार/रियायतकर्ता पोर्टल पर परियोजना से संबंधित किन्हीं भी मुद्दों को उठा सकते हैं।
- जिससे मुद्दा तुरंत शीर्ष प्रबंधन सहित एनएचएआई के प्रत्येक अधिकारी के ध्यान में आ जाएगा एवं संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल कार्रवाई होने पर स्थिती को पोर्टल पर विधिवत अद्यतन कर दिया जाएगा।
- इससे निर्णय लेने की क्षमता में तेजी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा राजमार्ग निर्माण के कार्य में वास्तविक गति भी।

CHAHAL ACADEMY

खादी

समाचार –
खादी ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर 'खादी' की नकल को रोकने के लिए औद्योगिक संपत्तियों की सुरक्षा के पेरिस समझौते के तहत 'खादी' के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क प्राप्त करना चाहता है।

विवरण –
- 2013 में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विनियम, केवीआईसी को 'खादी मार्क' का पंजीकरण प्रदान करने तथा किसी भी निर्माता से इसकी रॉयल्टी लेने का अधिकार देते हैं।

औद्योगिक संपत्तियों के संरक्षण का पेरिस सम्मेलन –
- यह व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) प्रशासित करता है।
- 1883 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंर्तगत, राज्य या उसके किसी भाग के शस्त्रागार चिन्हों, झंडों एवं अन्य राज्य प्रतीक चिन्हों के साथ–साथ उनके आधिकारिक संकेत एवं अपनाए गए नियंत्रण एवं वारंटी के संकेत देने वाले पहचान चिन्ह की रक्षा का प्रावधान है।
- जनवरी 2019 तक इस कन्वेंशन में 177 अनुबंधित सदस्य देश थे।

बजट तैयार करने संबंधी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

समाचार –
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बजट तैयार करने के मामले में असम ने ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है गोवा महाराष्ट्र एवं पंजाब को बजट तैयार करने के मामलों में निचले स्थान प्राप्त हुआ है।
- संगठन द्वारा बनाई गई यह रैंकिंग चार, प्राचलों जैसे कि बजट बनाने की प्रक्रिया, सार्वजनिक पारदर्शिता बजट बनने के बाद वित्तीय प्रबंधन तथा नागरिक उपयोगी बजट बनाने के लिए किए गए प्रयत्नों पर आधारित है।

विवरण –
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय गैर–लाभकारी संस्थान है, जो भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाले अपराधों की रोकथाम का कार्य करता है।
- यह संस्थान यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कंपैक्ट, यूनेस्को कॉंऊसिलटेटिव स्टेटस, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य भी है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय जर्मनी में स्थित है।
- यह संस्थान नागरिकों को उनके दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार के अनुभवों को नापने के लिए एक यंत्र भी प्रदान करता है।
- इसके अलावा यह संस्थान एक एंटी करप्शन इंडेक्स भी प्रकाशित करता है।

एस डी जी

समाचार –
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में तेलंगाना सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है।

विवरण –
- यह नोट योग्य करने लायक बात है कि दिसंबर 2019 में भारत ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रकाशित किया था।
- भारत ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र था।
- इस इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा लांच किया गया था।
- तेलंगाना ने, भारतीय राज्य की यूएनडीपी रैंकिंग में, 82 अंकों के साथ, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों जिनका कुल स्कोर 72 था, को पीछे छोड़ते हुए, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए केरला ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
- तेलंगाना में कुल 17 एचडीजी में से 8 में सुधार दिखाया है तथा इस का स्कोर 75 से बढ़कर 82 हुआ है।
- इस राज्य ने स्वच्छ पानी, ऊर्जा, साफ सफाई इत्यादि में सुधार दिखाया है
- राज्य को असमानता कम करने के उद्देश्य में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसने टिकाऊ एवं साफ ऊर्जा के क्षेत्र में तीसरा स्थान तथा पर्यावरणीय कार्यवाही में चौथा स्थान प्राप्त किया है।

ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 (स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019)

समाचार –

- सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनामी के साथ मिलकर तैयार किए गए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2009 को प्रकाशित किया है।
- यह सूचकांक 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 97 संकेतक पर राज्य की ऊर्जा दक्षता को नापता है।
- सूचकांक जिसे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2018 के नाम से जाना जाता है, को अगस्त 1 2018 को प्रकाशित किया गया था।
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 पांच विभिन्न क्षेत्रों जैसे भवन उद्योग, म्युनिसिपालिटी, यातायात, कृषि एवं डिस्कॉम्स में ऊर्जा की दक्षता के स्तर को संख्यात्मक, मात्रात्मक तथा परिणाम आधारित संकेतकों पर विश्लेषण करता है।
- इसके अलावा इस वर्ष कई नए संकेतक भी जोड़े गए हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) 2017, एनर्जी एफिशिएंसी इन एमएसएमई क्लस्टर इत्यादि

सूचकांक के प्रमुख अंश –

- तार्किक तुलना के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी वास्तविक ऊर्जा मांग, विद्युत, कोयला, तेल, गैस इत्यादि के विपरीत कुल प्राथमिक ऊर्जा पूर्ति के आधार पर चार समूहों में विभक्त किया गया था।
- राज्यों को उनकी ऊर्जा दक्षता के आधार पर फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एवं एस्पायरेंट नाम से चार समूहों में वर्गीकृत किया गया था
- सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों हरियाणा केरल एवं कर्नाटका को अचीवर श्रेणी में रखा गया था।
- सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले राज्य मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, राजस्थान को एस्पायरेंट श्रेणी में रखा गया।
- सूचकांक की सबसे अच्छी श्रेणी फ्रंट रनर में किसी भी राज्य को स्थान प्राप्त नहीं हुआ इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्यों को ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अभी एक लंबा सफर तय करना है।
- टीपीएस ग्रुपिंग से राज्यों राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करने तथा तथा एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने में मदद मिलती है।
- यह सूचकांक राज्य एवं स्थानीय स्तर पर ई–पॉलिसीज को चला तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में मदद करके राज्यों की ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण क्रियान्वयन संबंधी राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
- साथ ही यह सूचकांक राज्यों एवं भारत के उर्जा फुटप्रिंट पर नजर रखने, प्राप्त किए हुए डाटा के संस्थानकरण, तथा राज्यों की ईई गतिविधियों के पर्यवेक्षण में भी मदद करेगा।

भारत की ऊर्जा नीतियों की समीक्षा

समाचार –

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के साथ साझेदारी में भारत के नीति आयोग ने देश की ऊर्जा नीतियों पर पहली व्यापक समीक्षा प्रकाशित की है।
- यह समीक्षा भारत की ऊर्जा नीतियों की सफलता को रेखांकित करती है तथा सुनियोजित ऊर्जा बाजारों एवं नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में हुई उन्नति के सरकार के प्रयासों की अनुशंसा करती है।
- यह समीक्षा सरकार को ऊर्जा बाजारों में किए गए सुधारों, नवीनीकृत ऊर्जा की तकनीकों की स्थापना तथा सौभाग्य, उजाला एवं उज्जवला जैसी योजनाओं द्वारा नागरिकों को सस्ती एवं टिकाऊ बिजली तथा खाना पकाने के स्वच्छ साधन उपलब्ध कराने के लिए बधाई देती है।
- यह रिपोर्ट नवीनीकृत ऊर्जा जोकि अब देश की कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 23 प्रतिशत के बराबर है, की वृद्धि को रेखांकित करती है।
- समीक्षा यह भी बताती है कि वर्ष 2000 से 2018 के मध्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में किए गए सुधारों ने 15 प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा की मांग तेल एवं गैस के आयात वायु प्रदूषण के साथ–साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 300 मिलियन तन उत्सर्जन को भी कम किया है।
- भारत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में दिनोंदिन शक्तिशाली बनता जा रहा है, 2040 तक, भारत की ऊर्जा आवश्यकता के, दोगुना एवं इसकी विद्युत मांग के तिगुना हो जाने की संभावना है।
- किसी भी और बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की तेल खपत के तेजी से बढ़ने की संभावना है।
- यह ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करना भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्राथमिकता बनाता है।

- समीक्षा भारत सरकार द्वारा नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में की गई बड़ी नीलामी यों कोयला खानों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाने तथा विदेशी निवेशकों के लिए तेल एवं गैस के बाजारों तक पहुंच बनाने के प्रयासों का स्वागत करती है।

सुझाव

- रिपोर्ट ऊर्जा बाजार के क्षेत्रों जैसे कोयला, गैस एवं विद्युत के अच्छी तरह से कार्यान्वित, खुले बाजारों के संवर्धन के भारत के उद्देश्यों में मदद करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला में सुधारों की अनुशंसा करती है। इसमें भेदभाव रहित पहुंच बनाने, राज्य द्वारा कीमतों को निर्धारित करने के बजाय बाजार द्वारा कीमतों के निर्धारण तथा ऊर्जा सब्सिडी का तार्किकरण शामिल है।
- भारत के गैर नवीनीकृत ऊर्जा से परिपूर्ण राज्यों में गैर नवीनीकृत स्रोतों से निर्मित विद्युत का प्रतिशत पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक है, यह एक ऐसा स्तर है जहां इसे ऊर्जा क्षेत्र में सरलता से समायोजित करने के लिए अर्पित नीतियों की आवश्यकता है।
- नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों, उन्नत ग्रिड समायोजन, ऊर्जा नीति निर्णय ओं में लचीलापन एवं समन्वय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति फ्रेमवर्क द्वारा देशभर में संस्थागत ऊर्जा नीतियों के समन्वय को भी प्रोत्साहित करती है।
- भारत ने हाल ही में वाणिज्य खनन कार्यक्रम शुरू किए हैं। आईएईए की रिपोर्ट क्षेत्र में भारत की भविष्य की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण साबित होगी।
- भारत में ऊर्जा क्षेत्र के उद्देश्यों को विशेषकर विद्युत बाजार की डिजाइन तथा गैर नवीनीकृत ऊर्जा के उद्देश्य राज्य एवं केंद्रीय सरकार के मध्य नीतियों के एक मजबूत समन्वय में के बिना संभव नहीं है, अतः इस मौके पर मजबूत समन्वय में आवश्यक है।
- रिपोर्ट भारत को अपने नागरिकों के लिए गैर नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों की पहुंच बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों को डिजाइन करने में मदद करेगी।

उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड

समाचार –

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रस्तावित उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड को वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में 5559 करोड़ रुपए की राशि देना स्वीकार किया है।
- परियोजना की कुल कीमत के 60 प्रतिशत के बराबर वायबिलिटी गैप फंडिंग को स्वीकृति दी गई है तथा यह एयरपोर्ट कैपिटल कॉस्ट वेरिएशन से जुड़ी नहीं रहेगी। भारत के इतिहास में यह केवल दूसरा अवसर है जब सरकार ने किसी गैस पाइपलाइन को सीधे फंड किया है।
- गैस पाइपलाइन को फंडिंग, भारत सरकार के, भारत की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस के हिस्से को 2030 तक वर्तमान 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर देने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है।

परियोजना

- 2016 में भारत सरकार ने 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा गैस पाइपलाइन, जिसे वर्तमान में गिल द्वारा बनाया जा रहा है, के लिए परियोजना की कुल कीमत का 40 प्रतिशत के बराबर मदद की।
- गेल जेएचडीडीपीएल परियोजना जिसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है के अंतर्गत बरौनी से गुवाहाटी के मध्य एक 750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बना रहा है। इस पाइपलाइन के इंद्रधनुष ग्रेट द्वारा उत्तर पूर्व से जोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है।
- इसके अलावा भारत की सभी पाइपलाइंस सार्वजनिक किया प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा फंडेड होती है।

उत्तर पूर्वी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड –

- इसे राज्य के स्वामित्व वाले गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम, इंद्रधनुष गैस ग्रिड द्वारा बनाया जाएगा।
- उचित का उद्देश्य राज्य की हाइड्रोकार्बन क्षमता का उपयोग करके क्षेत्र का विकास करना, विकास की रफ्तार को वृद्धि देना तथा स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बनाना है।

- यह 1656 किलोमीटर लंबा परियोजना है जो असम में गुवाहाटी को क्षेत्र के अन्य प्रमुख शहरों जैसे ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इंफाल, आइजोल, अगरतला, शिलांग, सिलचर, गंगटोक तथा नुमालीगढ़ से जुड़ेगा।
- गैस पाइपलाइन ग्रेट को उत्तर भारत के 8 राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा में बनाया जाएगा।

पचासवां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

समाचार –

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पचासवां संस्करण 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में संपन्न हुआ।

बैठक के प्रमुख अंश –

- इस वर्ष बैठक का विषय – संसक्त एवं धारणीय विश्व के हितधारक (अंग्रेजी में स्टेकहोल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड) था। बैठक में वैश्विक आर्थिक मंदी, बहुपक्षता, 2030 के लिए स्थाई लक्ष्यों तथा पेरिस समझौते जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया।
- यह वार्षिक बैठक, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, वैश्विक, क्षेत्रीय एवं औद्योगिक उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए विश्व के प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक है।
- विश्व भर से आए नेताओं ने 2020 को, 'डिकेड ऑफ डिलीवरी' बनाने के लिए हितधारको के उत्तरदायित्व एवं निजी तथा सरकारी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक नेताओं का यह मत है की वैश्विक प्रगति एवं संपन्नता का अगला दौर स्थाई विकास एवं ग्रीन इकोनामी में निवेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है।
- यह भी महसूस किया गया कि, संयुक्त राष्ट्र स्थाई विकास लक्ष्यों में निवेश कर विशेषकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, मल्टी ट्रिलियन डॉलर के अवसर उपलब्ध है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने संसाधनों की दक्षता बढ़ाने, उत्सर्जन को कम करने तथा लगातार चौथे वर्ष क्लाइमेट न्यूट्रल रहने के नए प्रयासों पर भी गौर किया।
- इस दशक के अंत तक 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने तथा संभालने के प्रयासों को मदद करने के लिए 1t-org नामक एक नए संस्थान की स्थापना की गई।
- फोरम ने, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मूल्यांकन, डिजाइन तथा संभावित शुरुआत के लिए 40 केंद्रीय बैंक को, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तथा अनुसंधानकर्ताओं के साथ साझेदारी की है।
- विश्व इकोनॉमिक फोरम ने, बोर्ड मेंबर्स द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के नतीजों को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर एक एआई टूल किट का निर्माण भी किया है।
- साइबर अपराधों के खिलाफ एक वैश्विक मंच बनाने के लिए, साइबर सुरक्षा एवं सेवाओं कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, इंटरपोल तथा यूरोपोल ने विश्व इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर काम करना तय किया है।
- टेलीकम्युनिकेशन हितधारको के एक समूह जिसमें बीटी एवं सिंगटेल शामिल है ने अधिक मात्रा में किए जाने वाले साइबर हमलों, जिससे 180 देशों के लगभग 1 बिलियन लोगों को बचाया जा सकता है को रोकने के लिए नए प्रावधानों को पेश किया है।
- समावेशी तथा स्थाई उन्नति के लिए विश्व इकोनॉमिक फोरम एवं वीसीडी के मध्य एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 99 अर्थव्यवस्थाओं के मध्य विश्व व्यापार संगठन में निवेश के नए अंतरराष्ट्रीय समझौतों के संदर्भ में कई वार्ताओं की घोषणा की गई है।
- खनन एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कुछ 42 संस्थानों जिनका कुल आय 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, के मध्य डिसेबिलिटी प्लेटफार्म पर आधारित स्थाई बैटरी वैल्यू चेन के लिए बैटरी पासपोर्ट के लिए 10 नियमों पर स्वीकृति बनी है।
- बहरीन, ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, भारत, ओमान, पाकिस्तान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, तथा अमेरिका के साथ–साथ व्यापारिक सहयोगियों जैसे सेल्स फोर्स, इंफोसिस तथा लिंक्डइन को मदद करके 2030 तक 1 बिलियन लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल एवं नौकरियां प्रदान करने के लिए, कौशल निर्माण की शुरुआत की गई।
- इंटरनेशनल बिजनेस काउँसिल द्वारा विश्व की 140 सबसे बड़ी कंपनियां, जो कॉमन माइट्राइसिस एवं डिस्क्लोजर के एक कोर सेट को विकसित करने में मदद करने के लिए तैयार हुई है, को साथ में लाया जा रहा है, जिसका उपयोग निजी क्षेत्रों द्वारा प्रमुख पर्यावरण सामाजिक एवं गवर्नेंस संबंधी उद्देश्यों पर किए गए कामों को विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।

- रिपोर्ट श्रम बाजार के कई मुद्दों जैसे बेरोजगारी, श्रम के क्षमता से कम उपयोग, गरीबी, आय में असमानता, आय में मजदूरों की हिस्सेदारी तथा लोगों को प्रतिष्ठित कार्यों से वंचित रखने के कारको का विश्लेषण करती है।
- 2019 में विश्व में बेरोजगारों की कुल संख्या 188 मिलियन रही है तथा इसके 2020 में 2.5 मिलियन हो जाने की संभावना है।
- 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग 267 मिलियन युवा युवाओं को किसी भी प्रकार का रोजगार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है एवं इससे कहीं और अधिक लोगों को खराब स्थितियों में काम करना पड़ता है।
- 81 मिलियन लोगों को रोजगार में कमी का सामना करना पड़ता है अर्थात उन्हें जितना काम चाहिए उतना नहीं मिल पाता या फिर श्रम बाजारो तक उनकी पहुंच नहीं होती।
- विश्व की कुल श्रम क्षमता का 60 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है।

बेरोजगारी को कम करने के उपाय की अनुशंसा –

- राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में विकास गरीबी में कमी करने तथा कार्य के अवस्था में सुधार लाने की ओर हो।
- रिपोर्ट, तकनीकी विकास, ढांचागत बदलाव था वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर विविधता की अनुशंसा भी करती है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल

समाचार –

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश में नवोन्मेष एवं स्टार्टअप की परिस्थिति को पोषित करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की है।
- काउँसिल छात्रों एवं अन्य लोगों में नवोन्मेष की संस्कृति को उत्पन्न करने के उपाय बताएगी।
- काउँसिल सार्वजनिक संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने उसकी रक्षा करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के वाणिज्यकरण में मदद करने के उपायों को शुरू करेगी तथा नियामक आवश्यकताओं एवं खर्चो को कम करके व्यापार ओ को चलाने आगे बढ़ाने एवं बनाए रखने में मदद करेगी।
- काउंसिल जिसके प्रमुख वाणिज्य मंत्री होंगे में केंद्र द्वारा नामित गैर कार्यकारी सदस्य, सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, ऐसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने भारत में बड़ी कंपनियों की शुरुआत की है तथा क्षेत्र के अन्य सक्षम एवं समर्थ व्यक्ति शामिल होंगे।
- केंद्र द्वारा नामित गैर कार्यकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट (वैश्विक निवेश प्रवृत्ति पर्यवेक्षण रिपोर्ट)

समाचार –

- यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की गई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रेट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत वृद्धि के बाद 49 बिलीयन डॉलर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ इसे प्राप्त करने वाले विश्व के 10 अग्रणी देशों में रहा।
- दूसरी और विश्व का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बिना किसी अधिक बदलाव के 2018 के 1.41 ट्रिलियन डॉलर के स्तर की तुलना में 2019 में 1.39 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर रहा।
- संपूर्ण दक्षिण एशिया का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक अर्थात 60 बिलियन डॉलर जिस में भारत का योगदान महत्वपूर्ण था। अधिकतर निवेश सेवा क्षेत्र विशेषकर सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र में किया गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला राष्ट्र रहा तथा उसके बाद 140 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ चीन एवं 110 बिलियन डालर के निवेश के साथ सिंगापुर रहे।
- यूरोपीय संघ में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15 प्रतिशत गिरकर 305 बिलीयन अमेरिकी डॉलर हो गया जबकि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 0 प्रतिशत की वृद्धि रही जो पिछले वर्ष के 251 बिलियन डॉलर की तुलना में इस वर्ष 254 बिलियन डॉलर रहा।

विश्व इकोनॉमिक फोरम के कौशल निर्माण के प्रयास

समाचार –

- भारत सरकार विश्व इकोनॉमिक फोरम के, रिस्की लिंक रिवॉल्यूशन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 2030 तक 1 बिलियन लोगों को बेहतर शिक्षा कौशल एवं काम के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया।
- योजना का लक्ष्य राष्ट्रों को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक कौशल से परिपूर्ण श्रम की उपलब्धता प्रदान करना है।
- संस्थापक सदस्यों में ब्राजील फ्रांस भारत–पाकिस्तान रूस संयुक्त अरब अमीरात एवं अमेरिका जैसे देशों के अलावा कई व्यापारिक साझेदार जैसे पीडब्ल्यू सी, सेल्स फोर्स, मैनपावरग्रुप इंफोसिस, लिंक्डइन, कॉसेरा तथा अडेको समूह शामिल है।
- इस अवसर पर विश्व इकोनॉमिक फोरम ने, 'जॉब्स ऑफ टुमारोः मैपिंग अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इकोनामी' नामक रिपोर्ट भी प्रकाशित की। इसके निर्माण में संस्थान ने लिंक्डइन, और कॉसेरा ईक, बर्निंग ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ कार्य किया तथा सात उबरते हुए व्यवसायिक क्षेत्रों एवं उनमें तेजी से बढ़ती 96 नौकरियों के क्षेत्रों का पता लगाया है।

असमानता नियंत्रण से बाहर हैः ऑक्सफम

- अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी संस्था ऑक्सफैम ने वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए 'टाइम टू केयरः अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क एंड इग्लोबल इनिक्वालिटी क्राइसिस' नामक एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने यह रेखांकित किया है कि अत्यंत गरीबी के साथ अत्यंत अमीरी के अस्तित्व के कारण आर्थिक असमानता नियंत्रण के बाहर हो चुकी है।
- यह महान असमानता एक विकृत आर्थिक ढांचे जिसने कुछ चंद लोगों को मजदूरों एवं महिलाओं शोषण करके तथा संस्थागत तरीके से उनके अधिकारों का हनन करके अत्यधिक धन इकट्ठा करने की अनुमति दे रखी है, के कारण पैदा हुई है।
- भारत में सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों के पास देश के सबसे गरीब 953 मिलियन लोग जो देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत के बराबर है, से 4 गुना अधिक धन है।
- वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अत्यंत गरीबी की दर 4 प्रतिशत अधिक है महिलाओं के सर्वाधिक कार्यशील एवं मातृत्व वाले वर्षों में गरीबी की यह दर बढ़कर 22 प्रतिशत के बराबर हो जाती है अर्थात 25 से 34 आयु वर्ग के प्रति 100 पुरुषों की तुलना में 122 महिलाएं मुख्यतः मातृत्व जिम्मेदारियों के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करती है।

Z मोड़ सुरंग

समाचार –

- एनएचआईडीसीएल एवं ऐपको अमरनाथ जी टनलवे के मध्य जम्मू–कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- जेड मोड़ सुरंग सभी मौसम में जम्मू एवं कश्मीर के सोनमर्ग पर्यटन केंद्र तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस रूट का वर्तमान रास्ता सर्दियों के दिनों में बहुधा गागेंगर क्षेत्र में बंद रहता है।
- समझौते के अनुसार पेरेलेल स्केप सुरंग के साथ दोनो दिशाओं की सुरंग को 3. 5 वर्ष में 2379 करोड़ रुपए के खर्च में बनाया जाएगा।
- परियोजना में डिजाइन, निर्माण, वित्त, कार्य तथा ट्रांसफर एन यू टी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1, श्रीनगर–सोनमर्ग–गुमरी मार्ग के 61 किलोमीटर से 89.30 किलोमीटर के भाग निर्माण एवं रखरखाव को भी शामिल किया गया है।

सोने पर हॉल मार्किंग की अनिवार्य शर्तें

समाचार –

- सरकार ने 15 जनवरी 2021 से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार आभूषण निर्माताओं एवं विक्रेताओं के पास पुराने स्टॉक की खपत करने एवं अपने आप को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में पंजीकृत करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है।
- सरकार के इस कदम से सोने के आभूषणों को खरीदने वक्त ग्राहकों को ठगा नहीं जा सकेगा।
- गोल्ड हॉल मार्किंग एक शुद्धता प्रमाण किंतु वर्तमान में यह अनिवार्य नहीं है। बीआईएस ने पहले ही अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना शुरू की है एवं वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत आभूषण हॉलमार्क वाले है।
- ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सोने की हॉलमार्किंग के तीन स्तर बनाए हैं पहला 14 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट एवं तीसरा 22 कैरेट का।

- वास्तव में सरकार खुदरा विक्रेताओं के लिए इन तीन स्तरों की कीमतों को डिस्प्ले में लगाना अनिवार्य कर सकती है।
- पिछले वर्ष पारित बीआईएस अधिनियम के अनुसार नियमों का पालन ना करने वालों के लिए कम से कम एक लाख रूपये या आभूषण की कीमत के 5 गुने के बराबर जुर्माने तथा 1 साल के कारावास का प्रावधान है।

कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क

समाचार –

- भारत ने कच्चे रिफाइंड, ब्लीच एवं डिओडराइजर पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क में कमी की है तथा साथ ही साथ आरबीडी को आयात की 'फ्री' सूची से हटाकर 'सीमित' सूची में डाल दिया गया है।
- सरकार द्वारा यह कदम मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा भारत के आंतरिक विषयों जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के विशेष स्तर को समाप्त करना एवं नागरिक संशोधन अधिनियम पर की गई टिप्पणियों पर विरोध जताने के लिए उठाया गया है।
- मलेशिया ने 2017 से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, दुर्भावना पूर्ण भाषण तथा आतंकवादियों से उनके संबंधों के कारण 'वांटेड' इस्लामिक गुरु जाकिर नाइक को शरण भी दे रखी है।

विवरण –

- इंडोनेशिया मलेशिया मिलकर विश्व के 85 प्रतिशत पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं तथा भारत उनके बड़े खरीददारों में से एक है।
- इंडोनेशिया मलेशिया दोनों ही रिफाइंड ऑयल का उत्पादन करते हैं किंतु मलेशिया के पास अपने पाम आयल के उत्पादन के बराबर रिफाइनरी की क्षमता है इसलिए वह अधिक पाम ऑयल निर्यात करना चाहता है।
- क्रूड ऑयल में फैटी एसिड्स, गोंद एवं मोम जैसे तत्व पाए जाते हैं। रिफायनिंग एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती है तथा इन तत्वों को फिल्टर कर देती है।
- फिल्टर किए हुए तेल को ब्लीच किया जाता है ताकि बार–बार उपयोग करने के कारण तेल अपना रंग ना बदले।
- तेल में दुर्गंध पैदा करने वाले तत्व को शारीरिक किया रासायनिक तरीकों से हटाया जाता है।
- संपूर्ण प्रक्रिया 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत को 4 प्रतिशत तक बढ़ा देती है।
- इसके अलावा कच्चे तेल के यातायात का भी खर्च होता है जिस कारण रिफाइंड पाम ऑयल को आयात करना सस्ता होता है।
- रिफायनिंग उद्योग यह चाहता है कि रिफाइंड पाम ऑयल पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया जाए जिससे कच्चे पाम तेल का आयात रिफाइंड पाम तेल के आयात से सस्ता हो जाए। इस कदम से घरेलू रिफाइनरी जैसे अदानी विल्मर ग्रुप इत्यादि को लाभ होगा।

वित्तीय समावेशन के लिए पंचवर्षीय राष्ट्रीय रणनीति

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंसियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमिटी (एफआईएसी) के मार्गदर्शन में वित्तीय समावेशन के लिए पंचवर्षीय (2019–24) राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है।
- एनएसएफआई ने वित्तीय क्षेत्र के सभी हितधारको को साथ में लेकर वित्तीय समावेशन के प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर भारत में वित्तीय समावेशन के प्रसार एवं पहुंच को बनाने के उद्देश्य से कुछ लक्ष्यों को निश्चित किया है।
- वर्तमान में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन–धन योजना 10 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लोगों पर लागू होती है एवं वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक अकाउंट, ऋण इंश्योरेंस पेंशन इत्यादि तक लोगों की आसान पहुंच बनाने के उद्देश्य से कार्यरत है।
- 2030 का एसडीजी 7 भी विश्व भर में स्थाई विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है।

ऊर्जा के भविष्य पर बैठक (वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट)

समाचार –

- वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आबू–धाबी नेशनल एग्जिबिशन सेंटर में 13 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुई।
- बैठक में ऊर्जा उत्पादन के स्वच्छ तरीकों, पानी के स्थायीकरण तथा डिजिटल तकनीक के शहरी पर्यावरण के स्तर को सुधारने में मदद में उपयोग, पर चर्चा की गई।

- इस समिति के साथ–साथ क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज तथा फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी समिति का भी आयोजन किया गया।
- इसमें 170 देशों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष समिट का विषय 'रिथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट', था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ऊर्जा एवं स्थाई विकास बैठक होती है।
- इस बैठक में अच्छी आदतों को बढ़ाने, रीसाइकलिंग द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने तथा एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने में किए गए प्रयासों से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
- बैठक में भविष्य की ऊर्जा, भोजन, कृषि एवं अंतरिक्ष में स्थाई विकास जैसे मुद्दों से संबंधित 128 देशों से शामिल 1402 नवोन्मेष उत्पादों में से सबसे अच्छे 42 उत्पादों को भी दिखाया गया।

ऑपरेशन ट्विस्ट

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी प्रतिभूतियों के 10 वर्षीय प्राप्तियों को नीचे लाने एवं मौद्रिक हस्तांतरण के लिए अपनी खुले बाजार की विशेष प्रक्रियाओं में सरकारी प्रतिभूतियों के एक साथ खरीद एवं बिक्री के तीसरे दौर की शुरुआत की।
- प्रतिभूतियों की खरीद लंबे समय की प्रतिभूतियों की प्राप्तियों को नीचे लेकर आएगी वही थोड़े समय की प्रतिभूतियों की बिक्री उनकी प्राप्तियों को बढ़ाएगी।
- ऑपरेशन ट्विस्ट किसी भी केंद्रीय बैंक का वह कदम होता है जिसमें वह लंबे समय की प्रतिभूतियों को खरीदता है एवं थोड़े समय की प्रतिभूतियों को बेचता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य प्राप्ति वक्र का प्रबंधन होता है।
- केंद्रीय बैंक जैसे यूएस फेडरल रिजर्व भी इस तरह के कदम उठाते हैं। प्राप्ति वर्क के उभार को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह का गैर–पारंपरिक कदम पहली बार उठाया है।

औद्योगिक उत्पादन बढ़ा

समाचार –

- 3 महीनों की कमी के बाद नवंबर 2019 निर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन 1.8 प्रतिशत बढ़ा।
- भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2018 में 0.7 प्रतिशत की कमी के विपरीत नवंबर 2019 में विनिर्माण क्षेत्र में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक नवंबर 2018 में पॉइंट 2 परसेंट बढ़ गया।
- नवंबर 2018 में 5.1 प्रतिशत वृद्धि के विपरीत विद्युत उत्पादन नवंबर 2019 में 5 प्रतिशत की कमी पर रहा। खनन क्षेत्र भी नवंबर 2019 में 1.7 प्रतिशत के स्तर पर रहा जो नवंबर 2018 के 2.7 प्रतिशत के स्तर से काफी कम था।
- अप्रैल से नवंबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि 0.6 प्रतिशत रही जो 1 वर्ष पहले इसी समय अंतराल के लिए 5 प्रतिशत थी।

गवर्नमेंट एंड कांट्रेक्टर ऑपरेटेड (गोको) मॉडल –

समाचार –

- भारतीय सेना ने अपने बेस वर्कशॉप तथा हथियार डिपो में कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्मेंट एंड कांट्रेक्टर ऑपरेटेड मॉडल अपने के लिए उद्योग जगत से संभावित साझेदार को ढूंढने की प्रक्रिया शुरु की है।
- गोको मॉडल युद्ध क्षमता में वृद्धि करने एवं रक्षा खर्चों में पुनर संतुलन बनाने के लिए निर्मित की गई लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर समिति की अनुशंसाओं में से एक है।
- गोको मॉडल में सरकार की संपत्तियों को निजी उद्योगों द्वारा चलाया जाएगा।
- गोको मॉडल के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों को जमीन मशीनरी एवं अन्य कार्यों में अपना धन निवेश नहीं करना होगा।
- मिशन को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा क्षेत्र को उसे पूर्ण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी।
- सर्विस प्रदाता कंपनी को भारत की एक रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए, वांछित क्षेत्र में उसका अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए।

शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी मर्यादित बैंक

- भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी मर्यादित बैंक को लघु वित्त बैंक में बदलने पर सिद्धांत अनुमति दे दी है।
- इस तरह के बदलाव वाला शिवालिक मर्केंटाइल पहला बैंक होगा क्योंकि इस तरह के बदलावों के लिए दिशा निर्देश लगभग 2 वर्ष पहले ही दिए गए हैं।
- सितंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के लघु वित्तीय बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन की योजना लेकर आया।
- योजना के अनुसार बैंक के प्रमोटर्स को बैंकिंग एवं वित्त के 10 वर्ष के अनुभव के साथ भारत का निवासी भी होना चाहिए।
- प्रमोटर या प्रमोटर समूहों को सेबी नियमों 2009 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर खरा उतरना होगा।

दिसंबर 2019 में शीत सत्र में स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत विधेयक

समाचार –

- लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंसॉल्वेंसी एंड बेंकरप्सी कोड विधायक को जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्थाई समिति जिसके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदस्य हैं के समक्ष प्रस्तुत किया है।
- इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी तथा उसके बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।
- बिल में कई सुधार प्रस्तावित है जिससे दिवालिया कंपनी को खरीदने वाले समूहों को पुराने मालिकों द्वारा किए गए किसी आपराधिक कार्यों की पकड़ से बचाया जा सके।
- अध्यक्ष ने मैरिटाइम पायरेसी बिल जिसके अंतर्गत समुद्र में लूटपाट करने के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान है, को भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली बाहरी मामलों के संसदीय स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इसे लोकसभा में 9 दिसंबर को पेश किया गया था।
- इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 विधेयक तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2019 को भी श्रम की स्थाई समिति के पास जांच के लिए भेजा गया।
- पालको एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख एवं कल्याण (संशोधन), विधेयक 2019 को भी अजीत न्याय एवं सशक्तिकरण की स्थाई समिति के पास जांच के लिए भेजा गया।

भारत के 2026 में जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की संभावना– रिपोर्ट

समाचार –

- यूनाइटेड किंगडम स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) के अनुसार भारत 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एवं 2034 तक जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी जाने की संभावना भी है जो भारत सरकार के 2024 के लक्ष्य से 2 वर्ष पीछे है।
- भारत 2019 में फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 15 वर्षों में जापान जर्मनी एवं भारत में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल सीबीआर एवं ग्लोबल कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव के साझा प्रयासों से प्रकाशित होने वाली वार्षिक गणना है। 2019 के लिए आंकड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से लिए गए थे।

ऊर्ध्वाधर कृषिः कृषि क्षेत्र में मौन क्रांति

- ऊर्ध्वाधर कृषि कृषि उत्पादन में एक उभरती हुई मौन क्रांति है।
- यह नियंत्रित वातावरण में कृषि उत्पादों को ऊर्ध्वाधर उगाने की प्रक्रिया है।
- ऊर्ध्वाधर कृषि में पौधों को भवनों के अंदर मिट्टी के उपयोग या उसके उपयोग के बिना उगाया जाता है। इससे कृषि की अत्यधिक होने वाली वर्षा, अत्यधिक तेज हवा तथा शुष्क वातावरण से रक्षा होती है।
- पारंपरिक कृषि की तुलना में इस कृषि में उत्पादन भी अधिक होता है क्योंकि इसमें कृषि करने की दो तकनीको हाइड्रोपोनिक्स एवं एरोबिक्स का उपयोग किया जाता है।

- ऊर्ध्वाधर कृषि करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कुछ ढांचे भवन, शिपिंग कंटेनर, अंडरग्राउंड सुरंग एवं त्याग दिए गए खनन क्षेत्र हो सकते हैं।

पहला सौर ऊर्जा प्लांट तथा जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ने की योजना

समाचार –

- भारतीय रेल ने जोनल रेलवे को 2021–22 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 200 मेगावाट वायु ऊर्जा प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा कश्मीर को दिसंबर 2021 तक रेलवे नेटवर्क द्वारा बाकी भारत से जोड़ दिया जाएगा।
- भारतीय रेलवे ने सौर एवं वायु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने रेलवे के भवनों की छतों पर नॉन ट्रेक्शन लोड प्राप्त करने के लिए 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाना निश्चित किया है।

असम इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट परियोजना

समाचार –

- भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक ने असम के ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियों में चलने वाले पैसेंजर फेरी सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस परियोजना से असम के पैसेंजर फेरी सेक्टर में क्षमता संवर्धन होगा। बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए टर्मिनल एवं ऊर्जा दक्ष वाहन शायरी सेवाओं को अधिक स्थाई एवं पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाला बनाएंगे।
- यह परियोजना बड़ी संख्या में यात्रियों एवं माल की आवाजाही के लिए एक आधुनिक, दक्ष एवं सुरक्षित रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद करेगा।

अपना यूरिया सोना उगले

समाचार –

- देश को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले की शुरुआत की है।
- एच यू आर एल, तीन महारत्न कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड, एन पी सी लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलित एक संयुक्त उद्यम है।
- 2016 में सरकार ने तीन बीमार यूरिया प्लांट्स जो गोरखपुर सिंदरी एम बरौनी में स्थिति के उद्धार की योजना बनाई तथा एच यू आर एल ने इनका अधिग्रहण कर लिया। दो और प्लांट जो रामागुंडम एम तालचेर में स्थित है भी जल्दी ही अपना उत्पादन शुरू कर देंगे।
- देश प्रतिवर्ष 70 से 80 लाख मैट्रिक टन उर्वरक आयात करता है।
- इन 5 यूनिटों की शुरुआत के बाद देश में यूरिया का उत्पादन बढ़कर प्रेशर लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगा जिस से आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।

लद्दाखः आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं का विकास

समाचार –

- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं नीति आयोग में आधारभूत ढांचे के परियोजनाओं के विकास के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- नीति आयोग अपने मुख्य कार्यक्रम 'डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स फॉर इन्फ्राट्रक्चर परियोजना्स' द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को मदद करेगा।
- इस साझेदारी दौरा महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान तथा उनके कार्यों में तेजी, ढांचागत समस्याओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के साथ–साथ लद्दाख के विकास के लिए एक अद्वितीय मॉडल के निर्माण में मदद मिलेगी।

देश के बाहर से सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य केंद्रीय बैंकों की सूची में छठा स्थान प्राप्त हुआ

समाचार –

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाकर 425 बिलीयन डॉलर करते हुए अक्टूबर 2019 में 7.5 टन सोने की खरीदारी की।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पास 625.2 टन सोना है जो उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 6.6 प्रतिशत है।
- दूसरे केंद्रीय बैंकों की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक कम सोना खरीदता है फिर भी इसके द्वारा सरकार के संप्रभु स्वर्ण बांड को हज करने के लिए 2019 के पहले 10 माह में 25.2 टन सोने की खरीद के कारण छठे स्थान पर है।

- 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर चीन, रूस, कजाकिस्तान, टर्की तथा पोलैंड के केंद्रीय बैंक है।
- यह रिपोर्ट केंद्रीय बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को साझा किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

पर्यावरण

इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स

समाचार –

- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, गंगा की सहायक नदियों पर स्थित 11 हाइड्रोपावर परियोजनाओं में से चार गंगा इकोलॉजिकल फ्लो नियमों के विरुद्ध है।
- यह चार हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएं है –
  1. विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना अलकनंदा
  2. श्रीनगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना अलकनंदा
  3. मनेरी भाली फेस 2 भागीरथी
  4. पशुलोक गंगा मेन स्ट्रीम
- गंगा इकोलॉजिकल फ्लोर नियमों का पालन ना होनेका अर्थ है परियोजनाओं का बंद होना या फिर भारी भरकम जुर्माना।

गंगा नदी न्यूनतम प्राकृतिक प्रवाह के नियम –

- केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गंगा नदी के विभिन्न स्थानों पर गंगा नदी के न्यूनतम प्राकृतिक प्रवाह की मात्रा को निश्चित किया था।
- ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि गंगा नदी के प्रवाह को विभिन्न परियोजनाओं द्वारा सिंचाई, विद्युत, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित कर लिए जाने के पश्चात भी एक न्यूनतम प्राकृतिक प्रवाह बना रहना चाहिए।
- यह गंगा नदी के अविरल प्रवाह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।
- किसी नदी के प्राकृतिक प्रवाह वह स्वीकृत प्रवाह होता है जो नदी को प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
- केंद्रीय जल आयोग, नदियों के प्रवाह के नियमन पर्यवेक्षण देखरेख तथा यदि आवश्यकता हो तो उचित प्राधिकरण को रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार संस्थान है। यह आपातकाल में जल संग्रहण के नियमों संबंधी निर्णय भी लेता है।

ऊर्जा कंपनियां प्राकृतिक प्रवाह नियम –

- केंद्रीय जल आयोग की प्राकृतिक प्रवाह नियम अधिसूचना अक्टूबर 2018 से प्रभाव में आती है एवं कंपनियों को अपने डिजाइन में सुधार करने के लिए 3 वर्षों का समय दिया जाता है। ऊर्जा कंपनियां सामान्यत अधिक उर्जा उत्पन्न करने के लिए पानी को गैरकानूनी तरीके से जमा कर लेती हैं।
- सितंबर 2019 में सरकार ने इस डेडलाइन को अक्टूबर 2021 से कम करके दिसंबर 2019 कर दिया।
- ऐसा केंद्रीय जल आयोग द्वारा यह रिपोर्ट देने के बाद किया गया कि अधिकतर ऊर्जा परियोजना में नियमों का पालन तुरंत किया जा सकता है एवं इसके लिए 3 वर्षों की आवश्यकता नहीं है।

रामसर साइट्स

समाचार –

- वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखने के लिए रामसर ने भारत की 10 और आद्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घोषित किया है।
- महाराष्ट्र में पहली रामसर साइट नंदूर मध्यमेश्वर में घोषित की गई।
- पंजाब में रामसर साइट्स की संख्या 3 और बढ़ गई (केशवपुर मियानी, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व तथा नांगल)
- उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 6 और बढ़ गई (नवाबगंज, पार्वती आगरा, सामन, समसपुर, संधि एवं ससई नवार)
- इसके साथ ही भारत में अब रामसर साइट की संख्या 37 हो गई है तथा इन साइट्स द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्रफल 1067940 हेक्टेयर हो गया है।
- रामसर कन्वेंशन पर 1971 में विश्व में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आद्र भूमि ओके नेटवर्क को बनाने के लिए हस्ताक्षर किया गया था।
- रामसर साइट द्वारा घोषित आर्द्रभूमि को कन्वेंशन केकड़े दिशानिर्देशों द्वारा संरक्षित किया जाता है।

अफ्रीकन चीता को भारत में बसाया जाना

समाचार –

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पहले उच्चतम न्यायालय को यह बताया था कि अफ्रीकी चीता को नामीबिया से भारत में लाया जाएगा एवं नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में रखा जाएगा।
- इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने मंजूरी दे दी है।
- किसी प्रजाति के पुर्नवसन का अर्थ है किसी ऐसे क्षेत्र में उसे बसाना जहां उसके जीवित रहने की संभावना है।
- बड़े मांसाहारी ओ की प्रजातियों के पुर्नवसन को अब अधिकाधिक खतरे में पाई जाने वाली जाने वाली प्रजाति के संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की रणनीति के रूप में देखा जाता है।
- चीता एकमात्र ऐसा मांसाहारी प्राणी है जो भारत में अत्यधिक शिकार के कारण लुप्त हो गया।
- अब भारत के पास अब इतनी आर्थिक शक्ति है कि वह अपने खो चुकी प्राकृतिक विरासत को नैतिक तथा परिस्थितिकी य कारणों से पुनर्स्थापित कर सकता है।
- भारत में अंतिम चीते की मृत्यु 1948 में छत्तीसगढ़ में हुई थी बाद में 1952 में इसे भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया।
- भारत के वन्य जीव संस्थान देहरादून ने 7 वर्ष पहले भारत में चीते की पुनर्स्थापना के लिए 260 करोड़ के परियोजना की शुरुआत की।
- मध्य प्रदेश में स्थित नौरादेही को चीतों को भारत में बसाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया गया क्योंकि यहां के जंगल बहुत अधिक घने नहीं है जिससे तेजी से दौड़ने वाले प्राणी को यहां अभी खुला स्थान मिलेगा इसके अलावा यहां पर चीते के भोजन के लिए अन्य जानवरों की भी प्रचुर मात्रा उपलब्ध है।

चीता –

- चीता जिस का वैज्ञानिक नाम एसीनोनेक्स जुबातस है बिल्ली प्रजाति का सबसे पुराना प्राणी है जिसके होने के सबूत 5 मिलियन वर्ष पहले मियोसीन एरा तक पाए जाते हैं।
- यह भूमि पर रहने वाला सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला स्तनपाई है।
- इसे आईयूसीएन की प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है।
- एशियाटिक चीता को आईयूसीएन की रेट लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है तथा ऐसा माना जाता है कि यह केवल ईरान में पाया जाता है।

पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली

समाचार –

- पर्यावरण मंत्रालय ने, ऑनशोर एवं ऑफशोर खुदाई करने वाली तेल एवं गैस कंपनियों के पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में छूट संबंधी अधिसूचना जारी की है।
- ऑनशोर खुदाई में, धरती की सतह पर गहरे छेद किए जाते हैं जबकि ऑफशोर और खुदाई में समुद्र तल की सतह में खुदाई की जाती है।
- खुदाई के इन तरीकों का उपयोग मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल एवं गैस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

कारवार बंदरगाह

समाचार –

- हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कारवार बंदरगाह पर कोई भी गतिविधि ना करने के निर्देश दिए हैं।
- कारवार उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के दक्षिणी ओर स्थित है।
- कर्नाटक के 10 छोटे बंदरगाहों में एकमात्र प्राकृतिक सर्व–मौसम बंदरगाह है।
- इसके एक और अरब सागर तथा दूसरी और पश्चिमी घाट है।
- विभिन्न प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतुओं के कारण इसे कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है।

ऑफिशथस कैलाशचंद्राई

समाचार –

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्ट्यूराईन बायोलॉजी रीजनल सेंटर द्वारा गोपालपुर, उड़ीसा नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में इल सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है।

नई जलीय प्रजाति का नाम, जंतुओं के वर्गीकरण के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक श्री कैलाश चंद्र के सम्मान में ऑफिशथस कैलाशचंद्राई रखा गया है।

- कैलाशचंद्राई इस वर्ग की आठवीं प्रजाति है जिसे भारतीय तट पर पाया गया है।
- गोपालपुर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पिछले 2 वर्षों में खोजी गई यह पांचवी प्रजाति है।
- इस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के केंद्र द्वारा 2019 में दो जलीय इन प्रजातियों गेम्नॉथ्रॉक्स एंडामेनेन्सीस एवं गेम्नॉथ्रॉक्स स्मीथी की खोज भी की गई थी।

ग्रीनपीस रिपोर्ट

समाचार –

- ग्रीनपीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कोयला नगर झरिया (झारखंड) भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा।
- दिल्ली वायु प्रदूषण को कम करने में थोड़ा सफल रहा तथा यह देश का 10 वा सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम राज्य का लुंगली सबसे कम प्रदूषित स्थान रहा तथा उसके बाद मेघालय कर दोकी का स्थान रहा।
- रिपोर्ट देश के 286 शहरों से प्राप्त पीएम10 डाटा के विश्लेषण पर आधारित है।

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020

समाचार –

- दावोस क्लस्टर में 50 वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के 15वें संस्करण को प्रकाशित किया गया।
- रिपोर्ट ने अपने 10 साल के इतिहास में पहली बार यह पाया कि 2020 में विश्व को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े पांच मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं।

रिपोर्ट के मुख्य अंश –

- वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी के बढ़ते हुए खतरे, जलवायु परिवर्तन के जिस गति से होने की उम्मीद थी उससे कहीं अधिक गति से होने एवं साइबरस्पेस में अगली पीढ़ी की तकनीकों के पूर्ण योग्यता के साथ उपयोग ना हो पाने के खतरों के बारे में बताया गया है।
- विश्व को प्रभावित करने वाले पांच सबसे बड़े खतरों में – मौसम के मुश्किल हालात, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का असफल होना, जैव विविधता की हानि तथा मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं को बताया गया है।
- पिछले दशकों में आर्थिक एवं मौद्रिक संकटों को सबसे भयानक बताया गया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, इस शताब्दी के अंत तक विश्व का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना निश्चित है। यह पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा सबसे घातक आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों के होने के लिए बताएं गए तापमान से 2 गुना है।
- समुद्र स्तर बढ़ रहे हैं जंगलों में आग लग रही है तथा राजनीतिक जगत ध्रुवीकृत है है।
- के अनुसार 2020 में आर्थिक संघर्ष एवं घरेलू राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा।

आगे की राह –

- हमारे सामने उपस्थित संकटों का सामना करने के लिए तुरंत सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है लेकिन बटे हुए वैश्विक समाज के बीच दूरियां बढ़ती हुई सी लग रही है।
- अप्रत्याशित वैश्विक स्थितियों में हितधारको को शीघ्रता से कुछ उद्देश्य पर कार्य करना होगा।
- यह वह वर्ष है जिसमें विश्व नेताओं को समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर ना केवल ऊपरी समस्याओं बल्कि सबसे गंभीर समस्याओं का सामना करना होगा।

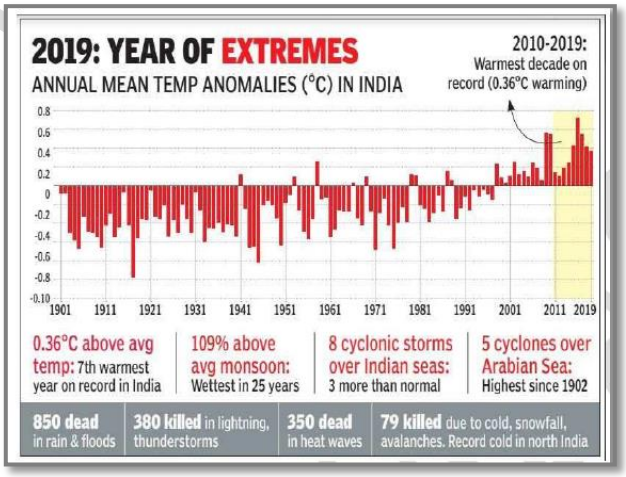

1901 के बाद, 2019 सातवां सर्वाधिक उष्ण वर्ष रहा – आई एम डी

समाचार –

- भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा 6 जनवरी 2020 को प्रकाशित मौसम रिपोर्ट 'स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019' के अनुसार 2019, 1901 के बाद सातवां सर्वाधिक उष्ण वर्ष रहा परंतु ताप सर्वाधिक उसने वर्ष 2016 की तुलना में काफी कम रहा।
- रिपोर्ट में यह भी बताया कि 2010 से 2019 का दशक अब तक का सर्वाधिक उष्ण दशक रहा है।

प्रमुख परिणाम –

- रिपोर्ट के अनुसार मौसम की कठिन परिस्थितियों जैसे हिमस्खलन, बाढ़, अत्यधिक गर्मी एवं आंधी/तूफान के कारण 2019 में 1562 लोगों की मृत्यु हुई।
- अत्यधिक वर्षा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, बिजली गिरने, आंधी एवं तूफान तथा ओलावृष्टि के कारण हुई 650 मौतों के साथ बिहार वर्ष का सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा।
- वर्ष 2019 में भारतीय महासागरों में 8 चक्रवाती तूफान आएं। अरब सागर जिस में चक्रवाती तूफान आने का रिकॉर्ड एक चक्रवर्ती तूफान प्रतिवर्ष रहा है में इस वर्ष 5 चक्रवाती तूफान आएं जो अरब सागर में सर्वाधिक चक्रवाती तूफान आने की संख्या के 1902 के आंकड़ों के बराबर रहा।
- इसके अलावा देश ने कई और मौसम संबंधी आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ताप एवं शीत लहर, बर्फबारी आंधी और तूफान धूल भरी आंधी तथा बाढ़ इत्यादि का सामना भी किया।
- मानसून के पहले, मॉनसून में तथा मॉनसून के बाद के अंतराल में 850 लोगों ने भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण अपनी जान गवाई।
- अल नीनो, जो की मौसम की एक वैश्विक घटना है के कारण वर्ष के प्रथम छह माही में संपूर्ण विश्व में तापमान औसत से अधिक रहा। इस कारण मॉनसून भी विलंब से आया तो था मॉनसून के महीनों में भी गर्मी रही।
- मार्च से जून महीनों के मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी तथा मध्य भाग उठना लहरों की चपेट में रहा।
- दिसंबर माह में 18.76 डिग्री सेल्सियस के माध्य उच्च तापमान के साथ कड़ाके की सर्दी रही जिस कारण 2019, 1901 के बाद दूसरा सर्वाधिक ठंडा वर्ष रहा।

आर्द्रभूमियों के संरक्षण के नए नियम

समाचार –

- पर्यावरण मंत्रालय ने आद्रभूमियों के संरक्षण के नए नियम अधिसूचित किए हैं जिनके अनुसार आद्रभूमियों में उद्योगों की स्थापना तथा प्रसार एवं निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के फेंके जाने पर रोक लगा दी गई है।
- प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को एक प्राधिकरण की स्थापना करना होगी जिसका उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आद्रभूमियों के संरक्षण के लिए रणनीतियों को बनाना तथा उनका बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग करना होगा।
- इन नियमों के प्रकाशित होने के 3 महीनों के भीतर राज्य द्वारा स्थापित यह प्राधिकरण अपने क्षेत्र में आने वाले सभी आद्रभूमियों की एक सूची बनाएंगे।
- वे अधिसूचित आद्रभूमियों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र में की जा सकने वाली या नियमन की गई गतिविधियों की एक व्यापक सूची बनाएंगे।
- वे अधिसूचित आद्रभूमियों की सीमा में भूमि को विकसित करने वाली गतिविधियों के द्वारा इसके पारिस्थितिकी की देखरेख के लिए एक तंत्र की अनुशंसा भी करेंगे।
- मंत्रालय ने आर्द्रभूमि नियमों कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी को साझा करने के लिए एक वेबपोर्टल भी बनाया है जहां केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले आर्द्रभूमि ऑफिस संबंधित उचित जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

क्लाइमेट एंड बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर – सीडीपी इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2019

समाचार –

- निवेशकों तथा कंपनियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्थान कार्बन डिस्क्लोजर परियोजना द्वारा 'क्लाइमेट एंड बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर– जीडीपी इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2019' का प्रकाशन किया गया है।
- संस्थान ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाने के लिए विश्व भर की कुल 6900 कंपनियों का सर्वे किया। विश्व पूंजी में इन कंपनियों की भागीदारी 55 प्रतिशत के बराबर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार जगत की विज्ञान आधारित लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में सर्वे किए गए देशों में भारत का स्थान पांचवां रहा।

- अमेरिका 135 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर जापान 83 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम 78 कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर तथा फ्रांस 51 कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर रहा।

भारत ओजोन परत के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक रसायन में से एक के उपयोग को संपूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल रहा

समाचार –

- भारत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन लेयर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 141 बी जिसका उपयोग फॉर्म निर्माण के लिए किया जाता है के उपयोग को संपूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल रहा है।
- हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141 बी का उपयोग मुख्यतः पॉलियूरेथीन फॉम के निर्माण में ड्राइंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
- देश में हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 141 बी के उपयोग को समाप्त करने के दो पर्यावरणीय लाभ होंगे, पहला, इससे समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को सुधारने में मदद मिलेगी और दूसरा फॉर्म निर्माण में उपयोग की जाने वाली वैकल्पिक तकनीको जिन से पर्यावरण को कम नुकसान होता है के उपयोग द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में होगा।

विश्व का जलवायु विज्ञान में विश्वास कम, भारतीय जलवायु विज्ञान में सबसे अधिक विश्वास करने वाले लोग– वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे

समाचार –

- बेहतर पर्यावरण शिक्षा तथा कौशल संवर्धन की शीघ्र आवश्यकता पर हुए विश्व इकोनॉमिक फोरम की 50 बी बैठक में यह दर्शाया गया है कि विश्व के लोगों का जलवायु विज्ञान में विश्वास कम हुआ है तथा वह जलवायु परिवर्तन के लिए इंसानों को अत्यधिक जिम्मेदार मानते हैं।
- परिणामों को दो भागों में प्रस्तुत किया गया है पहला टुवर्ड्स 'ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड' एवं दूसरा 'टुवर्ड्स मोर कोहेसिव वर्ल्ड' तथा यह वार्षिक बैठक के वर्ष 2020 के विषय भी थे।
- 'टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड' सर्वे ने यह पाया कि भारतीय जलवायु विज्ञान में सबसे अधिक विश्वास करने वाले लोग हैं तथा इनके बाद बांग्लादेशियों एवं पाकिस्तानियों का स्थान आता है। शेष पांच स्थानों में इनके अलावा चीन एवं टर्की का स्थान आता है। रूस एवं यूक्रेन का जलवायु विज्ञान में विश्वास सबसे कम है।
- 'टुवर्ड्स ए मोर कोहेसिव वर्ल्ड' में यह पाया गया कि अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के बाहर अधिकतर लोग अच्छी शिक्षा अभी या उससे कम जनसंख्या का एक विशेष अधिकार मानते हैं। सर्वे में यह भी पाया गया कि अधिकतर लोगों का यह मानना था कि स्कूल छात्रों को नौकरियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करते हैं।

चिल्का झील की वार्षिक गणना में 146 डॉल्फिन पाई गई

- राज्य के वन्यजीव अधिकारियों एवं अनुसंधानकर्ताओं ने डॉल्फिन की वार्षिक गणना में यह पाया कि 1165 वर्ग किलोमीटर में फैली भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील में कम से कम 146 इरावडी डॉल्फिन है।
- चिल्का झील धीरे तैरने वाली इरावडी डॉल्फिन का विश्व में एकमात्र बड़ा रहवास है। इरावडी डॉल्फिन का नाम म्यानमार की इरावडी नदी के ऊपर रखा गया है जहां इसे पहली बार देखा गया था। की लंबाई 6 से 9 फिट होती है इनका माथा उभरा हुआ होता है जो छोटी एवं इनके जबड़े में दोनों तरफ पारा से 19 दांत होते हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 शेड्यूल–I में वर्गीकृत किया गया है।

उड़ीसा के घोड़ाहड़ा जलाशय में मगरमच्छों की जनसंख्या बढ़ रही है

समाचार –

- उड़ीसा के गंजम जिले मे पाए जाने वाले 44 मगरमच्छों में से 21 घोड़ाहड़ा जलाशय के पास के 10 गांव में रहते हैं।
- इस प्रकार बहरामपुर वन्य विभाग के दिगपहांडी जंगल में मनुष्य मगरमच्छों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का यह मामला मगरमच्छों की वार्षिक गणना के समय सामने आया।

दक्षता लक्ष्य के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के जल विभागों की रिपोर्ट

समाचार –

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के जल विभागों की दक्षता लक्ष्यों पर आधारित रैंकिंग में गुजरात ने सबसे पहला तथा दिल्ली ने सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है।

- भर्ती, वित्त, वास्तविक समय के आंकड़ों, अभी ग्रहण प्रणाली, आंकड़ों के डिजिटाइजेशन, विश्लेषण कार्य तथा प्रशिक्षण के भागो के प्राचलो पर समीक्षात सर्वे में केंद्रीय सरकार के 7 विभागों में सर्वे ऑफ इंडिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वे ऑफ इंडिया के बाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एवं केंद्रीय जल आयोग का स्थान रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।
- 2018 में अपने 41 वें स्थान की तुलना में इस वर्ष दिल्ली ने छह स्थानों की उन्नति कर 35 वां स्थान प्राप्त किया। तेजी से अपनी रैंकिंग बढ़ाने के मामले में तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया।
- राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश गुजरात हिमाचल प्रदेश केरल महाराष्ट्र राजस्थान तिलंगा तथा पश्चिम बंगाल ने परियोजना में संतोषजनक कार्य किया।

रेयर स्टेपो ईगल को आंध्रप्रदेश में देखा गया

समाचार –

- एशियाई चिड़ियों की गणना करते समय आंध्र प्रदेश में स्टेपी ईगल को देखा गया।
- पिछले दो दशकों स्टेपी ईगल को राज्य में दूसरी बार देखा गया है।
- यह एक प्रवासी पक्षी है जिसकी जनसंख्या सभी आवासों में तेजी से घटी है।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट में इस पक्षी को लिस्ट कंसर्न से इंटेंडेड श्रेणी में डाल दिया गया है।
- यह पक्षी रूस, कजाकिस्तान एवं मंगोलिया में शीत ऋतु में प्रजनन करता है।
- यह भारत में प्रवास करने वाली दूसरी सबसे बड़ी ईगल प्रजाति है।

स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने गंगा बेसिन में आद्रभूमियों को संरक्षित किया

समाचार –

- स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने अपने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के गंगा रिवर बेसिन में स्थित आद्रभूमियों को संरक्षित करने का लक्ष्य उठाया है।
- नदी की अविरल ता एवं निर्मलता को बनाए रखने तथा गंगा बेसिन में जल संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी आधारित एवं समाज द्वारा चलाए जाने वाले मॉडल द्वारा आद्रभूमियों के जीर्णोद्धार के लिए को नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है।
- इनमें से कुछ आद्रभूमियों की स्थिति जल निकासी भूमि के भराव तथा प्राकृतिक स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण अत्यंत खराब है।
- इससे आद्रभूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं में व्यवधान तथा जैव विविधता की हानि होती है।
- स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के साथ मिलकर गंगा बेसिन में संरक्षण एवं प्रबंधन की योजनाओं पहचान करने एवं तैयार करने में मदद करेगा।

पृथ्वी की भीतरी कोर लोहे के कणों से बनी बर्फ से आच्छादित है

समाचार –

- पत्रिका 'जीजीआर सॉलिड अर्थ' में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का सबसे गहरा भाग अर्थात उसकी भीतरी कोर लोहे से बने छोटे–छोटे कणों की बर्फ से आच्छादित है यह बर्फ के गण वातावरण में पाए जाने वाली बर्फ के कणों से काफी भारी है।
- यह लोहे की बर्फ पृथ्वी की पिघल हुई बाहरी कौर से आंतरिक और पर गिरती है तथा आंतरिक और के चारों ओर 200 मील मोटी पट्टी का निर्माण करते हुए उसे चारों ओर से घेर लेती है।
- अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार बर्फ की यह जमी हुई मोटी चादर भूकंप की तरंगों का कारण हो सकती है।
- हाल ही में फिलीपींस में मनीला से 50 किलोमीटर दूर लूज ऑन द्वीप पर ताल नामक एक ज्वालामुखी आकाश में लावा धूल एवं भूमि को फेंकते हुए फूट पड़ा।
- हालांकि ताले छोटा ज्वालामुखी है फिर भी फिलीपींस में इसको लेकर चिंता बनी हुई है
- फिलिपिंस की ज्वालामुखी शास्त्र एवं भूकंप शास्त्र के संस्थान ने ताल ज्वालामुखी को जटिल ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया है।
- नासा की अर्थ ऑब्जर्वेशन के अनुसार ताल ज्वालामुखी से लावा केवल एक ही स्थान से नहीं होता बल्कि इस ज्वालामुखी मेलावा सभी प्रकारों एवं आकारों के कई सारे छिद्रों से बाहर फूटता है।

ईंधन संरक्षण के महा अभियान 'सक्षम' का उद्घाटन

समाचार –

- पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए द्वारा इंधन संरक्षण के महा अभियान 'सक्षम' का उद्घाटन किया गया। ऊर्जा जरूरतों के लिए अत्यधिक आयात को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस कदम से आगे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा सरकार को ग्रीन पर्यावरण के प्रति कटिबद्ध ताऊ को पूर्ण करने में मदद मिलेगी।
- 1 माह तक चलने वाला कार्यक्रम सक्षम जनसाधारण में पारंपरिक ईंधन के संरक्षण के प्रति चेतना को जागृत करेगा।
- प्राथमिक ऊर्जा मांग के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी के 2040 तक दोगुना होकर 11 प्रतिशत हो जाना निश्चित है। इस दिशा में केवल पेट्रोल संरक्षण ही नहीं वरन गैर नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों के विकास का मॉडल भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

विश्व की सबसे बड़ी मछलियों में से एक चाइनीस पेडलफिश विलुप्त हो गइ

समाचार –

- 'टोटल एनवायरमेंट' नामक पत्रिका में प्रकाशित एक खबर के अनुसार फिश के विलुप्त होने के पीछे अत्यधिक मछली पकड़ना एवं बांधों का निर्माण जिम्मेदार हैं।
- चाइनीस पेडल फिश सर्फर्स ग्लेडियस में एक तलवार जैसा रोस्ट्रम तथा तू सिटीसियंस शिकार में होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहचान लेने वाली कोशिकाओं से भरी जीनजींद जैसी संरचना होती है।
- वे यंगवी नदी बेसिन के बड़े भागो यहां तक की पूर्व चीनी समुद्र तक की लंबी यात्राएं कर सकती थी।

केरल मियावाकी विधि की और लौटा

समाचार –

- केरल में सरकारी कार्यालयों घरों स्कूलों एवं पूरा अंबे के भूमि पर वनीकरण की मियावाकी विधि का उपयोग किया जाना है।
- जापानी वनस्पतिशास्त्री मियावाकी द्वारा विकसित की गई वनीकरण की मियावाकी विधि में पौधे को एक छोटे से क्षेत्र में लगाकर उसे स्त्रोतों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने पर छोड़ दिया जाता है जिससे 10 गुना तेजी से वनों को प्राप्त किया जा सकता है।
- चेन्नई के अलावा, इस विधि का उपयोग विश्व के अन्य भागों में भी बढ़ता जा रहा है। इस विधि ने घर के पीछे के आंगन को छोटे से जंगल में परिवर्तित करके शहरी वनीकरण के क्षेत्र में क्रांति लाई है

मध्यप्रदेश में पहली बार हाथियों को बसाया गया

समाचार –

- मध्यप्रदेश में हाथियों को पहली बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बसाया जा रहा है।
- बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में स्थित है। इसे 1968 में राष्ट्रीय पार्क एवं 1993 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था।
- यह पार्क मध्य प्रदेश की एकदम उत्तर पूर्वी सीमा पर तथा सतपुड़ा पर्वत श्रंखला के उत्तरी किनारे पर स्थित है।
- इस पार्क का नाम, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली एक प्रसिद्ध पहाड़ी जिसे प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लंका पर नजर रखने के लिए दिया था से प्रेरित होकर रखा गया है।
- इस स्थान का उल्लेख प्राचीन पुस्तकों जैसे नारद पंचारात्र तथा शिव पुराण में भी आता है जिसमें यह पता चलता है कि यह स्थान रामायण से संबंधित है।
- इस पार्क के केंद्रीय भाग में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। इस पार्क में स्तनपाई यों की 22 से अधिक तथा चिड़ियाओं की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है।

बिहार में अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की शुरुआत

समाचार –

- जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन्य विभाग में अपनी तरह के पहले ताजे पानी की कछुए के पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की गई। यह पुनर्वास केंद्र लगभग आधे हेक्टेयर में फैला है तथा यहां पर एक बार में 500 कछुआ को रखने की जगह है।
- केंद्र को बनाने की आवश्यकता कई कछु के घायल एवं बीमार मिलने के बाद महसूस की गई थी।
- पूर्वी बिहार कछुओं के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल है। भागलपुर में गंगा नदी में प्रवाह प्रचुर मात्रा में होता है नदियों के बीच में बलुआ किनारे भी उपलब्ध है जो कछुओं के प्रजनन के लिए आदर्श स्थल होते हैं।

- कछुए नदी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं वे सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों तथा बीमार मछलियों को खाकर नदी की सफाई करते हैं एवं मछलियों तथा जलीय पौधों एवं खरपतवार ओं की जनसंख्या को नियंत्रण में रखते हैं। कछुओं की उपस्थिति को स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत भी माना जाता है।
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार बांधों के निर्माण, प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने की जालियों में दुर्घटना वर्ष फस जाने, तथा उनके प्राकृतिक आवासों के नष्ट हो जाने के कारण यह प्रजाति संकट में है।
- संकट के प्राथमिक रूप से दो कारण हैं पहला भोजन एवं दूसरा पालतू बनाने के लिए उन्हें पकड़े जाने के व्यापार का विस्तार।

मौसम की यलो चेतावनी

समाचार –

- हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी तथा भारी बारिश के चलते मौसम की यलो चेतावनी जारी की है।
- मौसम विभाग की रंग आधारित चेतावनी प्रणाली
- यह चेतावनी या मौसम विभाग द्वारा तब जारी की जाती है जब मौसम की गंभीर एवं कतरनाक स्थिति के कारण जा बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना होती है।
- भारतीय मौसम विभाग रंग आधारित 4 तरह की चेतावनी जारी करता है
- ग्रीन – सब ठीक है
- यलो – सावधान हो जाइए – यह चेतावनी दर्शाती है कि मौसम कई दिनों तक खराब रहने वाला है तथा इससे दैनंदिन जीवन एवं जानमाल को हानि हो सकती है।
- ऑरेंज – तैयार रहें – यह चेतावनी मौसम की अत्यंत खराब दशा को बताने के लिए होती है इस चेतावनी का अर्थ होता है कि रोड या रेल के रास्ते बंद हो सकते हैं या बिजली प्रभावित हो सकती है।
- रेड – कार्यवाही करें – जब मौसम की अत्यंत खराब परिस्थितियों के कारण जानमाल की हानि होना एवं यात्रा तथा विद्युत का संकट लगभग निश्चित ही होता है तब इस चेतावनी को जारी किया जाता है।
- मौसम की यह चेतावनी या विश्वव्यापी है तथा इन्हें नदियों तथा जमीन पर बढ़ते हुए जल स्तर के आधार पर बाढ़ के लिए भी जारी किया जाता है।
- उदाहरण के लिए जब नदी में जल का स्तर सामान्य स्तर से थोड़ा ऊपर हो जाता है तो यह लो चेतावनी को जारी किया जाता है।

ऑपरेशन वनीला

समाचार –

- भारतीय नौसेना ने चक्रवात प्रभावित मेडागास्कर द्वीप में राहत के लिए ऑपरेशन वनीला को संपन्न किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान डीएनए के कारण जाने वालों को काफी नुकसान हुआ था।
- इस कार्य के लिए भारतीय नौसेना के जहाज एरावत को नियुक्त किया गया है।
- भारतीय नौसेना ने बाढ़ प्रभावित मेडागास्कर द्वीप के लोगों को राहत देने के लिए भोजन पानी अन्य जरूरतों का सामान देने के अलावा एक मेडिकल कैंप भी लगाया।
- मेडागास्कर हिंदू महासागर में स्थित एक द्वीप है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा है।
- भारतीय नौसेना अपने हिंद महासागर के अपने वजन के चलते मेडागास्कर एवं कोमोरोस को रणनीतिक स्थलों में शामिल करना चाहती है। सेशेल्स एवं मॉरीशस पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्रीय विभाग का हिस्सा है।

असम विलुप्तप्रायः प्रजाति हरगिला का प्रजनन कराने वाला प्रथम राज्य बना

समाचार –

- पहले प्रयोग में असम राज्य एवं बॉटनिकल गार्डन तथा आरण्यक ने यू परिसर में मानव निर्मित स्थितियों में विलुप्त प्रजाति हरगिला को प्रजनन कराने का सफल प्रयोग किया है।
- आद्रभूमियों, बड़े पेड़ों एवं अपने प्राकृतिक रहवासियों के समाप्त हो जाने के कारण हरगिला एक विलुप्त प्रजाति है।
- हरगिला जिसे ग्रेटर एडवरटेंट स्टार्ट या लोड एबीएस के नाम से भी जाना जाता है विश्व भर में सारस की पाई जाने वाली 20 प्रजातियों में से एक दुर्लभ प्रजाति है।

- भारत में अप्रवासी सरसों की 8 प्रजातियां पाई जाती है तथा हरगिला उनमें से एक है। कभी दक्षिण पूर्व एशिया में बहुतायत में पाया जाने वाला यह सारस अब असम एवं बिहार के कुछ दूरदराज के हिस्सों तथा कंबोडिया के पर एक पुल में ही मिलता है।
- सारस की यह प्रजातियां जो असम के गहने जनसंख्या वाले गांव में रहती है तथा ऊंचे पेड़ों पर प्रजनन करती हैं में कदम, देवा सिमुल तितली भेलकॉल तथा गोमारी शामिल है।
- रहवास का नुकसान, शिकार एवं जहर दे दिया जाना इन प्रजातियों के लिए सबसे बड़े संकट के कारण हैं। मनुष्य द्वारा बड़े पेड़ों को काट दिए जाने के कारण सारस की यह प्रजाति प्रजनन नहीं कर पाती और इस तरह इनके कई प्राकृतिक आवास समाप्त हो गए हैं।

विज्ञान एवं तकनीक

इसरो का जीसैट 30 सैटेलाइट

समाचार –

- भारत के उच्च शक्ति कम्युनिकेशन सेटेलाइट जीसैट 30 को इसरो द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरिया 51 एड्स द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट में भेज दिया गया।
- जीसैट 30 के साथ एक यूरोपियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट – यूटेलसत कनेक्ट, को भी लांच किया गया।
- जीसैट का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता की टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करना है।
- 15 वर्षों के अपने जीवन के दौरान यह डायरेक्ट टू होम एलिवेशन, एटीएम के लिए वेरी स्माल आफ नेचर टर्मिनल, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग तथा टेलिपोर्ट सेवाओं, डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग एवं ई गवर्नेंस जेसी सेवाएं प्रदान करेगा।
- इस सैटेलाईट को उभरते हुए टेलीकम्युनिकेशन के लिए बड़ी मात्रा में डाटा ट्रांसफर करने के लिए होस्ट के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- जीसैट 30 इसरो की इनसेट/जीसेट श्रृंखलाओं की अगली कड़ी है। यह सैटेलाइट 2005 में लांच की गई सेटेलाइट इनसेट 4ए की जगह लेगी।
- इसे एक विदेशी लांचर की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया क्योंकि किसका वजन भारतीय लॉन्चर जियोस्टेशनरी लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी एमके II की क्षमता से कहीं अधिक था।
- जीएसएलवी एमके III 4000 किलोग्राम तक के भार को अंतरिक्ष में भेज सकता है लेकिन इसरो इसका उपयोग मुख्यतः 2022 में होने वाली प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए करना चाहता है।
- सेटेलाइट भारतीय मुख्य भूमि तथा द्वीपों को केयू बैंड में तथा खाड़ी देशों, एशिया के कई देशों एवं ऑस्ट्रेलिया को सी बैंड में कवरेज प्रदान करेगा।
- केयू तथा सी बैंड सेटेलाइट संचार के लिए निर्धारित 1 से 40 गीगाहर्टज की तरंगदैर्ध्य के वर्णक्रम का हिस्सा है।

भारतीय डाटा रिले सेटेलाइट सिस्टम (आइडीआर एसएस)

- इसरो ने घोषणा की है कि वह अपना स्वयं का उच्च–शक्ति सेटेलाइट जो अंतरिक्ष में संचार के लिए उपयोगी होगा को लांच करेगा इस सेटेलाइट का गगनयान मिशन के लिए भी महत्व है।
- इसमें दो सेटेलाइट होंगे जिन्हें विभिन्न चरणों में तैनात किया जाएगा। पहले सैटेलाइट को 2020 के अंत तक, गगनयान मिशन की परीक्षण उड़ान जिसमें एक मानवीय डमी को भी रखा जाएगा कि पहले लो अर्थ आर्बिट में स्थापित किया जाएगा।
- दूसरे सैटेलाइट को 2021 में, 2022 में होने वाले समानव अंतरिक्ष मिशन के पहले स्थापित किया जाएगा।
- आईडीआरएसएस की भारत की अंतरिक्ष उड़ानों इसमें मानव युक्त गगनयान मिशन भी शामिल है, के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
- सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेटअप इसरो के ग्राउंड कंट्रोल रूम को अंतरिक्ष उड़ानों के क्रू पर निरंतर निगरानी रखने एवं किसी भी समय उनसे संवाद स्थापित करने में मदद करेगा तथा इसे निचली कक्षाओं के मिशन के अलावा चंद्रमा, मंगल एवं उससे भी दूर के मिशन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

सबसे पुराने ठोस पदार्थ की खोज

- ऑस्ट्रेलिया में 50 साल पहले गिरे उल्कापिंड जिसका निर्माण हमारे सौर मंडल के बनने से भी पहले हुआ था में वैज्ञानिक दुनिया के सबसे प्राचीन ठोस पदार्थ की खोज कर रहे हैं।
- वैज्ञानिक यह खोज उल्कापिंड में फंसी स्टारडस्ट के अध्ययन द्वारा करना चाहते हैं। स्टारडस्ट 7 बिलियन वर्ष पहले जब नए तारों के छोटे रूपों के निर्माण का सबूत पेश करेगी जो इस स्थापित छोरी को नकार देगा की तारों का विकास एक निरंतर गति से हुआ था। वैज्ञानिक जिन पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें फ्रीसोलर ग्रेंस कहा जाता है।
- फ्री सोलर ग्रीन तारों के मध्य पाया जाने वाला ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण सूर्य के बनने के भी पहले हुआ था।
- का निर्माण सूर्य के बनने से पहले बने हुए तारों की गैसों के ठंडा होने से हुआ था।
- इनका कुछ ऐसा उल्का पिंडों में फस गया तथा बिलियन वर्षों तक वैसा ही बना रहा जिससे यह आज सौर मंडल के पहले के समय कॉस्मिक समय के कैप्सूल की तरह बनाता है
- हालाकी यह बहुत छोटे एवं दुर्लभ है एवं पृथ्वी पर गिरने वाले 5 प्रतिशत उल्का पिंडों में ही पाए जाते हैं। क्योंकि प्रीस्कूलर प्रिंस का निर्माण तारे की मृत्यु के समय होता है अतः इससे हमें तारे का इतिहास पता चलता है।

नया आर्किया

- हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबॉयल रिसोर्सेस के अंतर्गत आने वाले संस्थान नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वैज्ञानिकों ने सांभर झील राजस्थान में नए आर्केऑन प्राप्त होने का दावा किया है।
- आर्कियां, आर्केऑन का एकवचन, सूक्ष्म जीवों के वह आदि समूह है जो कठिन जीवन परिस्थितियों जैसे गर्म धाराओं ठंडे मरुस्थल ओ एवं अत्यधिक नमक वाली झील में जीवित रहने में सक्षम है।
- धीरे वृद्धि करने वाला यह सूक्ष्मजीव मनुष्य की आंतों में भी उपस्थित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य से इसका गहरा संबंध है।
- वे पर्यावरण हितैषी तरीके से अपशिष्ट जल के उपचार के अलावा एंटीमाइक्रोबॉयल अणुओं को उत्पादित करने तथा एंटी ऑक्सीडेंट गतिविधियों के लिए भी जाने जाते हैं।
- प्रयोगशाला में प्राकृतिक तरह की अवस्थाएं ना प्रदान कर पाने के कारण आर्कियां का उत्पादन अत्यंत मुश्किल है।

नात्रिएल्बा स्वरूपे

- इस सूक्ष्म जीव का नाम, भारत में सूक्ष्म जीवों की विविधता के अध्ययन में सहयोग के कारण बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव श्री रेणु स्वरूप के सम्मान में नात्रिएल्बा स्वरूपरखा गया है।

भुवन पंचायत V 3.0 वेब पोर्टल

समाचार –

- अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री ने हाल ही में बेंगलुरु में विकेंद्रीकृत योजना एवं अपडेट के लिए अंतरिक्ष आधारित जानकारी पर राष्ट्रीय वर्कशॉप (एसआईएस डीपी) की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने भुवन पंचायत की 3.0 वेब पोर्टल का उद्घाटन भी किया।
- इसरो ने एस आई एस डी पी परियोजना की शुरुआत ग्राम पंचायतों को विकास योजनाएं बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनके नियमन के लिए सैटेलाइट आधारित आंकड़ों को प्रदान करने में मदद करने के लिए की है।
- इस योजना को इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से संचालित किया जाएगा।

विवरण –

- उद्देश्य– सरकारी परियोजना के लिए बेहतर योजना निर्माण तथा नियंत्रण
- **सीमाएं**– पोर्टल पंचायत के सदस्यों को आंकड़े प्रदान करेगा।
- इस पोर्टल का लाभ जनता, पी आर आई एवं ग्राम पंचायत के विभिन्न हित धारक होंगे।
- पोर्टल ग्राम पंचायत सदस्य एवं अन्य हित धारकों को 1:10000 स्केल की रिवॉल्यूशन वाली सेटेलाइट इमेजिरी प्रदान करके भूमि बंदोबस्त रोड एवं रेल नेटवर्क इत्यादि को पहचानने, डेटाबेस विजुलाइजेशन, डाटा एनालिटिक्स, अपने आप रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इस परियोजना में जो लगभग 2 वर्षों तक चलेगा इसरो ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा अन्य हिट दार को से मिलकर आंकड़े संबंधी उनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश भी करेगा।

- यह परियोजना पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया के लिए भूस्थानिक सेवाएं भी प्रदान करेगा।

नासा का स्पाइटज़र मिशन

समाचार –

- नासा का स्पाइटज़र मिशन जो पिछले 16 वर्षों से ब्रह्मांड में इंफ्रारेड प्रकाश का अध्ययन कर रहा है 30 जनवरी 2020 के बाद ईंधन की कमी एवं पिछले कई वर्षों में पृथ्वी से अधिक दूर हो जाने के कारण कार्य करना बंद कर देगा।
- स्पाइटज़र स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 2003 में अंतरिक्ष में भेजा गया था यह 30 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएगा।
- नासा ने इस टेलिस्कोप का नाम खगोल शास्त्री लेमन स्पाइटज़र जिन्होंने 1940 में अंतरिक्ष टेलीस्कोप संकल्पना को विकसित किया था के सम्मान में रखा था।
- यह नासा की कई प्रमुख वेधशालाओं जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप एवं चंद्र एक्स–रे में से एक था।
- इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्य का अध्ययन करके स्पाइटज़र उन पिंडो की जानकारियों को भी साझा कर सकता था जो बहुत ठंडे थे तथा कोई दृश्यिक प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते थे।
- स्पाइटज़र टेलीस्कोप इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्य का उपयोग करके गैस के बड़े बादलों के पार विभिन्न पिंडो जैसे बाहरी–ग्रहों, ब्राउन ड्वार्फ तथा ठंडे पदार्थों को देखने की क्षमता भी रखता था जोकि अन्यथा मनुष्य के लिए अदृश्य बने रहते।

मेसोथेलियोमा

समाचार –

- जॉनसन एंड जॉनसन पर आरोप है कि इसके बेबी टेलकम पाउडर में एस्बेस्टस पाया जाता है जो कि एक दुर्लभ प्रकार के कैंसर में मेसोथेलियोमा के लिए जिम्मेदार है।
- टेलकम प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक चिकनी मिट्टी होती है जिसे बेबी पाउडर में उसकी नमी सोख लेने की प्रकृति के कारण मिलाया जाता है।
- पृथ्वी में जिन जगहों से इस चिकनी मिट्टी को प्राप्त किया जाता है वहां पर एस्बेस्टस भी उपलब्ध होता है।
- मेसोथेलियोमा एक असाध्य कैंसर रोग होता है जो आंतरिक अंगों को कवर करने वाले उत्तर को कि बारिक तहो के बीच होता है।

नाविक नेवीगेशन इन इंडियन कांस्टेलेशन

समाचार –

- क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने भारतीय क्षेत्रीय सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक का उपयोग करने वाले मोबाइल चिपसेट को प्रदर्शित किया है
- चिपसेट के बाजार में आ जाने से स्मार्टफोन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा नाविक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- आई एम अब भारतीय बाजारों में ऐसा कोई भी मॉडल प्रदर्शित कर सकते हैं जो नाविक सक्षम हो जिससे आगे आने वाले हैंडसेट एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस में नेविक 1 स्टैंडर्ड फीचर बन जाएगा।
- नाभिक एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जिसे भारत एवं भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के दायरे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- आईआरएनएसएस दो तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएगा पहली सभी उपयोगकर्ताओं के लिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सेवाएं तथा दूसरी प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेस।

पॉलीक्रेक टेक्नोलॉजी

- भारत के पूर्वी सीमांत रेलवे ने रेलवे सेक्टर के पहले अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने के प्लांट को नियुक्त किया है। या देश का चौथा ऐसा प्लांट होगा। प्लांट को 1.79 करोड रुपए के खर्च से बनाया गया है तथा यह पॉलीक्रेक तकनीक पर आधारित है।
- यह प्लांट पॉलीक्रेक तकनीक का उपयोग करके अपशिष्ट को कार्बन पाउडर, डीजल एवं गैस में परिवर्तित कर देता है।
- प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अंत में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं छोड़ता है। रेलवे डीजल को अन्य हित कारकों को बेच देगा। गैस एवं कारण गांव प्राउडर को ईट निर्माण में उपयोग किया जाएगा।

- पॉलीक्रेक तकनीक के उपयोग से अपशिष्ट ओ को अन्य पदार्थों में 24 घंटे में परिवर्तित किया जा सकता है इस तकनीक का एकमात्र नुकसान यह है कि इसके लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह तकनीक डी पॉलीमराइजेशन क्रैकिंग रिफॉर्मिंग स्क्रबिंग पार्टिकल फिल्ट्रेशन एंड रैपिड कोचिंग का उपयोग करती है।

पृथ्वी के आकार का ग्रह

- 6 जनवरी 2020 को अमेरिका के होनोलूलू में हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉमीकल सोसाइटी की बैठक में जेट प्रोपल्शन लैबोरेट्री ने नासा की ग्रहों को ढूंढने वाली सेटेलाइट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टीएसएस द्वारा अपने सितारे के जीवन हो सकने योग्य जोन में पृथ्वी के आकार के एक ग्रह के पता लगने की घोषणा की है इस ग्रह पर पानी होने की भी संभावना है।
- टीईएसएस द्वारा घोषित अन्य खोज एक ऐसे ग्रह के बारे में है जो एक सूर्य के बजाय दो सूर्य का चक्कर लगाता है, ऐसे ग्रहों को सरक्यों बायनरी ग्रह भी कहा जाता है।
- जीवन हो सकने योग्य ग्रह का नाम पियो प70 दिया गया है तथा यह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास का तारा अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से केवल 4 प्रकाश वर्ष दूर है।
- टीएसएस को विशेषता पृथ्वी के आकार के ग्रहों जो अपने तारों के पास चक्कर लगाते हैं को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है।
- बाद में इस खोज की पुष्टि स्पाइटज़र स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भी की गई।
- इसके पहले भी कैपलर स्पेस टेलिस्कोप द्वारा इस प्रकार के ग्रहों की खोज की गई है किंतु 2018 में लांच किए गए टीएसएस द्वारा खोज किया गया यह इस प्रकार का पहला ग्रह है।
- टीएसएस अंतरिक्ष में अपने आप को एक दिशा में स्थिर कर देता है एवं सितारों का अध्ययन करता है सितारों के आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रहों के कारण सितारों से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन को अध्ययन करके यह ग्रहों के आकार उसके और गति आदि का पता लगा लेता है।
- टीओआई 700 आकार में सूर्य का 40 प्रतिशत तथा सूर्य से आधा गर्म है।

लीगो द्वारा न्यूट्रॉन स्टार की भिड़ंत को देखा गया

समाचार –

- 6 जनवरी 2020 को, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 235 वीं बैठक में, वैज्ञानिकों ने दिखाया कि उन्होंने 25 अप्रैल 2019 को दो मूलभूत रूप से अलग–अलग वर्गों बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार की भिड़ंत का पता लगाने के लिए दूसरी बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों (अंतरिक्ष में लहरों) का उपयोग किया है।
- नई खोज लीगो वर्गो के तीसरे अवलोकन प्रयास (O3) में पहला आधिकारिक गुरुत्वाकर्षण–तरंग का पता लगने का मामला है के, लेकिन कोई भी विद्युत चुम्बकीय संकेत बिल्कुल नहीं देखे गए।
- न्यूट्रॉन सितारों को विलय से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण–तरंग के पता लगाने की पहली घटना को जी डब्लू 170817 कहा जाता है, तथा यह 2017 में हुई थी। यह पहली बार था जब खगोलविदों ने एक ही कॉस्मिक घटना से गुरुत्वाकर्षण तरंगों एवं प्रकाश दोनों को देखा – तथा इसे तथाकथित मल्टीमैसेंजर खगोल विज्ञान के युग की शुरुआत भी कहा जाता है।
- हालांकि, क्योंकि केवल तीन लीगो वर्गो डिटेक्टरों में से यह सबसे हालिया विलय है एवं इसे जी डब्लू 190425 नाम दिया गया है, लेकिन शोधकर्ता इसके सटीक स्थान को इंगित करने में असमर्थ थे। यहां उन्हें किसी भी प्रकाश को देखने में भी सफलता नहीं मिली।
- व्यक्तिगत द्रव्यमान न्यूट्रॉन सितारों के अनुरूप हैं, लेकिन उनका युग्म सभी ज्ञात न्यूट्रॉन तारा यूग्मों की तुलना में अधिक विशाल है।
- न्यूट्रॉन स्टार विलय के अंतिम उत्पाद के अनपेक्षित रूप से बड़े आकार के कारण, यह दो छोटे, तारकीय–द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का एक उदाहरण हो सकता है जो एक साथ मिलकर थोड़ा बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं।

व्योम मित्र

समाचार –

- अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक रोबोट का अनावरण किया है जो मानव रहित अंतरिक्ष मिशन के तहत मानव रहित गगनयान मिशन के लिए 2020 में लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्ष यान के हिस्से के रूप में यात्रा करेगा। हाफ ह्यूमन राइट रोबोट, जिसका नाम 'व्योम मित्र' या आकाश में एक मित्र है, अंतरिक्ष

यात्रियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पहचानने एवं उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है।

- व्योमित्र दो संस्कृत शब्दों व्योमा (अंतरिक्ष) एवं मित्र (मित्र) का संयोजन है। यह हाफ ह्यूमन राइट का प्रोटोटाइप है, जो अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करेगा एवं पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली के साथ तालमेल भी रखेगा।

30 मीटर का टेलीस्कोप

समाचार –

- भारत, जो तीस मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) के निर्माण में भागीदार, हैं ने अनुरोध किया है कि परियोजना को हवाई, यूएसए के एक निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना केआ में प्रस्तावित साइट से बाहर ले जाया जाए। इस साइट को हवाई के मूल निवासियों में पवित्र माना जाता है, एवं पहले से ही इस क्षेत्र में बहुत अधिक वेधशालाएं हैं। हालांकि, यह स्थान सर्वोत्तम इमेजिंग संभावनाएं, स्थिर मौसम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि यह पहले से ही कई दूरबीनों को होस्ट करता है इसलिए इसमें दूरबीनों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी है।
- टेलीस्कोप को रखने के प्रस्तावित वैकल्पिक स्थलों स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में ला पाल्मा पर ऑब्जर्वेटेरियो डेल रोके डे लॉस मुचाचोस (ओआरएम) है।
- एक बार इसका निर्माण हो जाने के बाद, टीएमटी दुनिया के सबसे बड़ी सामान्य–प्रयोजन वेधशालाओं में से एक बन जाएगा, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड की बाहरी पहुंच का अध्ययन करने एवं दूर के सितारों एवं एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने की क्षमता मिल जाएगी।
- भारत ने परियोजना के 10 प्रतिशत संसाधनों – लगभग 200 मिलियन डॉलर (1,423.46 करोड़ रुपये) की राशि लगाने का वादा किया है एवं इसके बदले में भारतीय वैज्ञानिकों को वेधशाला में 10 प्रतिशत अवलोकन समय की गारंटी मिली हैं।

एनआइसी ने नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन की मेजबानी की

समाचार –

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 एवं 23 जनवरी 2019 को दो दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की।
- इस सम्मेलन का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन एनआईसी के एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) द्वारा आयोजित किया गया था, ताकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की आईसीटी में तेजी से हो रही प्रगति के मद्देनजर तकनीकी प्रगति एवं उभरती प्रौद्योगिकियों की जानकारी दी जा सके।
- टीएजी का गठन एनआईसी द्वारा एंटरप्राइज समाधानों के विकास एवं समाधानों के मानकीकरण में परियोजना टीमों की सहायता के लिए किया गया है। यह समूह देश भर की टीमों को गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों को विकसित करने में मदद कर रहा है जो स्केलेबल एवं सुरक्षित हैं।

ज़ेनोबोट्स

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली 'जीवित मशीनें' बनाई हैं – अफ्रीकी पंजे वाले मेंढक की कोशिकाओं से निर्मित यह छोटे रोबोट, अपने आप घूम सकते हैं।
- नाइजीरिया एवं सूडान से लेकर दक्षिण अफ्रीका, तक पाए जाने वाले जलीय मेंढक की प्रजातियों के पर उन्होंने एक मिलीमीटर लंबाई के इन रोबोटों का नाम 'जेनबोट्स' रखा है।
- 'नई जीवित मशीन' ना तो एक पारंपरिक रोबोट एवं न ही जानवरों की एक प्रजाति है लेकिन 'कलाकृतियों का एक नया वर्ग' – 'एक जीवित, प्रोग्राम योग्य जीव' है।
- ज़ेनोबॉट्स चल सकते हैं, वजन उठा सकते हैं (एक दवा की तरह वे रोगी के शरीर के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर जा सकते हैं) – एवं दुर्घटना की स्थिती में स्वयं को ठीक कर सकते हैं।

इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र चलाकेरे में बनेगा

समाचार –

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उस स्थान को अंतिम रूप दे दिया है जहां उसका मानव अंतरिक्ष यान केंद्र (एचएसएफसी) बनेगा।
- अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक कीमती प्रशिक्षण सुविधा किसी भी शहरी बस्ती से मीलों दूर कर्नाटक के चलाकेरे में 400 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी।
- चित्रदुर्ग जिले में स्थित यह स्थान इसरो के मुख्यालय बेंगलुरू से 200 किमी से थोड़ा अधिक दूर है।

भारतीय ड्रोसॉफिला कॉन्फ्रेंस पुणे में आयोजित की गई

समाचार –

- पुणे ने 6–10 जनवरी 2020 के बीच एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस (एडीआरसी5) या भारतीय ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन के पांचवें संस्करण की मेजबानी की, जो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आई आई एस ई आर) द्वारा पहली बार देश में आयोजित की गई था।।
- इस द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य एशिया–प्रशांत क्षेत्र में ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं की दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देना था। इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, जो बुनियादी एवं व्यावहारिक प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एक मॉडल जीव के रूप में फल मक्खी, ड्रोसोफिला का उपयोग करते हैं, को एक मंच पर लाया।
- ड्रोसोफिला पिछले 100 वर्षों से दुनिया भर में जैविक अनुसंधान के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल एवं पसंदीदा मॉडल जीवों में से एक है।
- इसका उपयोग करके जीव विज्ञान में कई खोजों का उपयोग किया गया है। इसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित है एवं इसकी जैव रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं व्यवहार विवरण पर काफी जानकारी उपलब्ध है।

एस्ट्रोनाट क्रिस्टीना कोच ने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय के अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड थोड़ा

समाचार –

- अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के अपने वर्तमान 289 दिनों के मिशन द्वारा एक महिला सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनाया है।
- मार्च 2019 में आईएसएस पर पहुंचने के बाद, उसे फरवरी 2020 में पृथ्वी पर लौटने से पहले बोर्ड पर कुल 328 दिन बिताने की उम्मीद है।
- अक्टूबर 2019 में, वह जेसिका मीर के साथ पहली ऑल–फीमेल स्पेसवॉक का हिस्सा थीं।
- आईएसएस पृथ्वी की लो ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन (रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह) है।

रेड ब्रिटल स्टार आंखों के बिना देख सकते हैं

समाचार –

- शोधकर्ताओं ने पहली बार यह पाया है कि ब्रिटल स्टार की एक प्रजाति, जो स्टारफिश के रिश्तेदार हैं, आंखों के बिना देख सकती है। रेड ब्रिटल स्टार (ऑफीकॉमा वेंदिती), जो कैरेबियन सागर के प्रवाल भित्तियों में रहता है, समुद्री अर्चिन के अलावा इस प्रकार की योग्यता वाला एकमात्र दूसरा प्राणी है। दूसरी प्रजातियों में पाए जाने वाले अन्य अजीबोगरीब मामलों को छोड़कर)।
- बिना आंखों के देखने की क्षमता को बाह्य दृष्टि के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं को यह लगता है कि समुद्री अर्चिन एवं ब्रिटल स्टार में, उनके शरीर पर पाए जाने वाले फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा बाह्य दृष्टि की क्षमता होती है।
- शोधकर्ताओं का सुझाव है कि कोई समुद्री अर्चिन या ब्रिटल स्टार में, प्रकाश–संवेदी कोशिकाओं जो उसके पूरे शरीर को कवर करते हैं की मदद से देखता है। ये प्रकाश–संवेदी कोशिकाएं समुद्री अर्चिन एवं ब्रिटल स्टार में, दृश्य उत्तेजनाएं पन्ना करती हैं, जिससे यह चट्टानों जैसे मोटे ढांचे पहचानने में सक्षम होता है।
- रेड ब्रिटल स्टार की एक और ख़ासियत इसके रंग परिवर्तन की क्षमता है। जीव दिन के दौरान गहरा लाल होता है, लेकिन यह रात को रंग बदल कर गहरा पीला हो जाता है। उनकी असाधारण दृष्टि एवं रंग बदलने की क्षमताओं के बीच एक कड़ी हो सकती है।

नासा ने स्नोएक्स शुरू किया

समाचार –

- नासा ने 2016 17 में शुरू किए गए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम स्नोएक्स के एक मौसमी अभियान की शुरुआत की है।
- जबकि स्नोएक्स का भौगोलिक फोकस उत्तरी अमेरिका है, नासा का समग्र लक्ष्य दूरस्थ संवेदीकरण एवं मॉडल्स के साथ वैश्विक स्नो वॉटर समतुल्य (एसडब्ल्यूई) की मैपिंग के लिए इष्टतम रणनीतियां बनाना हैं, जो ते डेकाडल सर्वे 'अर्थ सिस्टम एक्सप्लोरर' मिशन के करीब ले जाती हुई हो।
- अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, स्नोएक्स यह आकलन करता है कि बर्फ कहाँ गिरी है, कितनी गिरी है एवं इसकी विशेषताओं में परिवर्तन कैसे होता है। इसके लिए यह एयरबोर्न माप, ग्राउंड माप एवं कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करता है।

- एयरबोर्न अभियान में बर्फ की गहराई को मापने के लिए डार एवं लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड अरेंजिंग), एसडब्लू को मापने के लिए माइक्रोवेव रडार एवं रेडियोमीटर, सतह के फोटो लेने के लिए ऑप्टिकल कैमरों, सत्तह का तापमान लेने के लिए इंफ्रारेड रेडियोमीटर तथा तापमान एवं संरचना के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल इमेज ऑफ को उड़ाया जाएगा।
- ग्राउंड टीमें बर्फ की गहराई, घनत्व, संचय परतों, तापमान, गीलापन एवं बर्फ के कणों के आकार एक विशिष्ट कण के आकार को मापेंगी।

इसरो ने एसपी ऑप्टिक टेलिस्कोपों को स्थापित करने के लिए खगोल विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है

समाचार –

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष विंडो पर नजर रखने के परियोजना नेत्रा के तहत ऑप्टिकल टेलीस्कोप सुविधाओं की स्थापना में सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के साथ एक समझौता किया है।
- एजेंसी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र भी बनाया है।
- परियोजना नेत्रा, अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को मलबे या अन्य वस्तुओं से होने वाले खतरों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
- इस परियोजना के तहत, इसरो ने कई अवलोकन सुविधाओं को लगाने की योजना बनाई है जैसे कि आपस में जुड़े हुए रडार, दूरबीन डेटा प्रोसेसिंग यूनिट एवं एक नियंत्रण केंद्र इत्यादि।
- वे अंतरिक्ष में 2000 किलोमीटर की आर्बिट में उपलब्ध 10 सेमी से 3,400 किमी तक के आकार वाले ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं।
- एक अन्य उपलब्धि के रूप में, इसरो ने कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम दक्षिण कन्नड़ जिले के सुरथकल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी–के) में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है।
- केंद्र अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का आयोजन करेगा।

बेंगलुरू में 107 वाँ भारतीय विज्ञान सम्मेलन संपन्न

समाचार –

- 107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) बेंगलुरु, कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (एएसयू) में 3–7 जनवरी 2020 के बीच हुई। इसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।
- आईएससी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकके विभिन्न पहलुओं में में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु है।
- 2020 के लिए कांग्रेस का विषय 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी– ग्रामीण विकास' है।
- 2019 संस्करण (106 वें) को जालंधर, पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में आयोजित किया गया।

सरकार ने नई एवं उभरती तकनीकों के लिए विभाग की स्थापना की

समाचार –

- भारत द्वारा 5 जी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों से जूझने शुरुआत के साथ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने 3 जनवरी 2020 को न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज (एनईएसटी) पर एक नए विभाग की स्थापना की घोषणा की है।
- एनईएसटी भारत के विदेश मंत्रालय में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा, जो नई एवं उभरती तकनीक से जुड़े सभी मामलों जैसे कि विदेशी सरकारों के साथ इन से संबंधित विचारों के आदान–प्रदान एवं घरेलू मंत्रालयों एवं विभागों के साथ समन्वय का कार्य करेगा।
- यह उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं तकनीक आधारित संसाधनों के विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निहितार्थों का आकलन करने में भी मदद करेगा।
- संयुक्त राष्ट्र या जी 20 जैसे बहुपक्षीय मंच पर भारतीय नीतियों की रक्षा के लिए बातचीत में के लिए भी डेस्क शामिल होगी जहां इस तरह की प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम तय किए जा सकते हैं।

वैज्ञानिकों ने मूर्चिसन उल्कापिंड में 7 बिलियन वर्ष पुराना स्टारडस्ट पाया

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा, 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे एक बड़े सी2 कोन्ड्राइट, मूर्चिसन उल्कापिंड में सिलिकॉन कार्बाइड के 4.6 से 7 बिलियन वर्ष फ्री सोलर कण पाए गए है।
- यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना ठोस पदार्थ है – एवं इसमें तीखी गंध है।
- यह तथाकथित फ्री सोलर कण सूर्य के बनने से भी पहले के हैं अर्थात हमारे सौरमंडल के बनने से भी पहले के।
- लगभग सात बिलियन वर्ष पुराने, ये कण सौर प्रणाली से लगभग 2.5 बिलियन वर्ष पुराने हैं।
- पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडो में से केवल पाँच प्रतिशत में ही फ्री सोलर कण पाया जाता है, यह एक बड़ी खोज है। अनुसंधान को नासा द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया था।

ए (एच 9 एन 2) वीरियस एवियन इनफ्लुएंजा

समाचार –

- हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस के एक दुर्लभ संस्करण जो इस प्रकार के संक्रमण का भारत में पहला मामला है तथा जो एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू अर्थात् ए (एच 9 एन 2) वायरस का कारण बनता है, पता लगाया है।
- एच 9 एन 2 इन्फ्लूएंजा वायरस का एक उपप्रकार है, जो मानव इन्फ्लूएंजा के साथ–साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है।
- एच 9 एन 2 वायरस दुनिया भर में जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं एवं कई क्षेत्रों में मुर्गियों में महामारी फैलाते हैं।
- मनुष्यों में एच 9 एन 2 वायरस के संक्रमण दुर्लभ हैं, लेकिन आमतौर पर संक्रमण के हल्के लक्षणों के कारण कम रिपोर्ट किए जाते हैं। मानव संक्रमण के मामले हांगकांग, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं मिस्र में देखे गए हैं। हाल ही में ओमान में एक मामले का पता चला था। 1998 में हांगकांग से वैश्विक स्तर पर पहला मामला सामने आया था।
- भारत में, वायरस को फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के मेलघाट जिले में कोरकू जनजातियों के 93 गांवों में समुदाय आधारित निगरानी अध्ययन के दौरान पाया गया था।

लिथियम–सल्फर बैटरी को ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित किया गया

समाचार –

- ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्तमान लिथियम–आयन उत्पादों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन एवं कम पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने वाली अल्ट्रा–हाई क्षमता ली–एस बैटरी विकसित की है।
- नई बैटरी में मोबाइल फोन को लगातार पांच दिनों तक या एक इलेक्ट्रिक वाहन को 1000 किमी से अधिक ड्राइव करने की क्षमता तक रिचार्ज करने की क्षमता है।

सीस्मिक हेजर्ड माइक्रोजोनेशन

समाचार –

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने कम से कम आधा मिलियन की आबादी वाले महत्वपूर्ण शहरों में चरणबद्ध तरीके से सीस्मिक हेजर्ड माइक्रोजोनेशन को लॉन्च करने की शुरुआत की है।
- इसमें राज्यों की राजधानियां तथा प्रभावित हो सकने वाले राज्यों के कुछ अन्य शहरों को शामिल किया जाएगा। इससे प्राधिकरणों को यह समझने में मदद मिलेगी कि शहर के भीतर कौन से क्षेत्र भूकंपीय खतरों से ग्रस्त हैं एवं तदनुसार इसके बचाव के उपाय कर सकते हैं।
- अब तक, सिक्किम एवं आठ शहरों – बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर, अहमदाबाद, देहरादून एवं गांधीधाम का सूक्ष्म भूकंपीय मानचित्रण पूरा हो चुका है।
- कोयंबटूर, चेन्नई, भुवनेश्वर एवं मंगलुरु में कार्य प्रगति पर है।
- आगरा, अमृतसर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, धनबाद एवं मेरठ के सूक्ष्म भूकंपीय मानचित्रण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

सैमसंग की स्टार लेब ने नियोन को अपने नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया

समाचार –

- सैमसंग की स्टार लैब्स ने नियॉन को अपनी नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित परियोजना के रूप में आधिकारिक रूप से अनावृत किया है।

- नियॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आभासी प्राणी हैं जो मानव जैसी भावनाओं एवं बुद्धिमत्ता को दिखाने में सक्षम हैं।
- वे भावनाओं एवं बुद्धिमत्ता दिखाने की क्षमता के अलावा वास्तविक मानव की तरह दिखते एवं व्यवहार करते हैं। नियॉन नए कौशल सीख सकते हैं एवं अपने अनुभवों से यादें बना सकते हैं।
- वे मानव जैसी बातचीत करने में सक्षम हैं एवं मानवीय तरीके से साथ संवाद करने, अनुभवों से सीखने एवं यहां तक कि नई यादें बनाने की क्षमता भी रखते हैं। वे एक व्यक्तिगत शिक्षक, एक व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार, एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, या एक दरबान के रूप में सेवा दे सकते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम (एनडीएपी)

समाचार –

नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया।

विवरण –

- प्लेटफॉर्म का लक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है।
- यह विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के नवीनतम डेटासेट की होस्टींग करेगा, उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करेगा, एवं विश्लेषण एवं विजुअलाइजेशन के लिए उपकरण प्रदान करेगा।
- एनडीएपी एक उपयोगकर्ता–केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करेगा एवं विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक सरल एवं सहज पोर्टल में डेटा एक्सेस को सक्षम करेगा।
- एनडीएपी का विकास एक वर्ष की अवधि में होगा।
- प्लेटफॉर्म के पहले संस्करण के 2021 में शुरू होने की उम्मीद है।

ए–सेट एवं एडीटीसीआर

समाचार –

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने 71 वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी एंटी–सैटेलाइट (ए सेट) मिसाइल एवं वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार (ए डी टी सी आर) को प्रदर्शित किया।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय वायु सेना में हाल ही में शामिल किए गए, चिनूक हेवी–लिफ्ट हेलीकाप्टरों, एवं अपाचे हमले के हेलीकाप्टरों ने गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट में भाग लिया।
- सेना ने लिंग में शामिल किए गए, 155–मिमी धनुष हॉवित्जर एवं के9–वज्र स्व–चालित तोपखाने को भी दिखाया।

ए–सेट मिसाइल –

- यह एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट या जाम कर देती है।

दो प्रकार के ए–सैट –

- काइनेटिक ए सेट, बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह, यह नष्ट करने के लिए भौतिक रूप से किसी वस्तु पर प्रहार करता है।
- गैर–काइनेटिक ए–सैट वे हैं जो अंतरिक्ष में स्थित वस्तुओं को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए गैर–भौतिक साधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें आवृत्ति जैमिंग, लेजर या साइबर–हमले शामिल हैं।
- ए– सैट की सैद्धांतिक अधिकतम सीमा सीमित है जिसका अर्थ है कि 20,000 किमी से ऊपर के उपग्रह इसकी सीमा से बाहर हैं।

भारत की ए सेट मिसाइल का टेस्ट –

- 27 मार्च 2019 को, भारत ने डॉ– एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स (ओडिशा) से एक काइनेटिक एंटी–सैटेलाइट (ए–सैट) मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
- ए सेट मिसाइल को डी आर डी ओ ने मिशन शक्ति के तहत विकसित किया था।
- मिशन शक्ति भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना चाहता है एवं इस प्रकार इसका उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा को मजबूत करना है।
- भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद ऐसी तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया।

CHAHAL ACADEMY

वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार –

- एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार (ए डी सी आर) का उपयोग वॉल्यूमेट्रिक सर्विलांस, डिटेक्शन, ट्रैकिंग एवं विभिन्न प्रकार के एरियल टारगेट, मित्र/दुश्मन की पहचान एवं कई कमांड पोस्ट एवं हथियार सिस्टम को प्राथमिकता वाले टारगेट डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऽ यह बहुत छोटे लक्ष्यों एवं कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे लक्ष्यों का पता लगाने में भी सक्षम है।

के–4 पनडुब्बी ने बैलीस्टिक मिसाइल छोड़ी –

समाचार –

- भारत ने आंध्र प्रदेश में 3,500 किलोमीटर की रेंज की के–4 परमाणु–सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- डी आर डी ओ द्वारा विकसित मिसाइल को नौसेना के स्वदेशी आई एन एस अरिहंत श्रेणी के परमाणु संचालित पनडुब्बियों पर लैस किया जाएगा।
- लगभग 1,500 किमी की दूरी तक मिसाइल की मारक क्षमता का परीक्षण एक जलमग्न पंटून से किया गया था इस परीक्षण ने वांछित मापदंडों को पूरा किया है। एक पन्टून पनडुब्बी से प्रक्षेपण की स्थिति का अनु रोपण करता है।
- इससे पहले, मिसाइल का विभिन्न मापदंडों को मान्य करने के लिए विकासात्मक परीक्षणों के स्कोर के रूप में कई बार परीक्षण किया गया है।
- अक्टूबर 2019 के बाद से, यह चौथी बार है जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर ओ) ने मिसाइल का परीक्षण करने का प्रयास किया किंतु विभिन्न जलवायु परिस्थितियों ने इसे रोका।
- के–4 पानी के नीचे से चलाई जा सकने वाली दो मिसाइलों में से एक है। ऐसी एक अन्य मिसाइल 700 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली बी ओ–5 मिसाइल है।
- परमाणु त्रय में हवा, सतह एवं पानी के नीचे के प्लेटफार्मों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता शामिल है एवं पनडुब्बी से मिसाइल लांच करने की क्षमता को इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया जाता है।
- भारत द्वारा परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात किए जाने से पहले मिसाइल के और अधिक परीक्षण करने की उम्मीद है। फिलहाल, यह क्षमता नौसेना की पहली परमाणु नाव आईएनएस अरिहंत पर ही कार्यशील है।

परमाणु त्रय –

- भारत दुनिया के उन छह देशों में शामिल है, जिनके पास जमीन, हवा एवं पानी से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता है। अन्य देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस एवं यूके हैं।
- 2016 में आईएनएस अरिहंत को नौसेना में शामिल करना पिछले एक दशक में सशस्त्र बलों के लिए सबसे बड़े विकासों में से एक रहा है। इस शुरुआत के साथ, भारत ने परमाणु ट्रेन पूरा किया।
- इससे भारत उन मुट्ठी भर देशों में शामिल हो जाता है, जो एसएसबीएन के नाम से जानी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के डिजाइन, निर्माण एवं संचालन की क्षमता रखते हैं।
- अरिहंत वर्ग की दूसरी पनडुब्बी, जिसे अरिघाट के रूप में जाना जाता है को 2017 में लॉन्च किया गया था, एवं इसे जल्दी ही नौसेना में शामिल किया जाएगा।

इस मिसाइल का महत्व –

- यह भारत को भारतीय जल के भीतर से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करेगी।
- के–4 सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, जो देश को अभूतपूर्व दूसरी–स्ट्राइक क्षमता एवं विशाल निरोध शक्ति प्रदान करती है।
- इससे पहले, भारतीय पनडुब्बियों को हमला करने के लिए भारतीय तट से बहुत अधिक दूर, दुश्मन के पास, जाकर हमला करना होता था।
- के–4 की 3,500 किलोमीटर की रेंज के साथ, भारत बीजिंग, एवं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों से, चीन के कुछ हिस्सों को लक्षित करने में सक्षम होगा।
- बहुत कम देश हैं जो इस तकनीकी सफलता को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। के–4 की प्रायिकता की त्रुटि (सी इ पी, मिसाइल के गिरने के स्थान के चारों और इसके प्रभाव की त्रिज्या जो इसके मार्गदर्शन प्रणालियों की प्रभावकारिता का भी माप है) 40 मीटर या उससे कम थी। यह इसे स्टैंड–ऑफ रेंज से लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए आदर्श बनाता है। चीनी मिसाइलों की तुलना में इसका सीईपी अधिक परिष्कृत है।

साइबर क्राइम प्रीवेंशन यूनिट

समाचार –

- गृह मंत्री ने सीसीटीवी निगरानी की एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आश्वस्त परियोजना के साथ–साथ गुजरात पुलिस के लिए साइबर विश्वास नाम से परियोजना भी शुरू की है।

साइबर आश्वस्त क्या है?

- यह गुजरात पुलिस के साइबर क्राइम सेल द्वारा शुरू की गई एक पहल है जहाँ विभिन्न इकाइयों को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन अपराधों जैसे वित्तीय अपराधों, पहचान की चोरी आईडेंटिटी थेफ्ट एवं यहां तक कि ऑनलाइन बदमाशी एवं उत्पीड़न से निपटने के लिए बनाया जाएगा।

साइबर आश्वस्त कौन सी इकाइयाँ हैं?

- इसमें चार इकाइयाँ हैं जिनमें 'हादसा प्रतिक्रिया इकाई', साइबर सुरक्षा लैब, साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट एवं एंटी साइबर बुलिंग यूनिट शामिल है।
- वित्तीय अपराधों के मामलों में, समय एक आवश्यक कारक है एवं इस संबंध में, हादसा प्रतिक्रिया इकाई बनाई गई है जो एक 24 × 7 आधार पर उपलब्ध टीम है जो ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तैयार है जैसे कि ओटीपी फरहा की गई धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के माध्यम से लुटे गए धन न्च्प् लिंक के माध्यम से, ओटीपीके बिना धोखाधड़ी, कार्ड क्लोनिंग एवं फिशिंग। अभी के लिए, हेल्पलाइन नंबर 100 है, जो इस टीम को पुनर्निर्देशित करता है एवं गुजरात के सात नए बने जिलों के लिए, यह 112 है।
- इसी तरह, साइबर सुरक्षा लैब नागरिकों के लिए एक समर्पित स्थान होगा जहां वे यह पता लगाने के लिए कियोस्क की मदद ले सकते हैं कि उनका फोन हैक हुआ है या वह मैलवेयर का शिकार है।
- साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें हजारों फोन नंबर एवं वेबसाइट लिंक के डेटाबेस होंगे, जिन पर वित्तीय अपराधों में शामिल होने का संदेह किया गया है ताकि नागरिक खुद को जागरूक कर सकें एवं सतर्क रहें।
- साइबर एंटी– बुलीइंग यूनिट ऑनलाइन गोपनीयता, बनाए रखने, ऑनलाइन छेड़छाड़, उत्पीड़न, धमकाने, मॉर्फ्ड चित्रों का उपयोग करने, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों एवं परामर्शदाताओं की समर्पित टीम है। इसका हेल्पलाइन नंबर 100 है।

साइबर आश्वस्त के अलावा अन्य क्या पहल है?

- साइबर आश्वस्त के माध्यम से गुजरात पुलिस ने साइबर क्राइम को–ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट पोर्टल नामक एक पोर्टल शुरू किया है, जहां कोई भी राज्य पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी गुजरात में रहने वाले किसी भी अपराधी का विवरण प्राप्त कर सकती है।
- मामले को तुरंत गुजरात के साइबर अपराध सेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जो बाद में इन मामले से निपटेगा।

विश्वास क्या है?

- ई–गवर्नेंस पहल वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी (विश्वास) को लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंट्रोल, वीडियो एनालिटिक्स की मदद से क्राइम डिटेक्शन और पोस्ट इंवेस्टीगेशन इन्वेस्टिगेशन और वीडियो इंसेंटिक्स की मदद से लॉन्च किया गया है।
- इस योजना के अंर्तगत गुजरात के 34 जिलों में कमांड व कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।
- गुजरात के 41 शहरों में प्रमुख जगहों पर करीब 7000 सीसीटीवी कैमरें लगाएं जाएंगे।

दो कॉस्टगार्ड जहाजों को कमीशन किया गया

समाचार –

दो भारतीय तटरक्षक जहाजों (आई सी जी एस) अर्थात् एनी बेसेंट एवं अमृत कौर को कोलकाता में रक्षा सचिव द्वारा कमीशन किया गया।ष

आईसीजीएसएनी बेसेंट –

- आई सी जी एस एनी बेसेंट का नामपरोपकारी, थियोसोफिस्ट, विपुल लेखक एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थक, एनी बेसेंट, के सम्मान में रखा गया था।
- जहाज, तटरक्षक क्षेत्र (पूर्व) के परिचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चेन्नई में स्थित होगा।

आई सी जी एसअमृत कौर –

- आई सी जी एस अमृत कौर का नाम राजकुमारी अमृत कौर से लिया गया है, जो पंजाब के कपूरथला के शासक परिवार से थीं।
- उन्होंने 'नमक सत्याग्रह' एवं श्भारत छोड़ो आंदोलनश् में सक्रिय भाग लिया एवं स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया।
- जहाज, तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पूर्व) के परिचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हल्दिया में स्थित होगा।

जहाजों की विशेषताएं –

- दोनों जहाज 30.9 टन के विस्थापन के साथ 48.9 मीटर लंबे एवं 7.5 मीटर चौड़े हैं।
- जहाज 34 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो एमटीयू 4000 श्रृंखला इंजनों के साथ संचालित हैं एवं रोल्स रॉयस द्वारा तीन 71S टाईप III कामेवा जल जेट विमानों द्वारा संचालित हैं।
- जहाज निगरानी, अंतर्विरोध, खोज एवं बचाव एवं चिकित्सा निकासी जैसे बहुआयामी कार्यों को करने में भी सक्षम हैं।
- आईसीजीएस एनी बेसेंट एवं आईसीजीएस अमृत कौर को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर एवं मशीनरी से सुसज्जित किया गया है।
- जहाज की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए बोफोर्स 40/60 बंदूकें एवं 12.7 मिमी एसआरसीजी (स्थिर रिमोट कंट्रोल गन) से भी लैस हैं।
- जहाज पर एक आरआईबी (कठोर फैलाई जा सकने वाली नाव) एवं एक स्विफ्ट बोर्डिंग एवं खोज तथा बचाव कार्यों के उपकरण ले जाए जा सकते हैं।

इजराइली स्पाइवेयर द्वारा भारतीय पत्रकारों एवं सुधारकों की जासूसी की गई

समाचार –

- एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में व्हाट्सएप ने भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं दलित कार्यकर्ताओं की इजरायल स्पायवेयर श्पेगाससश् का उपयोग करके जासूसी होने की पुष्टि की है।
- फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने दावा किया कि उसने उपयोगकर्ताओं को सतर्क कर दिया था। व्हाट्सएप ने इजरायली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के कुछ दिनों बाद यह बयान दिया। मुकदमे के मुताबिक, 2019 के आम चुनावों के दौरान पेगासस का इस्तेमाल स्मार्टफोन को हाईजैक करने के लिए किया गया था। हालांकि व्हाट्सएप ने जासूसी किए गए लोगों की पहचान एवं सटीक संख्या को देने से इनकार कर दिया। व्हाट्सएप उन लक्षित लोगों से अवगत था एवं उनमें से प्रत्येक से संपर्क किया था।
- व्हाट्सएप पर आने एवं जाने वाले संदेशों को एन्क्रिप्ट एवं सुरक्षित किया जाता है, समस्या तब शुरू होती है जब एक मैलवेयर डिवाइस को ही नियंत्रण में कर लेता है, जिससे गोपनीयता भंग होने के संभावना बहुत बढ़ जाती है तथा इसे अक्सर स्वतंत्रता को तथा कभी–कभी जीवन को भी नुकसान होता है।
- पेगासस एक स्पाइवेयर है जो एंड्रॉइड एवं आईओएस दोनों फोन को संक्रमित कर सकता है। यह आमतौर पर लक्षित डिवाइस के लिए एक विशेष रूप से बनाई गई लिंक भेजकर डिवाइस में प्रवेश कराया जाता है।
- एक बार डिवाइस में प्रवेश होने के बाद, हैकर के पास पीड़ित के फोन पर डेटा की पूरी पहुंच होती है। स्पाइवेयर का उपयोग डिवाइस की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है, एवं यहां तक कि लक्ष्य की जासूसी करने के लिए कैमरा एवं माइक्रोफोन को ऑन भी किया जा सकता है।

भारतीय नौसेना ने ऑफशोर डाटा, उत्पादों को साझा करने के लिए जीएसआई के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

समाचार –

- भारतीय नौसेना ने 21 जनवरी 2020 को समुद्र तटीय और सालों के आंकड़ों, उत्पादों तथा विशेषता संबंधित मौसम विज्ञान तथासमुद्र विज्ञान नौसैनिक अनुप्रयोगों को साझा करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- मंगलुरू स्थित जीएसआई के समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग ने भारत के अधिकांश 2.1 मिलियन वर्गकिमी अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मानचित्रण किया है एवं इसमें अपतटीय डेटा का विशाल भंडार है।
- यह डाटा जी एस आई के अत्याधुनिक महासागरीय अनुसंधान जहाजों समुंद्र मंथन, समुद्र कौस्तुभ, समुद्र शास्त्र एवं समादृत रत्नाकर का उपयोग कर प्राप्त किया गया है।
- इस डेटा का उपयोग अब भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने ऑपरेशंस को मदद करने के लिए विश्वसनीय एवं सटीक समुद्र विज्ञान मॉडलिंग के लिए किया जाएगा।

सुखोई 30 एमकेआई हवाई जहाजों को ब्रह्मोस मिसाइलों से सुसज्जित किया गया

समाचार –

- भारतीय वायु सेना ने 20 जनवरी 2020 को तमिलनाडु में अपने तंजावुर बेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाने सकने वाले सुखोई –30 एमकेआई विमान के अपने पहले स्क्वाड्रन को शामिल किया है।

- नए बहाल किए गए 222–स्क्वाड्रन, जिन्हें टाइगशर्क्स के रूप में भी जाना जाता है, हिंद महासागर क्षेत्र में हवाई एवं समुद्री भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक घातक हथियार मंच के रूप में, सेवा करेंगे। तंजावुर रणनीतिक रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में स्थित है।
- टाइगशर्क्स समुद्र में दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं एवं भारतीय नौसेना को बहुत करीबी एवं एकीकृत समर्थन प्रदान कर सकते हैं। यह भूमि बलों को सहायता भी प्रदान कर सकता है।
- सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ब्रह्मोस के साथ एकीकृत सुखोई –30 एमकेआई विमान के रूप में हथियार क्षमता के मामले में हमारे पास सबसे मजबूत समुद्री संयोजन है।
- पूर्व एवं पश्चिम तथा साथ ही हिंद महासागर में आसान पहुंच के कारण तंजावूर इन विमानों की तैनाती के लिए सबसे आदर्श स्थान है।

तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के नौसेना संस्करण ने आई एन एस विक्रमादित्य से उड़ान भरी

समाचार –

- भारतीय नौसेना के एकमात्र विमानवाहक पोत आई एन एसविक्रमादित्य के डेक से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) के एक नौसेना प्रोटोटाइप ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी।
- तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) द्वारा अन्य निकायों के अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि के विमान अनुसंधान एवं डिजाइन केंद्र के समन्वय में विकसित किया गया है।
- जबकि भारतीय वायु सेना ने पहले ही तेजस फाइटर जेट की एक बैच को शामिल कर लिया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नौसेना संस्करण अभी भी प्रोटोटाइप चरण में है।
- आई एन एस विक्रमादित्य देश का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक है। इसे 1987 में बनाया गया था एवं इससे पहले यह सोवियत नौसेना में तैनात था। यह 30 से अधिक विमानों को ले जा सकता है जिसमें मिग –29 के, कामोव –28, कामोव –31, एएलएच–ध्रुव एवं चेतक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
- इसे इजराइल के साथ संयुक्त विकास के तहत बराक मिसाइल प्रणाली से लैस किया गया है। यह कर्नाटक में अपने होम पोर्ट पर तैनात है।

डी आर डी ओ ने हल्के लड़ाकू विमान का नौसैनिक संस्करण तैयार किया

समाचार –

- स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए के नौसैनिक संस्करण ने विमानवाहक पोत आई एन एस विक्रमादित्य पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की। यह विमान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है।
- इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ एवं नौसेना को बधाई देते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह आई एन एसविक्रमादित्य पर एलसीए के नौसैनिक संस्करण के उतरने के विवरण जानकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, यह सफल लैंडिंग भारतीय लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम के इतिहास में एक शानदार घटना है।
- डीआरडीओ ने एक ट्वीट में कहा, शोर आधारित टेस्ट सुविधा पर व्यापक परीक्षण पूरा करने के बाद, एलसीए नेवी के आई एन एस विक्रमादित्य पर एक अरेस्ट लैंडिंग की। डीआरडीओ के चेयरमैन, डॉ–जी– सतेश रेड्डी ने डीआरडीओ एवं अन्य एजेंसियों की टीम के सदस्यों जो इस विमान के विकास में शामिल थे को बधाई दी है।
- विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए की सफल लैंडिंग के साथ, भारत ने उन चुनिंदा देशों के क्लब में प्रवेश किया है, जिनके पास एक लड़ाकू विमान को डिजाइन करने की क्षमता है जो एक विमान वाहक पर उतर सकता है।
- कमोडोर जयदीप मोलांकर ने पहली लैंडिंग का संचालन किया। एलसीए अपनी श्रेणी का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का मल्टी–रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। एलसीए कार्यक्रम का इरादा भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमताओं को आगे बढ़ाने का है।

2020 सीआईएसएफ द्वारा गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा

समाचार –

- सीआई एस एफ ने सैनिकों के कल्याण के लिए 2020 को षातिशीलता के वर्षष् के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
- यह आवासीय इकाइयों के निर्माण एवं सैनिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- वर्ष 2020 में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) अपने परिवारों के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने का लक्ष्य रखेगा।
- यह स्पोर्ट्स एवं फिजिकल फिटनेस का लाभ उठाने के साथ आधुनिक गैजेटरी पर ध्यान केंद्रित करने का भी लक्ष्य रखेगा।
- सीआईएसएफ सिविल एयरपोर्ट, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, माइंस, थर्मल पावर स्टेशन की रक्षा भी निजी डोमेन में करता है।

पारस्परिक कानूनी सहायता उपचारों के लिए संशोधित नियम

समाचार –

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपराधों को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एवं अन्य मामलों में आपराधिक कानूनी मामलों में आपसी कानूनी सहायता के संदर्भ में संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
- भारत ने आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए 42 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटी) पर हस्ताक्षर किए हैं एवं गृह मंत्रालय को देश में इसके लिए केंद्रीय प्राधिकरण 'नामित किया गया है है।
- गृह मंत्रालय ने आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक कानूनी सहायता की प्रक्रिया को बढ़ाने एवं कारगर बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं।
- एम एल ए टी के तहत, एक देश आपराधिक जांच एवं अभियोजन के लिए सबूत प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। सबूत में गवाह के बयान या दूसरों के बीच दस्तावेजों की सेवाएं शामिल है।
- संशोधित दिशा–निर्देश, पत्र व्यवहार को बनाए रखने, परस्पर कानूनी सहायता अनुरोधों, समन नोटिस एवं अन्य न्यायिक दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए जाँच एजेंसियों को चरण–दर–चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

चीन–पाक नौसेना ड्रिल के चलते आई एन एस विक्रमादित्य अरब सागर में तैनात

समाचार –

- अरब सागर में चीन एवं पाकिस्तान नौ दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास के चलते भारत ने इस क्षेत्र में अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को तैनात किया।
- पाकिस्तान एवं चीन ने अपनी दो नौसेनाओं के बीच अंतर–संचालन एवं रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तरी अरब सागर में एक बड़ी कवायद शुरू की है।
- कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच श्सी गार्जियनश् अभ्यास हुआ। पनडुब्बी, विध्वंसक एवं फ्रिगेट सहित चीन एवं पाकिस्तान दोनों के प्रमुख हथियार अभ्यास का हिस्सा थे।

विंड रेडर

समाचार –

- भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, जिसे विंग्ड रेडर 'कहा गया, इसमें उत्तर–पूर्वी थिएटर 500 से अधिक विशेष बल की टुकड़ियोंक्या ने हिस्सा लिया।
- अभ्यास भारतीय सेना के चीन सीमा की और जाने का संकेत देता है।
- सेना क्षमता निर्माण करने जा रही है, जिसमें सीमा के पास के क्षेत्रों में आवासों, गोला–बारूद के भंडारण के लिए सड़कें बनाना एवं हमारे कुछ उन्नत हथियार प्रणाली को पूर्वी तरफ ले जाना शामिल है। इससे पश्चिमी एवं उत्तरी मोर्चों पर अपनी सेना एवं संसाधनों की तैनाती पुनर संतुलित हो रही है।

'सहयोग– काइजीन'

समाचार –

- भारतीय एवं जापानी तट रक्षकों ने 16–20 जनवरी 2020 के बीच एक संयुक्त अभ्यास सहयोग–काइजीन में भाग लिया। सहयोग– काइजीन के पीछे उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना था। जापानी तटरक्षक बल के एक जहाज एवं भारतीय तटरक्षक बल के चार जहाजों एवं एक विमान ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया।
- अभ्यासों ने संयुक्त संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अलावा, एक दूसरे की क्षमताओं कुछ सीखने एवं अपने कामकाजी स्तर के संबंध को मजबूत करने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण –

समाचार –

- 1 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने सल्फर उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से आर्कटिक क्षेत्र में जहाजों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके कारण जहाज ईंधन के नए मिश्रणों का विकल्प चुन रहे हैं।

विवरण –

- हाल ही में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आर्कटिक क्षेत्र में नए कम सल्फर युक्त समुद्री ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था ऐसा करते हुए उन्होंने अनुसंधानों का हवाला देते हुए बताया था कि बहुत कम–सल्फर वाले ईंधन तेल (वीएलएसएफओ) के मिश्रण पर्यावरण में अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रदार्थों तथा ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं।

नए आईएमओ नियम –

- आईएमओ ने पहले के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 0.5 प्रतिशत से ऊपर सल्फर सामग्री वाले ईंधन के उपयोग करने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- नई सीमाओं की निगरानी एवं उन देशों के राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा लागू की जाएगी, जो जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ड।त्व्ब्स्) अनुलग्नक टप् के सदस्य हैं।
- नई नीति के तहत, केवल उन जहाजों को जिनमें सल्फर साफ करने के उपकरण जिन्हें स्क्रबर के रूप में जाना जाता है, को ही उच्च सल्फर ईंधन के प्रयोग की अनुमति है।
- वैकल्पिक रूप से, वे समुद्री गैस तेल (डळव्) एवं बहुत कम सल्फर ईंधन तेल (टस्ैथ्व्) जैसे ईंधन को चुन सकते हैं।
- वीएलएसएफओ के खिलाफ भी शिकायतें हैं। परीक्षण कंपनियों ने दावा किया है कि इस ईंधन के उपयोग के कारण उच्च तलछट का गठन होता है जो पोत के इंजनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- आईएमओ 2020 के नए नियमों को दशकों बाद तेल एवं शिपिंग उद्योगों में लिया गया सबसे बड़ा कदम माना गया है। यह दुनिया भर में 50,000 से अधिक व्यापारी जहाजों को प्रभावित करेगा।

चिंता की बात –

- सल्फर ऑक्साइड (एसओएक्स), जो इंजनों में दहन के बाद बनती हैं, श्वसन प्रणाली एवं फेफड़ों की बीमारी के लिए के साथ ही एसिड वर्षा के लिए भी जानी जाती हैं।

विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट

समाचार –

- समिति के वर्ष 2020 के संस्करण का विषय था 'टुवार्ड्स 2030 गोल्सः मेकिंग द डिकेड अकाउंट'।
- यह समय एनर्जी एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का वार्षिक एवं महत्वपूर्ण आयोजन है।
- यहां समेत विकासशील देशों में उत्पन्न हो रहे मुद्दों को समझने के लिए एकमात्र समिति।
- यह समित विश्व के नेताओं एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सार्वभौमिक महत्व के पर्यावरण के मुद्दों पर बात करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
- यह समेत विश्व के सबसे बुद्धिमान नेताओं एवं विचारकों को एक प्लेटफार्म पर लाकर वैश्विक जनता के लिए लंबे समय के हल प्रदान करती है।
- यह समिट 2001 में हुई दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक वैश्विक साझा उद्देश्य बना दिया गया था की विरासत है

भारत पोगो संबंध

समाचार –

- हाल ही में, टोगो रिपब्लिक एवं भारत ने दापोंग (दलवाक क्षेत्र) एवं मैंगो (सावंस क्षेत्र) में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं के विकास के लिए एक साथ काम करना स्वीकार किया है।
- राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (छज्ब्) लिमिटेड इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में कार्य करेगा
- टोगो एनटीपीसी की सेवाओं का लाभ उठाने वालापहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) देश है।

मध्य पूर्व योजना

समाचार –

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्य पूर्व योजना, शांति से समृद्धि– फिलिस्तीनी एवं इजरायली लोगों के जीवन में सुधार के लिए एक विजन, अर्थ अर्थ अंग्रेजी में पीस टु प्रोस्पेरिटी वन टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ फलस्तीनियन एंड इजराइली पीपल को हाल ही में जारी किया गया था।

विवरण –

- इजराइल एवं फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम पर अपना दवा करते हैं। योजना के अनुसार यरूशलेम को विभाजित नहीं किया जाएगा, एवं यह ष्इजराइल राज्य की संप्रभु राजधानीष् रहेगा।
- फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी इलाकों में ष्मौजूदा सुरक्षा अवरोधष् से परे बनाया जा सकता है, जिसका नाम बदलकर अल कुद्स रखा जा सकता है, जो यरूशलेम के लिए अरबी नाम है।
- इजरायल को वेस्ट बैंक में अपनी किसी भी अवैध बस्तियों को खत्म नहीं करना है।
- फिलिस्तीनियों के लिए, यह सौदा अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त अर्ध–संप्रभु राज्य की संभावना प्रदान करता है, हालांकि, एक स्थायी सेना नहीं होगी। उन्हें इजरायल के प्रति हिंसक प्रतिरोध भी छोड़ना होगा एवं हमास जो गाजा पर शासन करता है, के विघटन को सुनिश्चित करना होगा।
- पर्यवेक्षकों ने कहा है कि सौदा, जो बिना किसी सार्थक फिलिस्तीनी भागीदारी के तैयार किया गया है, इजरायल के पक्ष में है।

भारत–मालदीव

समाचार –

- भारत ने मालदीव को खसरे के हाल के प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है।
- भारतीय दूतावास ने हाल ही में खसरा एवं रूबेला (डत) वैक्सीन की 30,000 खुराकें मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय को दीं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मालदीव को खसरा मुक्त घोषित करने के तीन साल से भी कम समय बाद वहां इसका प्रकोप फिर से हुआ है।
- दोनों देशों ने जून 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की माले की यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- मालदीव में डिजिटल स्वास्थ्य क्षमताओं को स्थापित करने, डॉक्टरों एवं चिकित्सा पेशेवरों, रोग की निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए जनवरी के शुरू में सचिव स्तर के प्रतिनिधिमंडल मिले थे।

रोहिंग्या संकट

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई सी जे) ने रोहिंग्या संकट पर अपना फैसला सुनाया है।
- अदालत का फैसला म्यांमार के लिए बाध्यकारी है, एवं इसके विपरीत अपील नहीं की जा सकती।
- फैसले के अनुसार, म्यांमार की सरकार को अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए तुरंत ष्अपनी शक्ति के भीतर सभी उपायष् करने चाहिए।
- इसे नरसंहार की रोकथाम एवं सजा पर कन्वेंशन के तहत म्यानमार के दायित्वों के अनुसार किया जाना है।
- फैसले के अनुसार, म्यांमार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सेना या उसके नियंत्रण में कोई भी अनियमित सशस्त्र इकाइयाँ, ऊपर वर्णित किसी भी कृत्य को अंजाम न दें, और ना ही नरसंहार करने के लिए प्रतिबद्ध, प्रत्यक्ष, प्रयास करने का प्रयास करें।
- म्यांमार नरसंहार के आरोपों को रोकने एवं इन कृत्यों संबंधित सबूतों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करे।

भारत – ब्राजील संबंध

समाचार –

ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोनसरो इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।

विवरण –

- गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि को प्रोटोकॉल के मामले में भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है।
- दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक कार्य योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर 15 समझौतों /समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

- कार्य योजना के तहत, मौजूदा तंत्र, साथ ही लक्ष्यों को छह प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।
- राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत–ब्राजील संयुक्त आयोग कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी का मुख्य मंच होगा एवं हर दो साल में, कार्य योजना के लिए दोनों देशों की बैठक बुलाएगा।

यात्रा के दौरान सहमति/सहमति पत्र –

- बायोएनर्जी पर शोध करने के लिए भारत में एक नोडल संस्थान की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।
- ऽनिवेश सहयोग एवं सुविधा संधि।
- आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर समझौता।
- पारंपरिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- 2020–2024 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम।
- इन्वेस्ट इंडिया एवं ब्राजील व्यापार एवं निवेश संवर्धन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।

पन्द्रहवां हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2020

समाचार –

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हेनले एंड पार्टनर्स, वैश्विक नागरिकता एवं निवास सलाहकार फर्म द्वारा 7 जनवरी को जारी प्रतिष्ठित विश्व पासपोर्ट रैंकिंग है।
- एशियाई देश अर्थात् जापान को इस सूचकांक में क्रमिक रूप से सिंगापुर, जर्मनी एवं दक्षिण कोरिया के आगे नंबर 1 पर रखा गया है। 2020 का सूचकांक बताता है कि जापानी नागरिक अग्रिम वीजा आवश्यकता के बिना 191 गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं। इस वर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के पंद्रह साल के इतिहास में स्कोर का अंतर उच्चतम है।
- पिछले वर्षों के, डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन एवं अमेरिका अपने नीचे की और खिसकने की यात्रा जारी रखे हुए हैं। 2015 में दोनों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद 2020 में आठवां स्थान प्राप्त किया है।
- मध्य पूर्वी देशों ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति की।
- एक उल्लेखनीय देश जिसने तेजी से प्रगति की है, यूएई है, जो 2010 में 65 वीं रैंक से 2020 में 18 वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि सऊदिया अरब 66 वें स्थान पर है।
- अफगानिस्तान 107 वें स्थान पर है एवं 2020 में सूची में सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में आंका गया है।
- ब्रिक्स देशों में, ब्राजील 19 वें, रूस 51 वें, दक्षिण अफ्रीका 56 वें एवं चीन 71 वें स्थान पर है।

भारत का पासपोर्ट –

- भारतीय पासपोर्ट 84 वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि 2006 में इसे 71 का स्थान प्राप्त था। डेटा से पता चलता है कि सर्बिया एकमात्र यूरोपीय देश है जहां भारतीय बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं।
- कई देशों ने एक साथ एक ही रैंक प्राप्त की है एवं वास्तव में भारत से ऊपर 147 राष्ट्र हैं।
- भारत के पासपोर्ट धारक 58 देशों में बिना वीजा के सफर कर सकते हैं तथा 33 देशों में उन्हें उन देशों मेंपहुंचने पर वीजा प्राप्त हो सकता है।

सूचकांक विवरण –

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 में शुरू हुआ, यहकिसी देश के पासपोर्ट धारकों को पूर्व वीजा की आवश्यकता के बिना विभिन्न देशों में पहुंच सकने की संख्या की रैंकिंग होती है। देश के पासपोर्ट धारक अधिक देशों में बिना विदा के प्रवेश कर सकते हैं तो उस देश की पासपोर्ट रैंकिंग या पासपोर्ट इंडेक्स अच्छा माना जाता है।
- यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) से निकले आंकड़ों पर आधारित है, जो मूल रूप से एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें लगभग 290 एयरलाइंस शामिल हैं।

- दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट –
  1. जापान – 191 देशों में वीजा–मुक्त प्रवेश
  2. सिंगापुर – 190 देश
  3. जर्मनी, दक्षिण कोरिया – 189
  4. फिनलैंड, इटली – 188
  5. डेनमार्क, लक्समबर्ग, स्पेन – 187
  6. फ्रांस, स्वीडन – 186
  7. ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड – 185
  8. बेल्जियम, ग्रीस, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका – 184
  9. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, माल्टा, न्यूजीलैंड – 183
  10. हंगरी, लिथुआनिया, स्लोवाकिया – 181

पांचवा रायसीना संवाद

समाचार –

- 5 वीं रायसीना वार्ता, एक भू–राजनीतिक वार्ता, नई दिल्ली में 14–16 जनवरी 2020 के बीच हुई। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के सहयोग से की थी।
- रायसीना संवाद एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसे 2016 में एशिया के नेताओं को वैश्विक नेताओं से बातचीत का एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
- हर साल, नीति, व्यवसाय, मीडिया एवं नागरिक समाज के वैश्विक नेता अंतरराष्ट्रीय नीति मामलों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए, इस वार्ता में आते हैं।
- संवाद को एक बहु–हितधारक, क्रॉस– सेंट्रल चर्चा के रूप में संरचित किया गया है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय सरकारी अधिकारी, साथ ही निजी क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी, मीडिया एवं शिक्षाविद शामिल होते हैं।
- इस प्रकार यह संवाद नए पुराने के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

2020 का सम्मेलन –

- अफ्रीकी देशों के 80 सहित 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इस वर्ष के संवाद का शीर्षक था अल्फा सेंचुरी को नेविगेट करनृ।
- यह सम्मेलन भू–राजनीति पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में उभरा है।
- रायसीना उन देशों के प्रतिभागियों को एक साथ लाने में सफल रही है जो एक–दूसरे के साथ संघर्ष में हैं – जैसे कि अमेरिका एवं चीन, अमेरिका एवं ईरान तथा रूस एवं खाड़ी देश इत्यादि।
- इस वर्ष के संवाद में यूरोप से बड़ी संख्या में मंत्रियों की भागीदारी देखी गई, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से भारतीय कूटनीति में उपेक्षित है।
- राजनीतिक नेताओं एवं सरकारी अधिकारियों के अलावा, इसने दुनिया भर के प्रौद्योगिकी नेताओं, मीडिया हस्तियों एवं नीति निर्माताओं को आकर्षित किया, जिससे दिल्ली को कश्मीर में विवादास्पद कदमों एवं नागरिकता पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिला।
- अधिक मोटे तौर पर, रायसीना संवाद भारतीय रणनीतिक समुदाय एवं दुनिया में इसके समकक्षों के बीच स्थायी बौद्धिक नेटवर्क के विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।

इसकी सफलता के कारण –

- रायसीना की सफलता का कारण नई सहस्राब्दी में तेजी से आर्थिक विकास एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को आकार देने में भारत की महत्वता की मान्यता के बीच भारत में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भर्ती रुचि है।
- ऐसा इस तथ्य के कारण भी है कि यह संवाद सरकार एवं एक निजी थिंक टैंक के बीच सहयोग पर आधारित है। इस संवाद ने वैश्विक रणनीतिक समुदाय एवं सरकारों के मध्य जमी बर्फ को पिघलाने का कार्य भी किया है।
- रायसीना संवाद का जन्म 5 वर्ष पहले इस मान्यता के साथ हुआ था कि भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बावजूद दिल्ली का अपना खुद का कोई अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं है। भारत वैसे तो विश्व मामलों के साथ–साथ बाहरी विकास के लिए अतिसंवेदनशील है। लेकिन इसका नीतिगत प्रवचन अतीत में अटका हुआ था। रायसीना संवाद उस प्रवचन को फिर से समझने एवं पारंपरिक नौकरशाही ढोंग जिसे सरकार सबसे अच्छी तरह से जानती है को त्यागने की रणनीति का हिस्सा रहा है।

2 जी लाइसेंस मामला

समाचार –

- सरकार ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 2 जी सेवाएं प्रदान करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को रद्द करने के संबंध में भारत के खिलाफ सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
- कार्यवाही स्थायी न्यायालय (पीसीए) द्वारा संचालित की गई थी।
- दावों को टेनोच होल्डिंग्स लिमिटेड (साइप्रस), मि–मैक्सिम नौमचेंको (रूसी संघ) एवं मिस्टर एंड्री पोलुएक्टोव (रूसी संघ) ने साइप्रस एवं रूसी संघ के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों के तहत भारत के खिलाफ दायर किया था।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधियां एक निजी निवेशक को अपने निवेशों की सुरक्षा के लिए

सरकार के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देती हैं।

- फैसला पिछले साल जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पंचाट न्यायाधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग मध्यस्थता नियम, 1976 के साथ मिलकर किया गया था।
- मध्यस्थता, भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के लिए भारत के पांच दूरसंचार क्षेत्रों में 2 जी सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार लाइसेंस जारी करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को रद्द करने से उत्पन्न हुई।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती जेड बी एन एफ

समाचार –

- जर्मन फर्म के साथ चल रहे परियोजना को बढ़ाने के लिए किए गए समझौते के हिस्से के रूप में, सरकार ने 1015 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि में से 711 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए खर्च किए जाने वार्ले जेड बी एन एफ के लिए खर्च किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना पर 304 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसका लक्ष्य लगभग 600 ग्राम पंचायतों में 2.39 लाख किसानों को कवर करना एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।

2020 में यूरेशिया ग्रुप को हो सकने वाले प्रमुख खतरे प्रकाशित

समाचार –

- यह यूरेशिया समूह के शीर्ष 10 वैश्विक राजनीतिक जोखिमों का वार्षिक पूर्वानुमान है के वर्ष के दौरान होने की सबसे अधिक संभावना है। इस वर्ष की रिपोर्ट 6 जनवरी 2020 को प्रकाशित हुई थी।
- 2020 के शीर्ष 10 वैश्विक जोखिम हैं–
  1. अमेरिकी राजनीति
  2. अमेरिका एवं चीन की तकनीक ष्डिकम्पलिंगष।
  3. सामान्य यू.एस. / चीन के तनाव।
  4. बहुराष्ट्रीय निगम मंडी
  5. भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का विवादास्पद एजेंडा।
  6. एक अधिक आक्रामक, स्वतंत्र यूरोप।
  7. जलवायु परिवर्तन की राजनीति बनाम अर्थशास्त्र
  8. मध्य पूर्व में शिया नेतृत्व वाले देशों में अमेरिकी नीति का विफल रहना
  9. लैटिन अमेरिका में असंतोष।
  10. तुर्की की असफलअर्थव्यवस्था एवं सरकार।

व्यापार एवं निवेश (डीटीआई) से जुड़े भारत–नॉर्वे डायलॉग का पहला सत्र संपन्न

समाचार –

- व्यापार एवं निवेश पर भारत–नॉर्वे वार्ता (क्ज्प्) का पहला सत्र 15–16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- यह सत्र नॉर्वे की प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान भारत एवं नॉर्वे के बीच नई दिल्ली में 8 जनवरी 2019 को हस्ताक्षरित संदर्भ (टीओआर) की शर्तों पर आधारित था।
- डीपीआई पर हस्ताक्षर के बाद यह पहली बैठक थी। पहला सत्र 15 जनवरी 2020 को भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक उद्योग बातचीत से पहले हुआ था, जहां आपसी हित जैसे अर्थव्यवस्था, शिपिंग एवं समुद्री, आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन एवं एमएसएमई के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई थी।
- दोनों पक्षों ने संबंधित देशों में उपलब्ध निवेश अवसरों पर विचारों का आदान–प्रदान किया एवं साथ ही आकर्षक निवेश वातावरण बनाने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा विस्तारित की जा रही सुविधाओं पर भी चर्चा की।
- दोनों पक्षों ने कहा कि दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आदान–प्रदान की गतिशील प्रकृति के परिणामस्वरूप भारत एवं नॉर्वे के बाजारों में पहुंच स्थापित करने एवं हासिल करने में रुचि रखने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ जाएगी।

विराटनगर समन्वित चेक पोस्ट

समाचार –

- भारत एवं नेपाल ने विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट (प्ब्च्) का उद्घाटन किया।
- दोनों देश 1,850 किलोमिटर से लंबी सीमा साझा करते हैं, जहां लोगों की मुफ्त आवाजाही की एक अनूठी एवं लंबी परंपरा है। जोगबनी–विराटनगर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिंदुओं में से एक है।
- लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से 260 एकड़ जमीन पर आईसीपी बिराटनगर बनाया गया है। इसमें विदेशी यात्रियों की आव्रजन मंजूरी, निर्यात एवं आयात कार्गो हैंडलिंग की सुविधाएं हैं। यह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है एवं प्रति दिन

लगभग 500 ट्रकों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

- अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के साथ–साथ संगरोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं, ड्राइवरों, यात्रियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं।
- इसके अलावा, भारत नेपाल के गोरखा एवं नुवाकोट जिलों में 50,000 घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक लगभग 91 प्रतिशत घरों का पुनर्निर्माण किया गया है। भारत ने नेपाल के भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है।

पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा में बर्बरता

समाचार –

- भारत ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा में हुई बर्बरता की कड़ी निंदा की है। इसने पाकिस्तान सरकार से सिख समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा, सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है।
- विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली 3 जनवरी 2020 को ननकाना साहिब गुरुद्वारे में की गई बर्बरता से चिंतित है।
- श्री गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान ननकाना साहिब में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के सदस्यों ने हिंसा के कार्य किए हैं।
- भारत ने पाकिस्तान को पवित्र ननकाना साहिब गुरुद्वारा एवं उसके आसपास की पवित्रता की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सभी उपाय करने को कहा है।

भारत एवं फ्रांस

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं फ्रांस के बीच प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते के अनुसमर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- मार्च, 2018 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भारत के दौरे के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- समझौता लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देने एवं दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवास एवं मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझौता भारत एवं फ्रांस के बीच बहु–आयामी संबंधों का तेजी से विस्तार करता है एवं दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।
- समझौता शुरू में सात साल की अवधि के लिए वैध है, इसमें एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से स्वचालित नवीनीकरण एवं एक निगरानी तंत्र के लिए प्रावधान शामिल है।

कला एवं संस्कृति

भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) –

- भारतीय इतिहास कांग्रेस की स्थापना 1935 में हुई थी, यह दक्षिण एशिया में पेशेवर इतिहासकारों का सबसे बड़ा संघ है।
- इसमें लगभग 35000 सदस्य हैं जिनमें से 2000 से अधिक प्रतिनिधि प्रतिवर्ष इसके सत्र में भाग लेते हैं।
- यह अपनी स्थापना के बाद से नियमित रूप से सत्रों को आयोजित करता रहा है एवं 1935 से हर वर्ष अपनी आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है।
- इसका मुख्य उद्देश्य इतिहास के धर्मनिरपेक्ष एवं वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना है।

मराठी को 'शास्त्रीय' भाषा के रूप में घोषित करने की मांग

समाचार –

- हाल ही में हुए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के 93 वें संस्करण में मराठी को 'शास्त्रीय' भाषा के रूप में घोषित करने की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया गया।

विवरण –

- वर्तमान में, छह भारतीय भाषाओं तमिल (2004 में घोषित), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013) एवं ओडिया (2014) को 'शास्त्रीय' भाषाओं का दर्जा प्राप्त है।

भाषा को 'शास्त्रीय' घोषित करने के दिशानिर्देश निम्न प्रकार हैं –

1. इसके प्रारंभिक ग्रंथों की अधिकतम प्राचीनता या 1500–2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास।
2. भाषा का प्राचीन साहित्यध्ग्रंथों का एक निकाय हो जिसे वक्तओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता रहा हो।
3. साहित्यिक परंपरा मूल हो अर्थात दूसरे भाषायी–समुदायों से उधार ना ली गई हो।

4. शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य के आधुनिक रूप से अलग होने के एक कारण, शास्त्रीय भाषा के प्राचीन रूप एवं उसके बाद के रूपों में निरंतरता का अभाव भी हो सकता है।

बुद्धिस्ट स्थल को बचाने के इंटाक के प्रयास

समाचार –

- निरंतर प्रयासों के बाद, 16 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश के शंकरम में एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोजनाकोंडा में पत्थरबाजी के अनुष्ठान को रोकने में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटाक) लगभग सफल रहा।
- प्राचीन अनुष्ठान के एक भाग के रूप में, ग्रामीणों एक पेट के आकार की वस्तु को एक दानव मानते हुए उस पर पत्थर फेंकते थे। धरोहर स्थल पर बर्बरता, ईंटों को हटाने या पत्थर फेंकने जैसा कार्य बेहद निंदनीय है।
- बोज्ञानकोंडा एवं लिंगलामेटा जुड़वां बौद्ध मठ हैं जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के हैं।
- इन स्थलों ने बौद्ध धर्म के तीन रूपों को देखा है – थेरवाद काल जब भगवान बुद्ध को एक शिक्षक माना जाता था, महायान, जहां बौद्ध धर्म अधिक भक्तिपूर्ण था, एवं वज्रयान, जहां बौद्ध परंपरा को तंत्र एवं गूढ़ रूप में अधिक व्यवहार किया जाता था।

मठों में स्तूप –

- बौद्ध स्थलों में बड़ी संख्या में अवशेष कास्केट, तीन चौत्य हॉल, व्रत मंच, स्तूप एवं वज्रयान मूर्तिकला हैं।
- शंकरम नाम श्संघारामश् शब्द से लिया गया है। यह कई स्तूपों, रॉक–कट गुफाओं, ईंट–निर्मित संरचनात्मक आकृतियों, प्रारंभिक ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तनों एवं सातवाहन कालीन सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है, जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं।
- मुख्य स्तूप को चट्टान में उकेरा गया था एवं फिर ईंटों से ढँका गया था, जहाँ किसी भी पहाड़ी पर चट्टान पर गढ़ी बुद्ध की कई छवियों को देख सकता है।
- पास के लिंगाल्मेट्टा में भी सैकड़ों कर चट्टान से काटकर बनाई गई मोनोलिथिक स्तूपों कीपंक्तियों को देखा जा सकता है।

नौ भारतीय भाषाओं के लिए ओसीआर प्रणाली

समाचार –

- आईआईटी मद्रास में टीम ने पिछले एक दशक में, नौ भारतीय भाषाओं के लिए एक एकीकृत स्क्रिप्ट विकसित की, जिसका नाम भारती स्क्रिप्ट रखा गया है तथा जिसको बनाने का ज्ञान यूरोपीय भाषाओं जहां कई भाषाओं के लिए एक ही (रोमन अक्षर–आधारित) स्क्रिप्ट है।
- टीम ने एक बहुभाषी ऑप्टिकल चरित्र मान्यता (ओसीआर) योजना का उपयोग करते हुए भारती स्क्रिप्ट में दस्तावेजों को पढ़ने के लिए एक विधि विकसित की है।
- जिन लिपियों को एकीकृत किया गया है उनमें देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं तमिल शामिल हैं। अंग्रेजी एवं उर्दू को अब तक एकीकृत नहीं किया गया है क्योंकि उनकी वर्णमाला प्रणालियों में एक बहुत अलग ध्वन्यात्मक संगठन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मानचित्रण संभव नहीं है।
- सामान्य तौर पर, ओसीआर योजनाओं में दस्तावेज को पहले अलग करना (या खंड करना) होता है जो पाठ एवं गैर–पाठ में दस्तावेज को अलग करता है। पाठ को पैराग्राफ, वाक्यों एवं अक्षरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अक्षर को कुछ पहचाने जाने वाले प्रारूप जैसे। ए एस सीआई आई या यूनिकोड में एक चरित्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए। पत्र में विभिन्न घटक होते हैं जैसे बुनियादी व्यंजन, व्यंजन संशोधक, स्वर आदि।
- टीसीएस मुंबई के सहयोग से, शोधकर्ताओं ने सुनने की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उंगलियों की वर्तनी तकनीक का उपयोग करके हस्ताक्षर करने का रास्ता खोज लिया है।

भारती स्क्रिप्ट – पढ़ने में आसान –

- भारतीय भाषाओं की लिपियाँ इस तरह की चरित्र मान्यता के लिए एक समस्या खड़ी करती हैं क्योंकि स्वर एवं व्यंजन–संशोधक घटक मुख्य व्यंजन भाग से जुड़े होते हैं। भारती लिपि में यह कठिनाई दूर हो जाती है अतः इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है।
- भारती वर्णों में, ये अलग–अलग घटक डिजाइन द्वारा विभाजन योग्य होते हैं हैं इसलिए ओसीआर काफी सटीक काम करता है।

- भारती वर्ण तीन खांचों से बना होता है जो खड़ी खड़ी होती हैं। पत्र के मूल में व्यंजन केंद्र में रखा गया है एवं संशोधक शीर्ष एवं निचले स्तरों में हैं।

मोघलमारी में दो मध्यकालीन मठ

समाचार –

- पश्चिम बंगाल के पशिम मेदिनीपुर जिले के मोघलमारी में हाल की खुदाई से बरामद मिट्टी की गोलियों के शिलालेखों के अध्ययन से दो प्रारंभिक मध्यकालीन बौद्ध मठों – मुगलकालीनकविहारिका एवं यज्ञपींडिकामहविहार की उपस्थिति की पुष्टि हुई है।

शिलालेखों का विवरण –

- इन शिलालेखों के अध्ययन का विवरण पूर्व में जनवरी 2020 में प्रार्थना समीक्षा, जो भारतीय पुरातत्व पर बंगाल की एक प्रमुख पत्रिका है में प्रकाशित किया गया था।
- उत्कीर्ण मुहरों के छह छोटे टुकड़े पाए गए। उनमें से प्रत्येक में हिरण–धर्मचक्र प्रतीकों के साथ अक्षरों का एक समूह था। शिलालेख संस्कृत में हैं एवं लिपि उत्तर भारतीय ब्राह्मी एवं प्रारंभिक सिध्मातृका के बीच एक संक्रमणकालीन चरण की है।

मठों –

- स्थल की खोज एवं शिलालेखों के पतन के साथ, इनमें से कम से कम दो मठ अब पहचाने गए हैं, यह बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात था कि बौद्ध मठों का एक निश्चित पदानुक्रम है – महाविहार, विहार एवं विहारिका – जो शिलालेखों में परिलक्षित होते हैं मिल गया है।
- यहअध्ययन उपमहाद्वीप के इस हिस्से में 6 वीं शताब्दी की शुरुआत के रूप में एक विहरिका (इस मामले में मुगलिकैविकारिका) के अस्तित्व के लिए एकमात्र प्रासंगिक एपिग्राफिकल सबूत प्रदान करता है।
- जाहिर तौर पर, मुगलयिका नाम स्थान के आधुनिक नाम मोगलमरी से एक उचित संबंध बताता है। एक एकल परिसर के भीतर एक ही अवधि में दो मठों की उपस्थिति पूर्वी भारत में अद्वितीय है। इससे पहले की खुदाई ने संरचनात्मक योजना के आधार पर दो मठों की उपस्थिति का संकेत दिया था।
- 6 वीं शताब्दी ईसवी से मोगलमारी मठ एवं 12 वीं शताब्दी ईसवी तक कार्यशील थे।
- पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों का कहना है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ग्नंद्रंदह (अधिक व्यापक रूप से ह्वेन त्सांग के रूप में पहचाने जाने वाले), जिन्होंने 7 वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था, ताम्रलिप्टा की सीमा के भीतर श्दस मठोंश् के अस्तित्व का उल्लेख किया था (पुर्बा से सटे हुए आधुनिक दिन तमलुक) मेदिनीपुर जिला)। हालांकि, उन्होंने किसी विशिष्ट नाम या स्थान का उल्लेख नहीं किया था।

एपिफेनी उत्सव

समाचार –

6 जनवरी 2020 को भारत के कुछ हिस्सों, जैसे कि गोवा एवं केरल में एपिफेनी उत्सव मनाया गया। गोवा में, उत्सव को इसके पुर्तगाली नाम श्फेस्टा डॉस रीसश् एवं केरल के कुछ हिस्सों में इसके सिरियाक नाम श्देन्हाश् के नाम से जाना जाता है।

विवरण –

- एपिफेनी या तीन किंग्स दिवस क्यों मनाया जाता है?
- एपिफेनी ईसाई धर्म में तीन सबसे पुराने एवं प्रमुख त्योहारों में से है, दो अन्य क्रिसमस एवं ईस्टर हैं। यह 6 जनवरी को रोमन कैथोलिक सहित कई ईसाई संप्रदायों द्वारा एवं 19 जनवरी को कुछ पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों द्वारा मनाया जाता है।
- पश्चिम में, 25 दिसंबर एवं 6 जनवरी के बीच की अवधि को क्रिसमस के बारह दिनों के रूप में जाना जाता है।
- एपिफेनी एक दावत का दिन है, या स्मरणोत्सव का दिन है, जो ईसाई धर्म में मागी (अर्थात तीन समझदार पुरुष या तीन राजाओं) की यात्रा के लिए शिशु यीशु (12 वर्ष की आयु तक उसकी भोलापन से मसीह) को चिह्नित करता है।
- ईसाई मान्यता के अनुसार, मागी – बलथासर, मल्चियर, एवं गस्पार (या कैस्पर), क्रमशः अरब, फारस एवं भारत के राजाओं ने – एक चमत्कारी मार्गदर्शक तारे का बेथलहम तक पीछा किया, जहां उन्होंने शिशु यीशु का सम्मान किया।
- कहा जाता है कि तीनों यीशु के लिए उपहार लाए थे– मेल्चियर द्वारा सोना, बेल्थार द्वारा लोहबान, एवं गैसपर के साथ धूप। माना जाता है कि यह यात्रा अन्यजातियों (गैर–यहूदी लोगों) के प्रति यीशु की शारीरिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है।
- यह दिन जॉर्डन नदी में यीशु के बपतिस्मा को भी याद करता है।

भारत में समारोह –

- गोवा में, पुर्तगाली में मैगी को श्रीस मैगोसश् कहा जाता है। रीस मैगोस का किला, एवं चर्च, बर्देज में, एवं कांसौलिम में तीन किंग्स चौपल, उनका नाम विश्वास से मिलता है। बर्देज, चंदोर, कान्सौलिम, ऑरोइम एवं क्यूमिम समुदाय एपिफेनी को मनाने के लिए जाने जाते हैं।
- कांसौलिम, ऑरोइम एवं कुलीम ने मिलकर हमारी लेडी ऑफ रेमेडियोज चौपल में श्फेस्ट डॉस रीसश् को एक विस्तृत समारोह में मनाया, जिसमें स्थानीय समुदायों से चुने गए तीन युवकों ने धार्मिक पहनावे में घोड़े की पीठ पर सवार होकर कई बिंदुओं पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए रुककर यात्रा की जाती है।
- केरल में, श्दन्हाश् एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है, जिसमें एक बड़ी मंडली भाग लेती है। एक्लिप्सिस्टिकल वस्त्र पहने हुए एवं गोल्डन क्रॉस धारण करने वाले तीन पुजारी, पेप्पथी चौपल से पीरवोम चर्च तक 5 किमी तक जुलूस के साथ चलते हैं।

स्टेचू ऑफ यूनिटी 'शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 8 आश्चर्यों में शामिल

समाचार –

- गुजरात में एकता की 182 मीटर की प्रतिमा को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के आठ आश्चर्यों में सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, विदेश मंत्रालय ने 13 जनवरी 2020 को यह घोषणा की।

विवरण –

- दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधान मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि में बनाई गई थी।
- प्रधानमंत्री द्वारा पटेल की 143 वीं जयंती पर अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था।
- यह प्रतिमा गुजरात में केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है।
- भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन, इस परियोजना को पहली बार 2010 में घोषित किया गया था एवं अंत में 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया था।
- नवंबर 2019 में, यहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में 133– वर्षीय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पायदान से आगे निकल गई।

एससीओ के आठ अजूबे (माइंड मैप)

1. भारत – एकता की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
2. कजाकिस्तान – तमगाली की पुरातात्विक भूमि।
3. चीन – द डेमिंग शाही महल परिसर।
4. किर्गिस्तान – इस्कि–कुल झील।
5. पाकिस्तान – लाहौर में महान मुगलों की विरासत।
6. रूस – गोल्डन रिंग शहर।
7. ताजिकिस्तान – अबुर्ज का महल।
8. उज्बेकिस्तान – पोई कालों का परिसर।

भारत पर्व 2020

समाचार –

- भारत पर्व 2020, भारत की भावना का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली के लाल किला मैदान में अयोग्य हुआ। भारत पर्व का उद्देश्य लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना एवं देखो अपना देश 'की भावना को जगाना था।
- भारत पर्व में जनता के लिए कई आकर्षण थे, जिसमें गणतंत्र दिवस परेड के झांकियों का प्रदर्शन, सशस्त्र बलों के बैंड द्वारा प्रदर्शन एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे।
- 50 से अधिक फूड स्टॉल, 79 हस्तशिल्प स्टॉल एवं 27 थीम मंडप स्थापित किए गए थे। इस वर्ष के भारत पर्व का विषय 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' एवं श्महात्मा गांधी के 150 वर्ष का जश्नश् था।

नागालैंड में वार मेमोरियल

समाचार –

- असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए मारे गए 357 सेना एवं असम राइफल्स के जवानों के लिए नागालैंड में एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है।
- स्मारक मोकोकचुंग में बनाया गया है, जो नागालैंड का सांस्कृतिक एवं बौद्धिक केंद्र भी है।
- युद्ध स्मारक में प्रतिमाएं हैं, जो तीनों सेनाओं, असम राइफल्स एवं वायु सेना को दर्शाती हैं।
- असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। पहले इसे ष्कछारलेवीष् कहा जाता था
- 1917 में असम राइफल्स बनाने के लिए असम फ्रंटियर पुलिस, ईस्टर्न बंगाल मिलिट्री फोर्स, असम मिलिट्री पुलिस एवं असम मिलिट्री फोर्स नामक चार बलों को शामिल किया गया था।

- असम राइफल्स गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। 2000 के बाद से, वे भारत सरकार की "एक सीमा एक बल" नीति के तहत भारत–म्यांमार बैरियर की रखवाली कर रहे हैं।

मणिपुर की जनजातियों ने लंब संघर्ष के बाद शांति को अपनाया

समाचार –

- नगा एवं कूकी जनजातियों के संगठनों अर्थात् नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एल एंड टी जी एस) एवं कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (के एन ओ) ने विवादास्पद मुद्दों एवं अंतर–सामुदायिक मतभेदों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए 10 जनवरी 2020 को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कूकी–नागा संघर्ष जो मुख्य रूप से भूमि एवं पहचान के मुद्दों पर लड़ा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1,000 से अधिक जीवन एवं भारी आंतरिक विस्थापन के नुकसान के साथ सैकड़ों गाँवों का पतन हुआ है।
- भारत के उत्तर–पूर्व सीमांत में शासन की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति एवं स्वतंत्रता के बाद के काल में नाग एवं उनकी दोनों में जातीय राष्ट्रवाद का उदय, संघर्ष की जड़ें थीं।
- नागा उत्तर–पूर्व भारत एवं ऊपरी बर्मा में कई स्वदेशी समुदायों के लिए एक छत्र शब्द है। वे इंडो–मंगोलॉयड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं।
- इसमें भारत के नागालैंड, मणिपुर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों एवं म्यांमार में भी कई जनजातियाँ शामिल हैं।
- भारत, बांग्लादेश, एवं बर्मा के भीतर कई पहाड़ी जनजातियों में से एक काकी का गठन है।
- पूर्वोत्तर भारत में, वे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद हैं।

नागोबा जात्रा

समाचार –

- तेलंगाना में एक महीने का नागोबा जात्रा उत्सव समाप्त हो गया है।
- नागोबा जात्रा एक आदिवासी त्योहार है जो केसलापुर गाँव, इंद्रवेली मंडल आदिलाबाद जिले, तेलंगाना में आयोजित किया जाता है, इस प्रकार यह त्यौहार केसलापुर जात्रा के नाम से भी जाना जाता है।
- यह आदिवासी राज गोंड एवं पवर्धन जनजातियों के मेसराम कबीले के बोइगुट्टा शाखा की एक विशाल धार्मिक एवं सांस्कृतिक घटना है।
- गोंड दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं।
- वे ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में रहते हैं।
- प्रधान गोंड जनजाति की कनिष्ठ शाखा माने जाते हैं एवं गोंडों के लिए पारंपरिक बैंड हैं एवं विभिन्न त्योहारों, समारोहों एवं मेलों में उनके देवी–देवताओं की पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं एवं गीतों का पाठ करते हैं, जिसके लिए उन्हें नकद या अन्य तरह से भुगतान किया जाता है।
- त्योहार के दौरान, नाग देवता नागोबा की महा पूजा आयोजित की जाती है।

पथरी का विकास

समाचार –

- महाराष्ट्र सरकार ने 9 जनवरी 2020 को घोषणा की कि वह धार्मिक पर्यटन एवं ष्साईं बाबा के जन्मस्थानष् के रूप में पथरी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये देगी। इसने संत के पर्याय शिरडी में आक्रोश को जन्म दिया है।
- शिरडी के साईं बाबा एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें उनके भक्त, संत एवं फकीर के रूप में मानते हैं। वह अपने जीवनकाल के दौरान अपने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों भक्तों के प्रति श्रद्धा रखते थे।
- पथरी महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक शहर एवं एक नगरपालिका परिषद है। कई आधिकारिक, लोकप्रिय अभिलेख या तो सीधे पथरी को उनके संभावित जन्मस्थान के रूप में उल्लेख करते हैं, या अनुमान लगाते हैं कि वे उस क्षेत्र से रहे होंगे।
- शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रहटा तालुका में स्थित एक शहर है। कहा जाता है कि साईं बाबा 1872 में शिरडी आए थे, जहाँ 15 अक्टूबर 1918 को उनका निधन हो गया था।

12 वं राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम

समाचार –

- 19 जनवरी 2020 से पुदुचेरी में एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम शुरू हुआ। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईसी) एवं पुदुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- यह आदिवासी युवाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था
- कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने भाषा, रीति–रिवाजों, संस्कृति, कला, ड्रेसिंग पैटर्न, भोजन पैटर्न एवं पुदुचेरी के अन्य पहलुओं विवरण जानने के लिए कई स्थानों का दौरा किया।

यात्रा एवं पर्यटन कार्यक्रम सूचकांक

समाचार –

- 2019 में, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक 2013 में 65 वीं रैंक से आगे बढ़कर 34 वें स्थान पर आ गई है। विदेशी पर्यटक आगमन ने भी पिछले साल 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- सरकार स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किट विकसित करने के लिए काम कर रही है एवं इस योजना के तहत अब तक 6035 करोड़ रुपये से अधिक की 77 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- एडॉप्ट ए हेरिटेज– अपनी धरोहर, अपनी पहचान 'नामक इस पहल को विरासत एवं पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने एवं उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया है। ई–वीजा को और उदार बनाया गया है एवं ई–वीजा पर वीजा शुल्क को देश की पर्यटन प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए काफी कम किया गया है।
- सरकार ने देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग के लिए 120 से अधिक पर्वत चोटियों को भी खोला है।

मांडू उत्सव

समाचार –

- मध्यप्रदेश में, 5 दिवसीय मांडू उत्सव 28 दिसंबर 2019 – 1 जनवरी 2020 के बीच मांडू में मनाया गया, जो राज्य के धार जिले में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध सुरम्य पर्यटन स्थल है।
- मांडू उत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ–साथ साहसिक खेलों का आयोजन भी किया गया। नृत्य, गायन एवं वादन की समृद्ध शास्त्रीय एवं पारंपरिक लोक कलाएं एक बार फिर मांडू उत्सव के माध्यम से जीवंत हुईं।
- खोजने मेंखो जाओ के विचार के आधार पर, मांडू उत्सव ने आगंतुकों को कला, कार्यशाला, प्रकृति ट्रेल्स, भोजन, वास्तुकला एवं संगीत का एक उदार मिश्रण प्रदान किया। आगंतुकों ने शहर के समृद्ध इतिहास में गहरी डुबकी लगाने के लिए साइकल–यात्रा, वॉकिंग टूर पर यात्रा या हॉप–इन–हॉप–आउट बसों पर कूदने का भी आनंद लिया।

जो कुत्पुई त्योहार

समाचार –

- मिजोरम सरकार ने भारत एवं अमेरिका, म्यांमार एवं बांग्लादेश जैसे देशों में कम से कम 10 राज्यों में व जो कुत्पुई (त्योहार) का आयोजन किया।
- जो कुत्पुई त्योहार का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विभिन्न मिजो जनजातियों के बीच भाईचारे को एकजुट करना एवं मजबूत करना है।
- त्योहार का पहला संस्करण त्रिपुरा में शुरू हुआ एवं फिर अन्य राज्यों जिसमें मिजो आबादी अधिक है इसे मनाया जाने लगा।
- त्योहार विभिन्न मिजो जनजातियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गवाह बना।
- थ्मजो आदिवासी लोग हैं जो पूर्व में म्यांमार के बीच पश्चिम में बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। भारत में, मिजो आबादी मुख्य रूप से मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम में पाई जाती है।
- 12 प्रमुख मिजो कुलों की पहचान की गई है।
- इसमें लुसी लोग, लुशाई पहाड़ी लोग, चिन लोग, पावी–लुसी, त्लाऊ, खियांगते, हुलंगो शामिल हैं।

CHAHAL ACADEMY

स्वदेश दर्शन योजना

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 2018–19 के दौरान स्वीकृत 10 परियोजनाओं के लिए 627.40 करोड़ रुपये एवं अतिरिक्त 1854.67 करोड़ रुपये योजना में 2019– 20 के दौरान नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिएस्वीकृत किए हैं।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय भारत को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए स्थायी एवं समावेशी तरीके से देश में महत्वपूर्ण पर्यटन अवसंरचना विकसित कर रहा है।
- इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का प्रावधान राजस्व पैदा करने वाली परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों के समग्र अनुभव में सकारात्मक वृद्धि, होने से राजस्व एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकेगी।
- पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी, 2015 में स्वदेश दर्शन योजना (मध्य क्षेत्र योजना) शुरू की। इस योजना के तहत 15 सर्किटों की पहचान की गई है, जैसे कि हिमालयन सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्डलाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थंकर सर्किट एवं सूफी सर्किट।

5 ए एस आई संरक्षित पुरातत्व स्थानों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए

समाचार –

- चीनी भाषा में साइन बोर्ड उत्तर प्रदेश में स्थित पांच एएसआई संरक्षित पुरातात्विक स्थलों पर लगाए गए हैं।
- इनमें सारनाथ, बौद्ध अवशेष चौखंडी स्तूप, कुशीनगर एवं महापरिनिर्वाण मंदिर, पिपराहवा एवं श्रावस्ती में शामिल हैं।
- पर्यटन स्थलों जहां एक विशेष देश के एक लाख से अधिक पर्यटक हर साल जाते हैं पर 5 विदेशी भाषाओं के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। श्रीलंका के पर्यटकों के लिए सिंहली भाषा में साइन बोर्ड लगाने का काम नवंबर 2019 में बड़ी संख्या में पूरा किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य विदेशी एवं घरेलू दोनों पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है।
- घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न सांस्कृतिक मेलों एवं अन्य घटनाओं पर विचार कर रहा है जिसके माध्यम से लोग भारत देश को बेहतर तरीके से जान पाऐंगे।

लाई हाराओबा

- त्रिपुरा में, लाई हाराओबा, प्राचीन काल से मणिपुरी मेइती समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक उत्सव है, जो 2 जनवरी 2020 को अगरतला में शुरू हुआ।
- सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग, त्रिपुरा सरकार, पुतिबा लाई हरोबा समिति एवं पुतिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसायटी, अगरतला द्वारा संयुक्त रूप से पांच दिवसीय लंबे उत्सव का आयोजन किया गया था।
- त्योहार मेइती समुदाय की परंपरा एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए है।
- लाई हरोबा को मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य एवं अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। मणिपुर से एक सांस्कृतिक मंडली भी उत्सव में भाग लेने के लिए आई थी। उन्होंने उत्सव के दौरान मणिपुरी मार्शल आर्ट, लोक संगीत एवं लोक नृत्यों सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं पारंपरिक संगीत कलाओं का प्रदर्शन किया।

पटोला साड़ी

समाचार –

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा की गई एक ऐतिहासिक पहल में, 3 जनवरी 2020 को गुजरात के सुरेंद्रनगर में पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो रेशम के धागे के उत्पादन की लागत में भारी कटौती करने एवं बिक्री एवं स्थानीय रूप से गुजराती पटोला साड़ियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा।।
- पटोला, गुजरात का ट्रेडमार्क साड़ी, केवल रॉयल्स या एरिस्टोक्रेट द्वारा पहना जाता है बहुत महंगा माना जाता है। कारण कच्चे माल के रेशमी धागे को कर्नाटक या पश्चिम बंगाल से खरीदा जाना है, जहाँ रेशम प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थित हैं, इस प्रकार कपड़े की लागत कई गुना बढ़ जाती है।

वंगा नारी

समाचार –

- लोमड़ियों या (तमिल में वंगा नारी) के उपयोग से जल्लीकट्टू जैसी घटना का आयोजन तमिलनाडु के गाँवों में कन्नुम पोंगल पर किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि यह भरपूर बारिश एवं सौभाग्य लाएगा।
- जानवरों को मार डाला जाता है एवं उनके पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है। विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाने के बाद, असहाय जानवरों का सड़कों पर पीछा किया जाता है, बिलकुल वैसे ही जैसे अधिक पारंपरिक जल्लीकट्टू में बैल के साथ किया जाता है
- लोमड़ी वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है एवं इनका शिकार करना या इन्हें पकड़ना प्रतिबंधित है।

भक्त रामदास

समाचार –

- 17 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत भक्त रामदासु की कांस्य प्रतिमा, 11 वें चरण की प्रतिमा का अनावरण उनके 387 वीं जयंती के अवसर पर, तेलंगाना के खम्मम जिले के नेलकोंडपल्ली में उनके जन्मस्थान पर किया गया।
- कंचर्ला गोपन्ना (1620 – 1680), जिन्हें भक्त रामदासु या भद्राचल रामदासु के नाम से जाना जाता है, भगवान राम के 17 वीं शताब्दी के भारतीय भक्त एवं कार्निवल संगीत के संगीतकार थे।
- वे तेलुगु शास्त्रीय युग के एक प्रसिद्ध वाग्ग्येकारा (शास्त्रीय संगीतकार) हैं।
- राम के लिए उनके भक्ति गीत रामदासु कीर्तनालु के रूप में दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं।
- उन्होंने दशरथ शतकमू, दशरथ के पुत्र (भगवान राम) को समर्पित लगभग 108 कविताओं का एक संग्रह भी लिखा था।

औशविट्ज की मुक्ति की 75 वीं वर्षगांठ

समाचार –

- 27 जनवरी, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों ने औशविट्ज होलोकॉस्ट (सर्वनाश) की मुक्ति की 75 वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नाजी जर्मनी सरकार ने विशेष रूप से हत्याओं के लिए नामित आधा दर्जन शिविरों में यूरोप भर के लगभग 17 मिलियन लोगों को मार डाला।
- इन सात हत्या केंद्रों में, ऑशविट्ज (जर्मन–कब्जे वाले पोलैंड में) शिविर, शायद सबसे अच्छी तरह से ज्ञात, आकार में सबसे बड़ा था। कई मायनों में, ऑशविट्ज होलोकॉस्ट इतिहास एवं अनुसंधान का केंद्र बन गया है एवं होलोकॉस्ट की भयावहता की याद दिलाता है।
- मित्र देशों की सेनाओं ने 27 जनवरी, 1945 को ऑशविट्ज में प्रवेश किया, सैकड़ों बीमार, भूखे एवं थके हुए कैदियों को खोज निकाला, जो किसी तरह बच गए थे। 2005 में, युक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में नामित किया।

डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत पर प्रदर्शनी

समाचार –

- केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय (आईसी) ने 16 जनवरी 2020 को डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत एवं दो दिन लंबी पहली अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी नामक एक महीने की विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
- प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से किया गया था। इस प्रदर्शनी में सामाजिक – हम्पी केसांस्कृतिक जीवन एवं परंपराओं, कई महत्वपूर्ण वास्तु के विशेषण पुनर्निर्माण संरचनाओं एवं कई भित्ति चित्रों को दिखाया गया।
- यह एक अच्छी पहल है, विरासत में प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह केवल शोध तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसे लोगों तक इस तरह पहुंचना चाहिए कि उन्हें विरासत स्थलों के अनदेखे पहलुओं को आसानी से जानने एवं समझने का मौका मिले।
- इस विशेष प्रदर्शनी ने देश के सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की भारतीय डिजिटल विरासत (आईडीएच) पहल के तहत विकसित की जा रही प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन एवं प्रेरणा का प्रदर्शन किया।

CHAHAL ACADEMY

- प्रदर्शनी दो प्रमुख परियोजनाओं के परिणाम को प्रदर्शित करती है। हम्पी की महिमा दिखाने के लिए एक डिजिटल मिनी–तमाशा एवं स्मारकों के भौतिक मॉडल के साथ संवर्धित वास्तविकता पर आधारित बातचीत जो कि डीएसटी द्वारा मार्गदर्शक पहल इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस (आई एच डी एस) में भारतीय विरासत के तहत पूरा किया गया है

समाज एवं स्वास्थ्य

महिला, व्यापार एवं कानून 2020

समाचार –

- एक महिला, व्यवसाय एवं कानून 2020, एक श्रृंखला में छठा संस्करण जारी किया गया है।

विवरण –

- एक महिला, व्यवसाय एवं कानून (ठस) एक विश्व बैंक समूह परियोजना है जो महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों एवं नियमों पर अद्वितीय डेटा एकत्र करती है।
- सूचकांक 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक समावेश को प्रभावित करने वाले कानूनों एवं नियमों का विश्लेषण करता है।
- यह महिलाओं के इंटरैक्शन के आसपास संरचित आठ संकेतकों द्वारा निर्मित है।
- कानून के साथ–साथ वे अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं एवं समाप्त करते हैं, कानून के विभिन्न क्षेत्रों को उन आर्थिक फैसलों के साथ जोड़ते हैं जो महिलाएं अपने जीवन के विभिन्न चरणों में करती हैं।
- संकेतक गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति एवं पेंशन हैं।

देशों की रैंकिंग कैसे की जाती है? –

- अध्ययन में पता चला है कि 'कानून उनके कामकाजी जीवन में विभिन्न चरणों में महिलाओं को कैसे प्रभावित करते हैं एवं मुख्य व्यवसाय शहर में लागू उन कानूनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं'।
- सूचकांक उन देशों के औपचारिक कानूनों एवं विनियमों पर आधारित है जिनका महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर असर पड़ता है।

विभिन्न देशों का प्रदर्शन –

- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि]पं पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र, ब्मदजतंस यूरोप एवं मध्य एशिया ', या ।उमतपबं लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन' में कोई अर्थव्यवस्था शीर्ष सुधारकों में नहीं थी।
- केवल आठ अर्थव्यवस्थाओं ने एक पूर्ण 100 स्कोर किया – बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, लातविया, लक्जमबर्ग एवं स्वीडन। उन देशों ने सूचकांक के सभी आठ संकेतकों पर पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कानूनी स्थिति सुनिश्चित की है।
- वैश्विक औसत 75.2 था – 2017 में जारी पिछले सूचकांक में 73.9 की मामूली वृद्धि।

भारत का प्रदर्शन –

- भारत को 190 देशों के बीच 117 वें स्थान पर रखा गया है।
- इसने बेनिन एवं गाम्बिया के साथ 74.4 का स्कोर किया एवं रवांडा एवं लेसोथो जैसे कम से कम विकसित देशों के नीचे रास्ता बनाया।

भारतीय में महिला राजनीतिज्ञों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है

समाचार –

- एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने ष्ट्रोल पैट्रोल इंडिया– एक्सपोजिंग ऑनलाइन एब्यूज फीस्ट इन वुमेन पॉलिटिशियंस इन इंडियाष् शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट में भारत में पिछले साल के आम चुनावों के दौरान एवं उसके बाद के तीन महीनों में 95 महिला राजनेताओं को भेजे गए 114,000 से अधिक ट्वीट्स का विश्लेषण किया गया।
- शोध में पाया गया कि महिलाओं को केवल उनकी राय के लिए ही नहीं, बल्कि लिंग, धर्म, जाति एवं वैवाहिक स्थिति जैसी विभिन्न पहचानों के लिए भी ऑनलाइन दुर्व्यवहार का निशाना बनाया जाता है।
- अध्ययन में पाया गया कि भारतीय महिला राजनेताओं ने ट्विटर पर अपने अमेरिकी एवं यू.के.
- समकक्षों की तुलना में अधिक दूर व्यवहार जिला है
- विश्लेषण किए गए लगभग 13.8 प्रतिशत ट्वीट या तो ष्समस्याग्रस्तष् थे या 'अपमानजनक'।
- समस्याग्रस्त सामग्री को ऐसे ट्वीट के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें आहत या शत्रुतापूर्ण सामग्री होती है, खासकर अगर किसी व्यक्ति के लिए

उसको कई मौकों पर दोहराया जाए लेकिन जरूरी नहीं कि वह दुर्व्यवहार की दहलीज पर खरा उतरे।

- जबकि सभी महिलाओं को लक्षित किया जाता है, मुस्लिम महिला राजनेताओं को दूसरों की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।
- हाशिए पर जीवन जी रही जातियों की महिलाएं, अविवाहित महिलाएं एवं गैर–बीजेपी दलों की महिलाओं को दुर्व्यवहार का अधिक सामना करना पड़ा।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

समाचार –

- भारत प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियों को करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में दस अध्यक्षों की स्थापना करने की घोषणा की।

विवरण –

- इस दिवस को मनाना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- दिन का उद्देश्य देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं विवरण जागरूकता फैलाना है।
- यह बालिकाओं के अधिकारों विवरण जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।
- साथ ही, यह बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण के महत्व को बढ़ाता है।
- प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
- लिंग अनुपात महिला जनसंख्या से पुरुष जनसंख्या का अनुपात है।
- पूरी दुनिया का लिंग अनुपात 101 पुरुषों से 100 महिलाओं (2018 का अनुमान) है।
- भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 108.9 था।
- यह 1961 से बढ़ रहा है।
- यह 1961 में 102.4, 1980 में 104.2 एवं 2001 में 107.5 था।

मंत्रालय द्वारा पहल –

- प्रख्यात महिलाओं के नाम पर विश्वविद्यालयों में अध्यक्षों की स्थापना की गई है।
- इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सहायता से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य युवा लड़कियों एवं महिलाओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए देश की सफल महिलाओं को पहचानना एवं उनके लिए खुशी मनाना है।
- अध्यक्षों के शैक्षणिक कार्य, अनुसंधान में संलग्न रहेंगे एवं अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति में योगदान देंगे, सार्वजनिक नीति निर्धारण में विश्वविद्यालय एवं शिक्षाविदों की भूमिका को मजबूत करेंगे।
- प्रस्ताव के वित्तीय निहितार्थ प्रति वर्ष प्रति क्षेत्र 50 लाख रुपये के खर्च का प्रावधान है एवं इस प्रकार कुल 10 अध्यक्षों पर प्रतिवर्ष लगभग पाँच करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- दिशा–निर्देशों के अनुसार शुरू में पांच साल की अवधि के लिए अध्यक्षों की स्थापना की जानी है।

- **यूजीसी द्वारा प्रस्तावित एवं मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्षेत्र इस प्रकार हैं (विषय/प्रस्तावित क्षेत्र का नाम)–**
  1. प्रशासन – देवी अहिल्याबाई होल्कर
  2. साहित्य – महादेवी वर्मा
  3. स्वतंत्रता सेनानी (उत्तर पूर्व) – रानी गाइदिन्ल्यू
  4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य – आनंदीबाई गोपालराव जोशी
  5. प्रदर्शन कला – मदुरै शनमुखवदिवु सुब्बुलक्ष्मी
  6. वन/वन्यजीव संरक्षण – अमृता देवी (बेनीवाल)
  7. गणित – लीलावती
  8. विज्ञान – कमला सोहोनी
  9. कविता एवं रहस्यवाद – लाल डेड
  10. शैक्षिक सुधार – हंसा मेहता

मनरेगा योजना में धन की कमी

समाचार –

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के वित्तीय विवरण के अनुसार 26 जनवरी 2020 को, केंद्र की इस योजना के धन समाप्त होने की कगार पर है।
- आवंटित धन का 96 प्रतिशत से अधिक पहले ही खर्च हो चुका है या 2,500 करोड़ रुपये से कम शेष है जो अगले दो महीनों इस योजना को बनाए रखने के लिए ही पर्याप्त है।
- बजट आवंटन– मनरेगा योजना के लिए 2019 का बजट आवंटन 60,000 करोड़ रुपए है जो 2018 में खर्च की गई राशि से कम है।

- कई राज्य सरकारों ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया है क्योंकि केंद्र ने धन जारी नहीं किया है। यह अधिनियम की भावना के विपरीत है एवं मनरेगा योजना के अधिकार आधारित कार्यान्वयन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- इसके बावजूद कि हर छह महीने में एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद दो साल में नहीं मिली है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

समाचार –

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार का नोटिस लेने के लिए संपर्क किया है।
- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीस) के निदेशक द्वारा धन के उपयोग में गंभीर अनियमितताओं की एवं इशारा करने के बाद जुलाई 2019 में रूसा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के कथित कार्यों का पता चला।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान –

- रूसा अक्टूबर 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है।
- इस योजना को समानता, पहुंच एवं उत्कृष्टता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्त पोषण के लिए मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।
- केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है, जो केंद्रीय परियोजना मूल्यांकन बोर्ड के साथ समन्वय में योजना के तहत ली गई शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है।
- 2016–17 के बाद से, सरकार ने रूसा पर हर साल औसतन 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सी ए आर ए)

समाचार –

- सीएआरए ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है जो दत्तक परिवार की उपयुक्तता का आकलन करने एवं एक नए घर के लिए एक बच्चे को तैयार करने में मदद करता है।
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सी ए आर ए) भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय है।
- यह देश एवं अंतर–देश गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है (2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर–देश दत्तक ग्रहण हेग कन्वेंशन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार)।
- यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है।
- किशोर देखभाल संस्थानों (सी सी आई) एवं सी ए आर ए को जोड़ने का अनिवार्य पंजीकरण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रदान किया गया है।

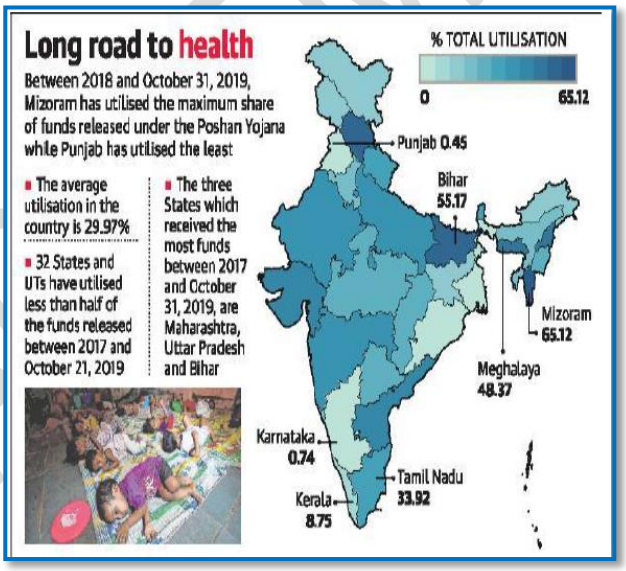

3 वर्षों में पोषण अभियान के लिए जारी धन का केवल 30 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया है

समाचार –

- संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों ने 2017 में शुरू किए गए पोशन अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जारी धन का केवल 30 प्रतिशत का ही उपयोग किया है।

विवरण –

- निधि उपयोग के मामले में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले पांच राज्य मिजोरम, लक्षद्वीप, बिहार, हिमाचल प्रदेश एवं मेघालय थे। सबसे खराब पांच राज्य पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड एवं असम थे।

- कार्यक्रम को चरणों में लागू करने के लिए संकल्पित किया गया था इसलिए उपयोग आने वाले वर्षों में बढ़ेगा।
- हालांकि, कुछ सेवाओं ने धीमी शुरुआत दिखाई है एवं अब एकीकृत बाल विकास सेवा–कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आईसीडीएस– सी ए एस) योजना में हुई वृद्धि की तरह समृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं।

पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन –

- यह 2022 तक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है।
- मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- मिशन में स्टंटिंग, कम पोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोर लड़कियों के बीच) को कम करने एवं जन्म के समय कम वजन को क्रमशः प्रति वर्ष 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।
- हालांकि स्टंटिंग को कम करने का लक्ष्य कम से कम 2 प्रतिशत प्रति वर्ष है, फिर भी वर्ष 2022 तक इसे वर्तमान 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
- 50 प्रतिशत धन बजट से प्राप्त होगा। इसे केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 एवं बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत, में विभाजित किया गया है।
- शेष 50 प्रतिशत विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त होता है।

भारत में 5 वर्ष से कम बच्चों की आयु में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की मृत्यु दर से अधिक है

समाचार –

- बाल मृत्यु दर के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अंतर–एजेंसी समूह ने बाल मृत्यु दर में 'स्तर एवं रुझान' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

विवरण –

- विश्व स्तर पर, 2018 में बच्चों एवं युवा किशोरों में 85 प्रतिशत मौतें जीवन के पहले पांच वर्षों में हुईं।
- 2018 में सभी 5 वर्ष से कम आयु में हुई मौतों में से आधी पांच देशों में – भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एवं इथियोपिया, में हुई।

भारत –

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) इंटर–एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी की स्तर एवं रुझान के अनुसार बाल मृत्यु दर रिपोर्ट (लेबल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट) के अनुसार, 2018 में भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक रहा है जहां 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर इसी आयु वर्ग में लड़कों की मृत्यु दर से अधिक है।
- नवजात मृत्यु दर के उच्चतम बोझ वाले राज्य मध्यप्रदेश, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश हैं, जहां प्रति 1,000 जीवित जन्मों में क्रमशः 32, 33 एवं 30 नवजात मृत्यु के मामले हैं।
- भारत की नवजात मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 23 है।
- इसके अलावा, 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों की मृत्यु दर के तहत सबसे बड़ा लिंग अंतराल झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड में दिखा।
- नवजात मृत्यु दर के अधिक होने के प्रमुख कारण समय से पहले बच्चों का जन्म, इंट्रापार्टम संबंधित घटनाओं एवं नवजात शिशु संक्रमण है।

डब्ल्यूएचओ ने 2020 की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की घोषणा की

समाचार –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 13 जनवरी, 2020 को 2020 कीशीर्ष वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की सूची जारी की जिसमें रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), जलवायु संकट, इन्फ्लूएंजा महामारी की घटना एवं मलेरिया, एचआईवी एवं तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार इत्यादि ने लगातार दूसरे वर्ष भी श्री स्थान प्राप्त किया है।

विवरण –

- सूची बीमारियों को न केवल ष्खतरोंष् के रूप में परिभाषित करती है, बल्कि बुनियादी ढांचे, सामाजिक मीडिया, नई तकनीक एवं स्वास्थ्य में मानव संसाधनों के बारे में भी बात करती है।

- डब्ल्यूएचओ ने दशक भर में 13 प्राथमिकताओं की पहचान की, जो पूरे ग्रह के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। जलवायु संकट, उदाहरण के लिए, एक स्वास्थ्य संकट भी है, जो कुपोषण को बढ़ाता है एवं मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है।
- 13 संभावित खतरों की सूची में एक नया प्रवेश, पहुंच की कमी है। दुनिया के लगभग एक तिहाई लोगों के पास दवाओं, टीकों, नैदानिक उपकरणों एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुंच की कमी है।
- अमीर देशों में लोग औसतन, गरीब देशों के लोगों की तुलना में लगभग 18 साल जीवित रहते हैं। एवं, देशों के भीतर, अमीरों एवं गरीबों के बीच स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी विसंगति है।
- दवाएं एवं अन्य स्वास्थ्य उत्पाद अधिकांश स्वास्थ्य प्रणालियों (स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद) का दूसरा सबसे बड़ा व्यय हैं एवं निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में निजी स्वास्थ्य व्यय का सबसे बड़ा घटक हैं।
- संघर्ष–ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना डब्लूएचओ के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य बिरादरी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले साल 11 देशों में स्वास्थ्य कर्मियों पर 978 हम लोग के मामले दर्ज किए, जिसमें 193 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मौतें हुईं।
- यह लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डी आर सी) में जनवरी 2019 से चल रहे इबोला के प्रकोप के साथ–साथ खसरे के प्रकोप के कारण अधिक स्पष्ट है।
- स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को प्रमुख चिंता के रूप में चिह्नित किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा एवं रोजगार में लगातार कम निवेश, जो कि अच्छे वेतन को सुनिश्चित करने में विफलता है, के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कमी पूरी दुनिया में है।
- अस्वास्थ्यकर भोजन आहार से लोगों की रक्षा करना भी 2020 के लिए खतरे के रूप में अंकित किया गया है।
- सड़क की चोट, एचआईवी, आत्महत्या, श्वसन संक्रमण एवं पारस्परिक हिंसा के कारण हर साल 10– 19 वर्ष के एक लाख से अधिक किशोरों की मृत्यु हो जाती है।
- यह शब्द का जिक्र किए बिना स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों (एचएआई) की भी बात करता है,। वैश्विक स्तर पर प्रति चार स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक में बुनियादी जल सेवाओं का अभाव है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में पानी, स्वच्छता एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी बातों की खराब गुणवत्ता से रोगियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।
- एक दिलचस्प प्रवृत्ति जो रिपोर्ट में उभरती है, वह सोशल मीडिया में स्वास्थ्य से संबंधित गलत सूचनाओं में वृद्धि है, जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों के विश्वास कम कर दिया है, उदाहरण के लिए, श्टीकाकरण विरोधी आंदोलनश, सोशल मीडिया के कारण काफी लोकप्रिय हो गया है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने माना कि दोष पूरी तरह से सोशल मीडिया का नहीं है।
- गौरतलब है कि गैर–संचारी रोगों का व्यक्तिगत रूप से एक शीर्ष खतरे के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है

आगे की राह–

- एजेंसी वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने या कम करने के लिए सरकारों को सक्षम करने के लिए नीतिगत विकल्प विकसित कर रही है।
- डब्ल्यूएचओ असमानता को दूर करने के लिए काम करेगा, स्वास्थ्य देखभाल को निष्पक्ष बनाने के तरीकों पर देशों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- यह नोट करता है कि दुनिया को 2030 तक 18 मिलियन अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, मुख्य रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में, जिनमें नौ मिलियन नर्स एवं दाइयाँ शामिल हैं।
- आत्म–चिंतन की भी, आवश्यकता है – वैज्ञानिकों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय को उन समुदायों को सुनने की आवश्यकता है जिन्हें वे सेवा प्रदान करते हैं। अंत में, हमें बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा सूचना प्रणाली में निवेश करना चाहिए।
- स्वास्थ्य सुरक्षा अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, एवं स्वास्थ्य प्रणालियों में कमियों को दूर करने के लिए लोगों द्वारा अधिक धन निवेश किया जाना चाहिए एवं सबसे कमजोर देशों को मदद करना चाहिए।
- एजेंसी ने सिफारिश की है कि देशों कोअपने सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करना चाहिए, जिससे वे लोगों लोगों की रहने की जगहों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करा सके।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की अन्य प्राथमिकताओं में दवाओं तक पहुंच का विस्तार, संक्रामक रोगों को रोकना एवं खतरनाक उत्पादों से लोगों की रक्षा करना शामिल है।
- बीमारियों को रोकने, निदान एवं उपचार के लिए जीनोम एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां को अपनाना मुश्किल हो सकता है लेकिन उनके नैतिक एवं सामाजिक निहितार्थों की गहरी समझ के बिना, ये नई प्रौद्योगिकियां, जिनमें नए जीवों को बनाने की क्षमता शामिल है, उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है जिन्हें वे मदद करने का इरादा रखते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (बीएसई आर) 2019 रिपोर्ट प्रकाशित

समाचार –

- वार्षिक रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (बी एस ई आर) 2019 के अनुसार, चार से आठ आयु वर्ग के कम से कम 25 प्रतिशत स्कूली बच्चों में उम्र उपयुक्त संज्ञानात्मक एवं संख्यात्मक कौशल की कमी है जिससे बहुत प्रारंभिक चरण में ही बड़े पैमाने पर सीखने की क्षमता में कमी पैदा हो जाती है। रिपोर्ट गैर–लाभकारी संगठन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा 14 जनवरी 2020 को जारी किया गया।

विवरण –

- इस रिपोर्ट में प्रारंभिक वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, स्कूली शिक्षा की स्थिति के साथ–साथ 4–8 आयु वर्ग में छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विकासात्मक संकेतकों की एक सीमा पर रिपोर्टिंग की गई थी।
- रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ एवं वाराणसी सहित 24 राज्यों के 26 जिलों में किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है।
- यह देखा गया कि लखनऊ में कक्षा 3 के 46.2 प्रतिशत एवं वाराणसी में 45.9 प्रतिशत बच्चे 1–100 नंबर पढ़ या पहचान नहीं पाए, जो उनकी पूरी शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत में आपूर्ति श्रृंखला –

- रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतर पर भी प्रकाश डाला गया है।
- अनपढ़ माताओं की तीसरी कक्षा के बच्चों में संख्यात्मक कौशल उन लोगों की तुलना में बहुत कम है जिनकी माताओं ने ग्यारहवीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई की थी।
- हालांकि, महिलाओं के बीच शिक्षा में सुधार भी हुआ है। छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किए जाने वाले शिक्षा इनपुट विवरण सोचा जाए तब युवा भारतीय माताओं की प्रोफाइल में इस तरह के बदलाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
- निष्कर्षों से यह भी पता चला कि अधिक लड़कियों को सरकारी संस्थानों में एवं अधिक लड़कों को निजी संस्थानों में दाखिला हराया जाता है।
- सरकारी संस्थानों में पढ़ने जा रही लड़कियों के प्रतिशत 61.1 प्रतिशत की तुलना में इन संस्थानों में पढ़ने जा रहे हैं लड़कों के प्रतिशत 52.1 के रूप में यह अंतर 6–8 साल के बच्चों के बीच अधिक है।

आगे का रास्ता –

- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश छात्रों के सीखने के स्तर पर निर्भर करता है। सीखने के स्तर की गुणवत्ता सीधे भारत के भावी कार्यबल, प्रतिस्पर्धा एवं अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है।
- चूंकि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे श्रम बाजार या शिक्षा के अगले स्तर में शामिल होने के सबसे करीब हैं, उन्हें साक्षरता एवं संख्यात्मकता जैसे पर्याप्त मूलभूत कौशल की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार, नवीनतम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत संकट में है एवं जल्द से जल्द ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- सरकार की नीति एवं अभ्यास ने लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकृत है।
- ष्कौशल निर्माणष् एवं गतिविधि आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना जो शुरुआती वर्षों में औपचारिक विषय–अध्ययन के बजाय संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करती हैं, बाद के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पर्याप्त लाभकारी होती हैं।
- अध्ययन से यह भी पता चला है कि पूर्वस्कूली एवं शुरुआती स्कूलों वर्षों में बच्चों के बीच माताओं की बेहतर शिक्षा कैसे बेहतर परिणाम दे सकता है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा नीति निर्धारण में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के बीच तालमेल आवश्यक है, लेकिन राज्य एवं जिला प्रशासन को प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करना उससे बेहतर है।

दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा घोषित

समाचार –

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत दुर्लभ बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक मसौदा नीति जारी की।

विवरण –

- दुर्लभ बीमारियों के इलाज के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति विकास में उपचार की अत्यधिक लागत का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता एक महत्वपूर्ण विचार है।
- साधनों की कमी के वातावरण में, आवंटित संसाधनों से इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करना उचित है।
- इस नीति के तहत, कुछ उपचार योग्य दुर्लभ बीमारियों के लिए 15 लाख रुपए की लागत को एकमुश्त उपचार लागत निधि से देने का प्रस्ताव किया गया है, बशर्ते रोगी प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन–सेवा योजना के तहत पात्र हो।
- जबकि राष्ट्रीय आरोग्य निधि का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, दुर्लभ बीमारी नीति के तहत, वित्तीय लाभ को आयुष्मान भारत के व्यापक वर्ग तक भी बढ़ाया जाएगा।
- यह देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को विशेष निधि के तहत धन पाने योग्य बनाता है।
- यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर वित्तीय सहायता के वैकल्पिक साधन के रूप में बड़ी संख्या में लोगों को स्वैच्छिक वित्तपोषण का भी सुझाव देता है। यह उन चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को भी सूचित करेगा जो दुर्लभ बीमारियों का इलाज करते हैं।
- मसौदा नीति में संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि इस कारण से दुर्लभ बीमारियों जिनमें आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं हो पाती है।
- इन बीमारियों में गौचर रोग, हर्लर सिंड्रोम, वोलमैन रोग, अन्य शामिल हैं। इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज प्रतिवर्ष दस लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक की लागत का होता है तथा उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों की खुराक एवं खर्चे बढ़ते ही जाते हैं।
- इन बीमारियों के लिए, सरकार ने स्वैच्छिक एवं कॉर्पोरेट दान के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने जैसे वैकल्पिक धन तंत्र की व्यवस्था चाही है।

नीति की कमियाँ –

- ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी नीति का मसौदा यह सही ठहराने के लिए तैयार किया गया है कि सरकार उच्च लागत के कारण उपचार प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि यह संसाधन की कमी वाला देश है।
- कुछ सरकारी अस्पतालों को उत्कृष्टता के अधिसूचित केंद्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन गंभीर रूप से समझौता किए गए प्रतिरक्षा रोगियों के बहुमत को सरकारी अस्पतालों में नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि वे भीड़भाड़ एवं स्वच्छता की कमी के कारण अस्पताल अनुबंधित संक्रमण का अधिग्रहण कर सकते हैं।
- नीति कहती है कि सरकार 'पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सस्ती बीमारियों की उपलब्धता में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास (अनुसंधान एवं विकास) को बढ़ावा देगी', किंतु इन उपायों को शुरू नहीं करने के लिए उसकी आलोचना भी की गई है।
- नीति ने 3 श्रेणियों में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए बहुत ही सीमित दायरे को अपनाया है, अनिवार्य रूप से ऐसी बीमारियों जिनके लिए वर्तमान में कोई उपचार मौजूद नहीं है को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।
- नीति में इन रोगों के लिए अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत ने यूएनएड्स के गोलमेज बैठक में भाग लिया

- केंद्रीय नौवहन मंत्रालय एवं रासायनिक एवं उर्वरक ने 21 जनवरी 2020 को दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच में यूएनएड्स के उच्च–स्तरीय गोलमेज सम्मेलन (जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम और एचआईवी एड्स) में भाग लिया। बैठक का विषय।, सभी के लिए पहुंच– नवाचार उत्तोलन, निवेश एवं भागीदारी था।

- यूएनएड्स सरकारों, निजी क्षेत्र एवं समुदायों को जीवन बचाने वाली एचआईवी सेवाओं को प्रदान करने के लिए नेतृत्व, निजी क्षेत्र एवं समुदायों से जुड़ने के लिए आवश्यक रणनीतिक दिशा, वकालत, समन्वय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- यूएन एड्स 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम पर आयोजित

- 19 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) मनाया गया। नो पोलियो की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से, पूरे देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- राष्ट्रपति ने 18 जनवरी 2020 को पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2020 के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की।
- पुडुचेरी सरकार ने 19 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में गहन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (आई टी आई) कार्यक्रम शुरू किया। पूरे संघ राज्य क्षेत्र में 452 केंद्रों के माध्यम से लगभग 82,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई।
- डोर–टू–डोर मुलाकात से सभी बचे हुए बच्चों को कवर करने के लिए यह टीकाकरण कार्यक्रम दो दिनों तक आयोजित किया गया।

पोलियो वायरस का अंतरराष्ट्रीय प्रसार – एक स्वास्थ्य आपातकाल –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 7 जनवरी 2020 को घोषणा की कि पोलियो वायरस के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के जोखिम के आधार पर तीन महीने तक पोलियो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न (एच आई) बना रहेगा।
- दिसंबर 2019 की स्थिति का आकलन करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत आपातकालीन समिति की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया था।
- पोलियो को 2014 में पी एच आई सी घोषित किया गया था।
- 128 मामलों के साथ, पाकिस्तान ने सबसे अधिक मामले थे, जबकि अफगानिस्तान ने 28 मामलों की सूचना दी।
- बच्चों में पोलियो पैदा करने वाले वायरस के अलावा, यह पाकिस्तान में एवं कुछ हद तक, अफगानिस्तान में पाया गया। यह विशेष रूप से एक चिंता का विषय है क्योंकि अफगानिस्तान में टीकाकरण नहीं करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है।
- इसलिए, देश के अन्य हिस्सों में भी, जो अतीत में वायरस से मुक्त रहे हैं, प्रकोप का खतरा है।

भारत में शक्कर के सेवन पर आई एम आर ने जारी की रिपोर्ट

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन विज्ञान संस्थान – भारत (आई एल एस आई–भारत) द्वारा प्रायोजित, 6 जनवरी 2020 को जारी किए गए संयुक्त अध्ययन, जो अपनी तरह का पहला अध्ययन भारत के सात प्रमुख मेट्रो शहरों में शहरवासियों की चीनी की खपत पर जानकारी है प्रदान करता है।
- निष्कर्षों से पता चलता है कि सभी मेट्रो शहरों में चीनी का दैनिक औसत सेवन 19.5 ग्राम/दिन था, जो आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित स्तर 30 ग्राम/दिन से कम था।
- अध्ययन से पता चला है कि मेट्रो शहरों में चीनी का सेवन जिसेप्रति दिन ग्राम में मापा जाता है, मुंबई में सबसे अधिक एवं हैदराबाद में सबसे कम है।
- वयस्क एवं बुजुर्ग लोग छोटे लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक चीनी का सेवन करते हैं। 36–59 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों में चीनी का सबसे अधिक सेवन देखा गया।
- अध्ययन का अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि सामान्य रूप से चीनी का औसत सेवन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक था।

नीति आयोग मेक इन इंडिया के तहत घरेलू चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए तैयार –

- सरकारी थिंक–टैंक नीति आयोग, बाधाओं को खत्म करने के लिए, घरेलू चिकित्सा उपकरणों के कारोबार के उन उपकरणों की एक सूची तैयार कर रहा है, जिनमें निर्यात की सबसे अधिक संभावना है। 10 ऐसे उपकरण–श्रेणियों की एक अस्थायी सूची तैयार की गई है।

- प्राथमिकता अनुदान या धन मुहैया कराने के लिए नीति आयोग, स्कैनर के तहत डिवाइस कार्डियक स्टेंट, आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण, सर्जिकल ब्लेड, कैथेटर, एक्स–रे मशीन, सीरिंज एवं सुई, ब्लड बैग, सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन के साथ–साथ टांके भी हैं।
- वर्तमान में स्वीकृतियां देने में कई विभाग शामिल हैं, एवं इस प्रकार वे विलंबित हो जाते हैं।
- अब इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा एवं प्रमाणन पकड़िया तेज होगी।

पूरे भारत में कैंसर के बोझ के बढ़ने चेतावनी

- 'भारत में कैंसर के बढ़ते बोझ का इतिहास–पुरातनता से 21 वीं सदी तकष् नामक एक अध्ययन के अनुसार, कैंसर की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि इसके महामारी विज्ञान संक्रमण एवं कैंसर निदान के उपयोग में सुधार के लिए जिम्मेदार है।
- भारत की बढ़ती औसत उम्र एवं ग्रामीण इलाकों में कैंसर के निदान की पहुँच में सुधार के परिणामस्वरूप देश के कैंसर का बोझ बढ़ता रहेगा।
- सबसे अधिक आबादी वाले एवं सबसे कम विकसित राज्यों में अधिकतम वृद्धि होने की संभावना हो सकती है, जहां कैंसर के निदान एवं उपचार की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।
- भारत में महामारी का सबसे तेज संक्रमण केरल में हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे धीमे संक्रमण वाला राज्य रहा। केरल में संक्रामक रोगों की कम घटनाओं ने यूपी की तुलना में अधिक कैंसर को जन्म दिया है, जो अभी भी संचारी रोगों से उच्च मृत्यु दर से जूझ रहा है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'अम्मा वोडी' योजना शुरू की

- आंध्र प्रदेश सरकार ने 9 जनवरी 2020 को अम्मा वोडी 'योजना शुरू की। कम आय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं एवं अभिभावकों को योजना के तहत 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- यह योजना 26 जनवरी, 2020 (गणतंत्र दिवस) से लागू की जाएगी।
- अम्मा वोडी राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं एवं अपनी आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ एवं मानदंडों को स्पष्ट करते हैं।
- इस योजना को 2019–20 के लिए लगभग 6,455 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जो आंध्र प्रदेश के 32,618 करोड़ रुपये के कुल शिक्षा बजट का लगभग 20 प्रतिशत है।
- जगन रेड्डी सरकार ने अन्य विभागों से भी धन लिया है। एपी सरकार ने सभी लाभार्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी है।
- सभी आवेदक जिन्होंने इस योजना के लिए पंजीकरण किया है, वे एपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अब जगन्ना अम्मा वोडी पात्रता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के न्यू न्यूमोकोकल वैक्सीन ने डब्ल्यूएचओ में पूर्व–योग्यता प्राप्त की

- पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा पूर्व–योग्यता दी गई है।
- न्यूमोकोकल टीकाकरण एक विशिष्ट प्रकार के फेफड़ों के संक्रमण (न्यूमोनिया) को रोकने की एक विधि है जो न्यूमोकोकस (स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया) जीवाणु के कारण होता है।
- न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया के खिलाफ निर्देशित एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए वैक्सीन को शरीर में अंतःक्षिप्त किया जाता है।
- इसका उपयोग न्यूमोकोकल वैक्सीन के निर्माण के लिए किया गया था। इससे कंपनी को न्यूमोकोकल वैक्सीन की विनिर्माण लागत कम करने में मदद मिली।

डीबीटी एवं एनआईआई के संयुक्त अध्ययन में चिकनपॉक्स प्रतिरक्षा के मातृ–बच्चे के संचरण के तंत्र का पता चला

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जिन महिलाओं को चिकनपॉक्स का संक्रमण हुआ है, वे गर्भावस्था के दौरान अपने शिशुओं को रोग पैदा करने वाले वायरस का डीएनए संचारित कर सकती हैं, इस प्रकार संक्रमण के खिलाफ उनकी प्रतिरक्षा को उत्तेजित करती हैं एवं उनकी रक्षा करती हैं।
- वायरल डीएनए का यह मां–से–बच्चे का हस्तांतरण बचपन में होने वाले चिकनपॉक्स संक्रमण के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले संरक्षण के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

- अध्ययन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली में एक मुख्य अनुदान द्वारा समर्थित किया गया था।

तेलंगाना में में औद्योगिक स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत –

- तेलंगाना राज्य सरकार की एक पहल, तेलंगाना औद्योगिक स्वास्थ्य क्लिनिक लिमिटेड ने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- इसे 2018 में एक नॉनटेक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह बीमारी के समय सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों के लिए एक नैदानिक एवं उपचारात्मक पहल है।
- यह तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा मदद की जा रही है एवं तेलंगाना औद्योगिक विकास निगम (टीएसआईडीसी) द्वारा चलाया जा रहा है।

उद्देश्य –

1. सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों (एस एम) में गंभीर बीमारियों को रोकना।
2. एमएसई के पुनरुद्धार, पुनर्गठन एवं पुनर्वास के लिए सेवा की पेशकश करना।
3. राज्य भर में समूहों में एमएसई के निर्माण में निवेश को बढ़ावा देना।
4. अगले विकास स्तरों को प्राप्त करने के लिए इक्विटी बाजारों में भाग लेने के लिए एमएसई तैयार करना।

'नर्स एवं दाई का वर्ष'

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2020 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'यीअर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ' के रूप में नामित किया है।
- डब्ल्यू एच ओ तीन–वर्षीय 'नर्सिंग नाउ!' अभियान (2018–2020) में सहयोगी भागीदार है।
- इस अभियान का उद्देश्य नर्सिंग की स्थिति एवं प्रोफाइल को बढ़ाकर विश्व स्तर पर स्वास्थ्य में सुधार करना है, यह दर्शाना है कि नर्सिंग पेशे को शक्तिशाली बनाकर एवं नर्सों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देकर किस प्रकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए उनके योगदान को अधिकतम किया जा सकता है।
- नर्स एवं दाई का पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 में आयोजित किया जाएगा, इसकी पुष्टि की गई है, जो नर्सिंग के व्यवसाय पर ध्यान देने का दुर्लभ अवसर प्रदान करेगा।
- डब्ल्यूएचओ पहली स्टेट ऑफ वर्ल्डस नर्सिंग रिपोर्ट के विकास पर कार्य कर रहा है, जिसे 2020 में प्रकाशित फिल्मकिया जाएगा। यह रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ के सदस्य राज्यों में नर्सिंग कार्यबल का वर्णन करेगी।
- नर्स एवं दाई स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य एवं नर्सिंग देखभाल में उनके योगदान को स्वीकार करना, सराहना करना एवं संबोधित करना बहुत आवश्यक है। डब्ल्यूएचओ ने 43 शैक्षिक केंद्रों को नर्सिंग एवं दाईगिरी मिडवाइफरी के लिए सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है।

पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन शतप्रतिशत

- पिछले वर्षों की तुलना में सरकारी स्कूलों के परिणामों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा मिशन शतप्रतिशत शुरू किया गया।
- सरकारी स्कूलों की कक्षा 5, 8, 10 एवं 12 में 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया है।
- पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एक एवं तीन महीनों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

कोलकाता पुलिस ने 'सुकन्या' परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया।

- कोलकाता पुलिस ने शहर में स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 6 जनवरी 2020 को श्सुकन्याश् परियोजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत की।
- आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं की छात्राएं और इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली लड़कियां इसका हिस्सा होंगी।
- सुकन्या शहर के स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोलकाता पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग विंग की एक पहल है।

- यह पहल राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है।

यूपी के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय

- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा ताकि अपने सदस्यों को कक्षा एक से पीजी तक सही अध्ययन करने एवं यहां तक कि शोध करने एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने में मदद मिल सके।
- कुशीनगर जिले के फाजिलनगर ब्लॉक में आने वाला विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट (अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट) द्वारा बनाया जा रहा है।

एम एच ए ने आपसी कानूनी सहायता संधियों के लिए संशोधित मानदंड जारी किए

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपराध के लिए शून्य सहिष्णुता की सरकार की नीति के तहत तथा शीघ्रता से न्याय दिलाने के प्रयास के रूप में अन्य देशों के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- भारत ने आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए 42 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटी) पर हस्ताक्षर किए हैं एवं गृह मंत्रालय इसके लिए देश के लिए केंद्रीय प्राधिकरण 'नामित है।

छत्तीसगढ़ ने सीएसएसडीए का मोबाइल ऐप लॉन्च किया

- छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएस डीए) का एक मोबाइल ऐप हंत रोजगर सांगी 'लॉन्च किया।
- सीएसएसडीए ने अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए यह ऐप तैयार किया है।
- यह ऐप रोजगार प्रदाता एवं प्रशिक्षित युवाओं के बीच एक सेतु का काम करेगा एवं रोजगार प्रदाता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनसे संपर्क कर सकता है। इससे प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी के विकल्प भी मिलेंगे एवं वे अपने कौशल एवं पसंद के अनुसार अपने नियोक्ता का चयन करने में भी सक्षम हो सकते हैं।
- 400 से अधिक पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी ऐप में शामिल की गई है एवं कोई भी रोजगार कंपनी या कोई भी व्यक्ति ऐप में अपनी रिक्ति पोस्ट कर सकता है।

मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 में बदलाव कर गर्भावस्था की समाप्ति की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की मंजूरी दे दी है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 में केवल 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था की समाप्ति का प्रावधान है।
- यदि एक अवांछित गर्भावस्था 20 सप्ताह से आगे बढ़ गई है, तो महिलाओं को समाप्ति के लिए अनुमति लेने के लिए एक मेडिकल बोर्ड एवं अदालतों से संपर्क करना होता था, जो एक अत्यंत कठिन एवं बोझिल प्रक्रिया है।
- एमटीपी अधिनियम, 1971 की धारा 3 (2) के अनुसार, एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, जहां गर्भावस्था की लंबाई बारह सप्ताह से अधिक नहीं होती है या जहां गर्भावस्था की लंबाई बारह सप्ताह से अधिक होती है, लेकिन बीस सप्ताह से अधिक नहीं होती है।
- जहां गर्भावस्था की लंबाई बारह सप्ताह से अधिक होती है, लेकिन बीस सप्ताह से अधिक नहीं होती है, इस मामले में, गर्भपात तभी किया जा सकता है जब कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सकों की यह रहे हो कि गर्भावस्था की निरंतरता में जोखिम शामिल है, गर्भवती महिला का जीवन (उसका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य)य या इस बात का पर्याप्त खतरा है कि यदि बच्चा पैदा हुआ था, तो उसे कुछ शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होना होगा या वह गंभीर रूप से विकलांग होगा।

- कानून एक बच्चे को पालने की आर्थिक लागत, कैरियर के फैसले पर प्रभाव या किसी अन्य व्यक्तिगत विचारों गैर–चिकित्सा चिंताओं को समायोजित नहीं करता है।
- उनके अनुसार, नाबालिगों के लिए– अभिभावक से लिखित सहमति आवश्यक है, एवं अविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधक–विफलता को गर्भपात के कारण के रूप में नहीं बता सकती हैं।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान –

- गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भ समापन (गर्भाधान एवं जन्म के बीच का समय) के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक (दो या अधिक के बजाय) की राय की आवश्यकता।
- 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था की समाप्ति के लिए दो पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों की राय की आवश्यकता।
- बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार (परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों के बीच मानव यौन गतिविधि) एवं अन्य कमजोर महिलाओं के लिए ऊपरी गर्भधारण सीमा (गर्भपात के लिए) को 20 से बढ़ा कर 24 सप्ताह कर दिया गया है।
- अविवाहित महिलाओं के लिए, विधेयक गर्भनिरोधक–विफलता की स्थिति ढील देने का प्रयास करता है।
- पहले ष्केवल विवाहित महिला या उसके पतिष् को गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन विधेयक ष्किसी भी महिला या उसके साथीष् के लिए अब समान प्रस्ताव रखता है।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को उन्मूलन पर केंद्रित करने के लिए नाम बदला गया

समाचार –

- 1 जनवरी 2020 को, भारत के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को अब संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के बजाएं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनपीपी) के नाम से जाना जाएगा।
- नाम में परिवर्तन 2025 तक रोग को खत्म करने के बड़े लक्ष्य के अनुरूप है, सतत विकास लक्ष्य से पांच साल आगे।
- नाम में परिवर्तन से तपेदिक के उन्मूलन के लिए काम कर रहे लोगों सभी लोगों एवं सामान्य आबादी को इसके उन्मूलन के लिए काम करने की दिशा में उत्साह के बढ़ने की उम्मीद है।
- यह याद किया जा सकता है कि कुष्ठ रोग एवं पोलियो दोनों के मामले में, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बड़े लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए नाम परिवर्तन किया गया था। कुष्ठ रोग के मामले में, नाम को 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया था। इसी तरह, पोलियो के, कार्यक्रम का नाम भारत में पोलियोमाइलाइटिस नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया था।
- 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बहुत अधिक बढ़ावा मिला, जिसमें कहा गया कि पल्मोनरी एवं एक्स्ट्रापुलमरी टीबी एवं रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी के निदान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित आणविक परीक्षण (ट्रूनेट एमटीबी) में उच्च नैदानिक सटीकता है। बैटरी संचालित होने के कारण, नैदानिक उपकरण का उपयोग भारत में छोटे टीबी केंद्रों में किया जाएगा। यह निदान में देरी को कम करने में मदद करेगा एवं संचरण चक्र को तोड़ने एवं बेहतर इलाज दरों को प्राप्त करने के लिए उपचार की प्रारंभिक दीक्षा को सक्षम करेगा।

मेडिसिन बिल, 2019 की भारतीय प्रणाली

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2020 को भारतीय चिकित्सा प्रणाली विधेयक, 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग के आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी। वर्तमान में यह बिल राज्यसभा में लंबित है।
- संशोधन भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में आवश्यक नियामक सुधारों लाएंगे।
- यह जनता के प्रति पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ाएगा। यह देश के सभी हिस्सों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा।
- भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन सी आई एम)– की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कुशल चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा मानकों के नैतिक मानकों को बढ़ाना है।

होम्योपैथी बिल, 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग

समाचार –

- 29 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी बिल, 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग को मंजूरी दी।
- निम्नलिखित संशोधनों के लिए विधेयक पेश किया जा रहा है।
- होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत करना
- आम जनता के हितों की रक्षा में जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सक्षम बनाना।
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 वर्तमान में देश में होम्योपैथी शिक्षा एवं प्रथाओं का संचालन कर रहा है। अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के आधार पर निकाला गया है।

समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)

समाचार –

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कौशल विकास, व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं पोर्ट ब्लेयर में पुनर्वास के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) का शुभारंभ किया।
- भारत में समग्र क्षेत्रीय केंद्र कोझीकोड, भोपाल, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, अहमदाबाद, मंडी एवं सुरगी (छत्तीसगढ़) में स्थित हैं।
- सीआरसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत निर्धारित केंद्र हैं, ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचे एवं संसाधन तैयार किए जा सकें।
- ये केंद्र शहरी क्षेत्रों के बजाय स्थानीय लोगों पर केंद्रित हैं।

दुनिया भर में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस (विश्व एनटीडी दिवस) मनाया गया

समाचार –

- 30 जनवरी, 2020, दुनिया का पहला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस (वर्ल्ड एनटीडी डे) मनाया गया, एक ऐसा दिन जब हम दुनिया में एनटीडी के नियंत्रण के लिए की गई उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, तथा हम उन चुनौतियों की पहचान करते हैं जिनका हम नियंत्रण एवं उन्मूलन में सामना करना पड़ सकता हैं।

भारत में उपेक्षित रोगों के अनुसंधान पर नीतियां –

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वाकांक्षा निर्धारित करती है एवं यह सुनिश्चित करती है कि नई दवाएं उन लोगों के लिए सस्ती हैं जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन यह विशेष रूप से उपेक्षित बीमारियों से नहीं निपटता है।
- दुर्लभ रोगों के उपचार पर राष्ट्रीय नीति (2018) में संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग शामिल हैं एवं इसकी आवश्यकता की पहचान की जाती है
- दुर्लभ बीमारियों के उपचार पर अनुसंधान का समर्थन करते हैं। इसने अभी तक रोगों एवं क्षेत्रों को अनुसंधान निधि के लिए प्राथमिकता नहीं दी है और ना ही की कैसे नवाचार का समर्थन किया जाए।
- दवा की खोज, निदान, एवं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में वैक्सीन के विकास में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की कमी है।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी के चलते, स्पष्ट परिचालन योजनाएं एवं धन तंत्र निर्दिष्ट नहीं हैं। नतीजतन, अनुवर्ती कार्रवाई अनुपस्थित है।
- कोई भी संस्थागत तंत्र उपेक्षित रोगों के अनुसंधान, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने या अनुसंधान उत्पादन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद नहीं है।
- अनुसंधान एजेंडे को प्राथमिकता देने एवं दोहराव को कम करने के लिए विभिन्न फंडिंग एवं अनुसंधान निकायों के बीच अक्सर कोई समन्वय नहीं होता है।

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

(भारतीय धरोहर एवं संस्कृति, इतिहास, विश्व एवं समाज, भूगोल)

नागार्धन खुदाई

समाचार –

- नागपुर के पास रामटेक तालुका में नागार्धन में हाल ही में की गई पुरातात्विक खुदाई में, तीसरी से पाँचवीं शताब्दी ईस्वी विवरण कई जानकारीयाँ प्राप्त होती है।

विवरण –

- नागपुर के पास नागार्धन में हुई खुदाई वाकाटक वंश, जो सदियों पहले मध्य एवं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे, के जीवन, धार्मिक संबद्धता एवं व्यापार प्रथाओं पर नई स्पष्टता लाई है।

उत्खनन में हुई खोज –

- उत्खनन ने तीसरी एवं पांचवीं शताब्दी के बीच मध्य एवं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले वाकाटक वंश के जीवन, धार्मिक जुड़ाव एवं व्यापार प्रथाओं पर ठोस सबूत प्रदान किए।
- 1,500 साल पुरानी सीलिंग के पहली बार प्राप्त होने के बाद, मूद्रा संग्रहण पर एक नए अध्ययन में रानी प्रभातीगुप्त के तहत वाकाटक साम्राज्य को समझने की कोशिश की गई है।
- यहां खुदाई के पहले के नतीजों में मिट्टी के पात्र, कांच के प्राचीन स्टड, पुरावशेष, कएवें एवं गमले, एक मंदिर एवं टैंक, एक लोहे की छेनी, एक हिरण एवं टेराकोटा की चूड़ियों को दर्शाते पत्थर, कुछ टेराकोटा की वस्तुएं जिन पर देवताओं, जानवरों एवं मनुष्यों की छवियों को चित्रित किया गया था, ताबीज, स्कॉच, पहिए, त्वचा के घिसने एवं धुरी वाले कोड़े मिले थे।
- भगवान गणेश की एक अखंड मूर्ति, जिसमें कोई अलंकरण नहीं था, वह भी इस स्थल से प्राप्त हुई थी।

रानी प्रभातीगुप्त पर निष्कर्ष महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- वाकाटक शासकों को अपने समय के अन्य राजवंशों के साथ कई वैवाहिक गठबंधन बनाने के लिए जाना जाता था। प्रमुख गठबंधनों में से एक शक्तिशाली गुप्त वंश जो उस समय उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे के साथ था। शोधकर्ताओं का कहना है, गुप्त, वाकाटक की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे।
- वाकाटक राजा रुद्रसेना द्वितीय से शादी करने के बाद, गुप्त वंश की प्रभातीगुप्त ने मुख्य रानी का स्थान प्राप्त किया। रुद्रसेना द्वितीय के आकस्मिक निधन के बाद जब उन्होंने वाकाटक राज्य की कमान संभाली, तो महिला वाकाटक शासक के रूप में उनका कद काफी बढ़ गया।
- विद्वानों का कहना है कि रानी प्रभातीगुप्त भारत की मुट्ठी भर महिला शासकों में से हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में किसी भी राज्य पर शासन किया।
- इसके अलावा, वाकाटक वंश के भीतर किसी भी उत्तराधिकारी महिला शासक का अब तक कोई सबूत नहीं था।

वैष्णव संबद्धता का संकेत क्यों महत्वपूर्ण है?

- वाकाटक शासकों ने हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय का पालन किया, जबकि गुप्त वंश वैष्णव थे। उत्खननकर्ताओं का कहना है कि रामटेक में पाए जाने वाले कई धार्मिक ढांचों जो वैष्णव संप्रदाय की आत्मीयता सूचित करते हैं को रानी प्रभातीगुप्त के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। जबकि उसका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जो शैव संप्रदाय से संबंधित था, अर्थात रानी की शक्तियों ने उसे पूजा का देवता चुनने की अनुमति दी।
- कुछ मंदिर केवल नरसिम्हा, रुद्र नरसिम्हा एवं वराह को समर्पित थे जो भगवान विष्णु के अवतारों प्रति मजबूत आत्मीयता को प्रदर्शित करता हैं। इन धार्मिक संरचनाओं में से कोई भी, हालांकि, रानी के सिंहासन पर आरूढ़ होने तक यहां मौजूद नहीं थी।

जल्लीकट्टू

समाचार –

- पोंगल का चार दिवसीय फसल उत्सव मनाया गया, जिसमें जल्लीकट्टू की शुरुआत भी हुई, जो एक विवादित खेल है, जिसमें मवेशियों एवं मनुष्यों के बीच आक्रामक टकराव शामिल है एवं तमिलनाडु में लोकप्रिय है।
- जल्लीकट्टू पर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु एवं केंद्र सरकार ने राज्य में व्यापक विरोध के कारण निर्णय को उलट दिया।
- समर्थकों के अनुसार, प्रतिबंध तमिल गौरव पर हमला था एवं जल्लीकट्टू प्रजनन के लिए मजबूत बैल की पहचान करने में उनकी मदद करता है।
- लेकिन जल्लीकट्टू को एक बर्बर खेल के रूप में माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर इसके पशु एवं मानव प्रतिभागियों की मृत्यु हो जाती है।

जल्लीकट्टू– एक खूनी खेल–

- जल्लीकट्टू की उत्पत्ति तमिल शास्त्रीय काल (400–100 ईसा पूर्व) के आसपास की है। जल्लीकट्टू शब्द तमिल के शब्द ष्सल्ली कासुष् से आया है – जबकि ष्सल्लीष् का मतलब सिक्के है, ष्कट्टूष् एक बैल के सींगों से पुरस्कार राशि के रूप में बंधा हुआ पैकेज है।

- आमतौर पर, विशिष्ट किस्मों के बैल को मानव प्रतिभागियों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है, जो जानवर को अपने कूबड़ द्वारा हड़पने का प्रयास करते हैं एवं उसे भागने से रोकते हैं।
- किसानों के लिए, जल्लीकट्टू का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। यह उनकी खुद की ताकत एवं उनके बैलों को प्रदर्शित करने का क्षण है, जिन्हें वे प्यार करने का दावा करते हैं।
- खेल कड़ी मेहनत करने वाले तमिल किसान की भावना का जश्न मनाता है, जो अपने बैल की मदद से खेत में दिन–रात घूमता है।

विपक्षी दृश्य –

- बैल खेल के दौरान लगभग हमेशा हमला करते हैं एवं अक्सर नशे में होते हैं।
- यह आरोप लगाया गया है कि बैल के मालिक अक्सर चूने के रस एवं मिर्च पाउडर को जानवरों की आंखों एवं जननांगों में रगड़ते हैं ताकि वे उन्हें क्रूर बना सकें।
- बैल अक्सर चाकू या डंडे से वार करते हैं, मुक्का मारा जाता है, कूदते हैं एवं जमीन पर घसीटे जाते हैं क्योंकि मानव प्रतिभागी उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं।
- साथ ही, संविधान का अनुच्छेद 51 ए जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य शामिल हैं में कहा गया है कि नागरिकों को वन्यजीवों एवं जंगलों की रक्षा करनी चाहिए एवं जीवित प्राणियों के लिए दया होनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन II

(सरकार, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

समाचार –

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने एक नया सोशल मोबिलिटी इंडेक्स (सामाजिक गतिशीलता सूचकांक) जारी किया।

विवरण –

- रिपोर्ट के पाँच प्रमुख आयामों के 10 स्तंभ स्वास्थ्य, शिक्षा (पहुंच, गुणवत्ता एवं समानता), प्रौद्योगिकी, कार्य (अवसर, मजदूरी, परिस्थितीयाँ), एवं सुरक्षा एवं संस्थाएं (सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी संस्थान) यह बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऊचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा एवं आजीवन शिक्षण सामाजिक गतिशीलता में सबसे बडी बाधा है।
- ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स से पता चलता है कि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण करने वाले देश कुछ मुट्ठी भर ही हैं।

वैश्विक प्रदर्शन –

- शीर्ष पांच देश सभी स्कैंडिनेवियन हैं जिनमें डेनमार्क शीर्ष पर हैं, जबकि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने से सबसे अधिक लाभ उठाने वाली पांच अर्थव्यवस्थाएं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान एवं जर्मनी हैं।
- दुनिया में सबसे अधिक सामाजिक गतिशील समाज यूरोपीय हैं।
- जी–7 अर्थव्यवस्थाओं में, जर्मनी जो 78 अंकों के साथ 11 वें स्थान पर है, सामाजिक रूप से सबसे अधिक गतिशील है, इसके बाद फ्रांस, 12 वें स्थान पर है। इसके बाद कनाडा (14 वें), जापान (15 वें), यूनाइटेड किंगडम (21 वें), संयुक्त राज्य अमेरिका (27 वें) एवं इटली (34 वें) स्थान पर आता है।
- दुनिया की बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, रूसी संघ 64 अंकों तथा 39 वें स्थान के साथ ब्रिक्स समूह का सबसे अधिक सामाजिक रूप से गतिशील देश हैं। इसके बाद चीन (45 वें), ब्राजील (60 वें), भारत (76 वें) एवं दक्षिण अफ्रीका (77 वें) स्थान पर हैं।

भारत का प्रदर्शन –

- 82 देशों की सूचि में भारत का स्थान 76 वां हैं।
- भारत को सामाजिक सुरक्षा (76 वां) एवं उचित मजदूरी वितरण (79 वां) में सख्त सुधारों की आवश्यकता है।
- भारत उन पांच देशों में शामिल हैं जिन्हें सामाजिक गतिशीलता स्कोर के बढ़ने से सर्वाधिक लाभ होगा।
- यह आजीवन शिक्षण में 41 वें एवं कार्य परिस्थितियों में 53 वें स्थान पर है।
- कुपोषण की व्यापकता के संदर्भ में, भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा। घाना, जिसकी कुल रैंक 70 है, इस श्रेणी में सबसे ऊपर है।
- भारत स्वास्थ्य पहुंच एवं गुणवत्ता सूचकांक, सीखने के परिणामों के सूचकांक, एवं निश्चित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता सूचकांक में 76 वें स्थान पर है।
- काम के अवसरों के मामले में, भारत की रैंकिंग (76.2 प्रतिशत) असुरक्षित रोजगारों के दुसरी सबसे अधिक श्रमिक संख्या के बाद, सऊदी अरब के बाद रहा तथा महिला श्रम भागीदारी दर (पुरुष श्रम भागीदारी का 29.8 प्रतिशत) भी कम रही।

- भारत को उचित मजदूरी प्रदान करने में सक्षम होने के लिए संरचनात्मक सुधारों की भी आवश्यकता है, एवं इसके क्षेत्रीय साथियों की तुलना में इसका सामाजिक सुरक्षा जाल बहुत छोटा है। भारत का समग्र सामाजिक व्यय जीडीपी का 2.68 प्रतिशत ही है।

विश्लेषण –

- रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी अर्थव्यवस्थाएं अपने सामाजिक गतिशीलता स्कोर में 10 अंकों का सुधार करने में सक्षम हो तो इस निवेश से सामाजिक लाभों के अलावा उनके जीडीपी में 2030 तक 4.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- कम सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती असमानताओं का कारण एवं परिणाम दोनों है जो सामाजिक सामंजस्य तथा समावेशी विकास के प्रतिकूल हैं।
- भविष्य की पीढ़ियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि माता–पिता के बीच बड़े अंतराल के परिणामस्वरूप शिक्षा एवं बच्चों के लिए अवसरों में भी बड़े अंतराल होंगे।
- असमानता के सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम गहन एवं दूरगामी हैं – जैसे कि अनुचितता, अनिश्चितता, पहचान एवं प्रतिष्ठा की कथित हानि, सामाजिक ताने–बाने का कमजोर होना, संस्थानों में विश्वास का क्षय, राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ असहमति एवं सामाजिक अनुबंध का क्षरण इत्यादि।
- प्रौद्योगिकी ने असमानता पर बड़ा प्रभाव डाला है क्योंकि यह कम कुशल नौकरियों की मांग को कम करती है एवं उच्च–कुशल नौकरियों को असमान रूप से पुरस्कृत करती है।
- व्यवसाय एवं सरकार की प्रतिक्रिया में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए नए रास्ते बनाने के लिए ठोस प्रयास शामिल होना चाहिए, जिससे सभी को सफलता के उचित अवसर मिल सकें।

2018 में भारत में अपराध 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा – एन सी आर बी

समाचार –

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, ने भारत में अपराध रिपोर्ट का वर्ष 2018 का संस्करण जारी किया।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं –

- 50 लाख से अधिक संज्ञेय अपराधों के पंजीकरण के साथ 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराध में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2018 में कुल 50.74 लाख अपराध दर्ज हुए जिसमें से 31.32 लाख अपराध भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) के तहत 19.41 लाख अपराध एवं विशेष स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के तहत पंजीकृत किए गए।
- हालांकि 2017 की तुलना में अपराधिक मामलों में 1. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किंतु प्रति लाख जनसंख्या में अपराध की दर 2017 के 388.6 से घटकर 383.5 रह गई।
- 2018 में देश भर में अपहरण एवं फिरौती के कुल 1.05 लाख मामले पंजीकृत थे, जो 2017 के 95893 मामलों से 10.3 प्रतिशत अधिक थे।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत घटनाओं में 2017 में रिपोर्ट की गई 6729 घटनाओं की तुलना में 2018 की संख्या जो कि 4816 थी, काफी कम रही।
- 2018 में हत्या के कुल 29,017 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2017 (28,653 मामलों) पर 1.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- 2018 में सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों के कुल 76,851 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से इसमें दंगे के कुल 57,828 मामले जो ऐसे कुल मामलों का 75.2 प्रतिशत था।
- साइबर अपराध के मामलों में 2017 के 21796 मामलों की तुलना में 2018 में कुल 27248 मामले बने।
- 2018 में, 76,851 मामले "सार्वजनिक अत्याचार के खिलाफ अपराध" श्रेणी के तहत दर्ज किए गए थे।
- यह संख्या 2017 में ऐसे मामलों की संख्या से कम थी जिसमें 78,051 ऐसे मामले देखे गए थे।
- ऐसे सभी अपराधों में लगभग 90 प्रतिशत दंगे से जुड़े थे, जबकि बाकी ष्गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होनेष् (लोकप्रिय रूप से सीआरपीसी की धारा 144 के रूप में जाना जाता था) के तहत थे।
- अन्य कारणों जैसे कि सांप्रदायिक, छात्र आंदोलन, राजनीतिक एवं कृषि संबंधी दंगों के साथ इसकी तुलना करें रिपोर्ट के अनुसार 2017 के मुकाबले 2018 में राजनीतिक दंगे के मामले लगभग 25 प्रतिशत कम हो गए।
- इसी अवधि में सांप्रदायिक दंगे लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो गए।
- जातिगत संघर्ष में भी लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। छात्र संघर्षों में लगभग 10 प्रतिशतकी गिरावट आई, जबकि कृषि संबंधी दंगों में 35 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

- 2017 में में 2018 में 4,11,824 मौतों दुर्घटनावश होने वाली मौतों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई जो कि 2017 में 3,96,584 थी। यदि प्रतिशत में बात करें तो यह 2017 के 30.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2018 में 31.1 प्रतिशत की वृद्धि रही।
- आत्महत्या के अधिकांश मामले महाराष्ट्र (17,972) उसके बाद तमिलनाडु (13,896), पश्चिम बंगाल (13,255), मध्य प्रदेश (11,775) एवं कर्नाटक (11,561) का स्थान था।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,277 मामले दर्ज किए गए जिनकी संख्या 2017 में 3,59,849 थी। 59,445 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश इन अपराधों में शीर्ष पर रहा, इसके बाद महाराष्ट्र (35,497) एवं पश्चिम बंगाल (30,394) रहे।
- डेटा पर स्पष्टीकरण पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम एवं कोलकाता से लंबित थे इसलिए, इन राज्यों एवं शहर के आंकड़ों को अनंतिम माना जा सकता है।
- 2018 में कृषि क्षेत्र में आत्महत्या करने वालों की संख्या देश में कुल आत्महत्या पीड़ितों (1,34,516) का 7.7 प्रतिशत रही।
- पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी ने 2018 के दौरान किसानों या कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या का कोई मामला रिपोर्ट नहीं कुआं

फास्ट फूडको लेबल करने का कार्य लंबे समय से क्यों अटका है

समाचार –

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (पीए ई) ने एक नए अध्ययन में खुलासा किया कि 'जंक फूड' की एक सरणी में नमक एवं वसा प्रस्तावित नियामक सीमा से काफी ऊपर थे। हालांकि, निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को सीमा एवं फास्ट फूड में पोषक तत्वों विवरण जानकारी निर्धारित करने के लिए कानून के मसौदे तय करना है, एवं जानकारी को सार्वजनिक करना है।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (एसई) ने अध्ययन कैसे किया? –

- इसकी पर्यावरण निगरानी प्रयोगशाला ने नई दिल्ली की किराना एवं फास्ट फूड आउटलेट से 33 खाद्य पदार्थों के नमूनों में लवण, वसा, ट्रांस–वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया।
- इसकी गणना करने के लिए, संगठन अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) की अवधारणा पर निर्भर था।
- आदर्श रूप से, एक वयस्क को प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक नमक, 60 ग्राम वसा, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 2.2 ग्राम ट्रांसफैट से अधिक का सेवन नहीं करना चाहिए।
- इसके अलावा, नाश्ता, दोपहर एवं रात के भोजन से आरडीए 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए एवं स्नैक्स (जिन्हें दोनों भोजन ओं के बीच खाया जाता है) 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, एक स्नैक में आदर्श रूप से 0.5 ग्राम से अधिक नमक एवं 6 ग्राम वसा नहीं होनी चाहिए।

पोषण घटकों का खुलासा करने से संबंधित कानून क्या है? –

- हालांकि 2015 से विनियमों पर चर्चा चल रही है एवं उन पर कई मसौदे सामने आए हैं, फिर भी उन्हें कानून बनना एवं संचालन होना अभी बाकी है।
- 2018 में, एफ एस एस ए आई एक मसौदा कानून, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2018 के साथ आया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि एक पैकेट में नमक, चीनी जैसे प्रत्येक पोषक तत्व की कितनी मात्रा है इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, आरडीए मसौदे में कहा गया है कि नमक को सोडियम क्लोराइड के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, एवं यह कि जिन सामग्रियों ने आरडीए को नष्ट कर दिया है, उन्हें श्लालश् में चिह्नित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, बी। शेषिकरन की अध्यक्षता में एक तीसरी समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक नया मसौदा (मसौदा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2019) तैयार किया गया था।
- इसे पैक खाद्य कंपनियों को पोषण संबंधी जानकारी जैसे कि कैलोरी (ऊर्जा), संतृप्त वसा, ट्रांस–वसा, अतिरिक्त चीनी एवं सोडियम प्रत्येक पैक पर घोषित करने की आवश्यकता होगी।
- खाद्य लेबल पैक पर प्रति सर्विंग आरडीए के प्रतिशत को भी दिखाना होगा।

उद्योग प्रस्तावित कानूनों का विरोध क्यों कर रहे है?

- लाल लेबल के अलावा, मानदंड अवैज्ञानिक हैं एवं पैक किए गए भोजन को लोगों को ष्स्वादष् के स्तर पर संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है।
- भारी मात्रा में जंक फूड – कैसे कि समोसे या तले हुए भोजन को अनियंत्रित तरीके से खेला गाड़ियों पर पर बेचा जाता है – देश में उनकी पौष्टिक स्थिति पर कोई जांच नहीं होती है एवं अकेले एक खंड को विनियमित करने कोशिश होती है।
- क्योंकि पोषण संबंधी जानकारी केवल उपभोक्ताओं को उनके सेवन को विनियमित करने का मार्गदर्शन करती है, उद्योग को लगता है कि लोगों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि स्वस्थ आहार क्या है, व्यायाम की भूमिका एवं उचित मात्रा में भोजन का सेवन करना चाहिए। वे दावा करते हैं कि मौजूदा नियम केवल भय–निर्माण में योगदान करेंगे।

ड्राफ्ट पर एफएसएसएआई आगे क्यों नहीं बढ़ा?

- विभिन्न रंगों में ब्रांडेड भोजन पैक करने से यह संदेश जाता है कि वे असुरक्षित या ष्विषाक्तष् हैंय यह एक विनियमित, लेकिन व्यवहार्य पैकेज्ड खाद्य उद्योग के बड़े उद्देश्य एवं लोगों को उनके भोजन विकल्पों के बारे में शिक्षित किए जाने, के लिए प्रतिकारक होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रथा है?

- चिली में एक प्रणाली है जहां एक सफेद सीमा में एक काला षट्भुज एक पैकेज के सामने दिखाई देता है। षट्भुज में एक वाक्यांश है जो कहता है कि एक उत्पाद ष्नमक में उच्चष् या ष्ट्रांस–वसा में उच्च है।ष
- डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश यूरोपीय देशों में फ्रंट–द–पैक लेबलिंग के कुछ रूप हैं, लेकिन कम देशों में व्याख्यात्मक प्रणालियां हैं जो खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य कारक की व्याख्या करती हैं।

अनुशंसित खाद्य सामग्री

- आदर्श रूप से, एक वयस्क को प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक नमक, 60 ग्राम वसा, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 2.2 ग्राम ट्रांसफैट से अधिक का सेवन नहीं करना चाहिए।

चीन–म्यानमार संबंध

समाचार –

- चीन एवं म्यांमार ने बीजिंग को हिंद महासागर में एक कदम रखने देने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से 33 सौदे किए।
- 33 समझौतों में राजनीति, व्यापार, निवेश एवं लोगों के बीच संचार क्षेत्र, विशाल परियोजनाओं को शामिल करना, जो प्रमुख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा हैं, चीन के 21 वें सदी के रेशम मार्ग के रूप में वर्णित नए व्यापार मार्गों का दृष्टिकोण शामिल है।
- दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य फोकस चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे (सीइन एमवीसी) के कार्यान्वयन पर दिखाई दिया, जो कि 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी–पैक) के समान है।
- सीएमईसी दक्षिण–पश्चिमी चीन को हिंद महासागर में जोड़ने वाली एक विशाल कनेक्टिविटी परियोजना भी है।
- दोनों देशों ने क्योकफ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) डीप सीपोर्ट परियोजना के लिए एक रियायत समझौते एवं शेयरधारकों के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- बंदरगाह चीन के युन्नान प्रांत की भूमि को सीधे हिंद महासागर से जोड़ेगा, जिससे चीन को बाईपास करने की अनुमति मिल सके।
- मलक्का जलडमरूमध्य जिसके माध्यम से यह तेल एवं गैस की एक बड़ी मात्रा का आयात करता है।
- म्यांमार एवं चीन ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए 13 और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सड़क, रेल कनेक्टिविटी एवं पावर इंटरकनेक्शन परियोजनाएं शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने एक विवादित $3.6 बिलियन के बीजिंग समर्थित मित्सितोन बांध की बारे में बात नहीं की, जहां स्थानीय विरोध एवं लागत विचार के कारण 2011 से काम ठप है।

भारत पर प्रभाव –

- भारत के लिए, दक्षिण एशिया में अपनी परिधि के साथ चीन का अतिक्रमण चिंता का एक प्रमुख स्रोत रहा है।
- क्योकफ्यू बंदरगाह के निर्माण के माध्यम से, चीन भारत के पूर्वी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि भारत पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर (पश्चिम में) एवं श्रीलंका के हंबनटोटा (दक्षिण में) में चीन की उपस्थिति से सावधान है। क्योकफ्यू एक 'दोहरी उपयोग' सुविधा के रूप में प्रयोग हो सकता है – यानी सैन्य एवं साथ ही वाणिज्यिक उपयोगों के लिए।

- चीन के लिए क्योकफ्यू में एक बंदरगाह शंघाई या गुआंगजौ के बजाय इसके युनान प्रांत में बने सामानों का निर्यात करना आसान बना देगा। भारत को बंगाल की खाड़ी में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना होगा।
- म्यांमार में चीन की बढ़ती उपस्थिति का अर्थ भारत पर उन बाधाओं को माना जा सकता है जो म्यांमार के साथ सहयोग को गहरा करना चाहते हैं। इसका एक कारण यह भी रहा है कि भारत का पूर्वोत्तर उग्रवादियों से ग्रस्त है।
- यद्यपि नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में कई समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हाल के वर्षों में कदम उठाए हैं, फिर भी स्थिति को सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारत एवं म्यांमार ने एक दूसरे के साथ निकट सहयोग में अपनी सीमाओं के साथ कई सैन्य अभियान चलाए हैं। चीन के साथ आर्थिक एवं सशस्त्र हथियारों तथा अन्य प्रोत्साहनों के साथ आगे बढ़ रहे म्यानमार से, भारत–म्यांमार संबंधों पर दबाव आ सकता है।
- पश्चिमी देशों के दबाव में म्यांमार चीन के करीब होता प्रतीत आता है, बीजिंग देश को अपने प्रभाव में रखने का प्रयास कर सकता है, जैसा कि वह कंबोडिया एवं लाओस के मामले में करता आया है। कंबोडिया एवं लाओस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के भीतर बीजिंग के प्रमुख समर्थक रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि समूह दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर चीन की सख्त विरोधी मुद्राएं नहीं लेता है। म्यांमार के लाओस एवं कंबोडिया के साथ शामिल हो जाना आसियान को भीतर से कमजोर कर सकता सकता हैं।

अमेरिका ईरान के मध्य संघर्ष तथा भारत के उस पर परिणाम

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 इराक में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में उच्च रैंकिंग ईरानी सैन्य एवं खुफिया अधिकारी कासिम सोलीमनी सहित इराक में सक्रिय कई अन्य ईरान समर्थित अधिकारियों के साथ की हत्या कर दी।
- इसने देशों के बीच युद्ध के हालात को जन्म दिया तथा अमेरिका द्वारा दशकों के तनाव को अंत करने के लिए तेहरान के साथ किए गए परमाणु समझौते से खुद को बाहर निकाल लिया गया।
- इसके जवाब में, भारतीय नौसेना ने भी देश के व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए एवं किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 8 जनवरी 2020 को खाड़ी क्षेत्र में युद्धपोतों को तैनात किया।

मुद्दा –

- नवीनतम ईरान–अमेरिकी संकट की जड़ें 2018 तक जाती हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के साथ किए परमाणु समझौते से अलग चले गए।
- इसके बाद तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी अधिकारियों ने 13 जून 2019 को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में या उसके पास दो तेल टैंकरों पर हमला करने के लिए ईरान को दोषी ठहराया।
- 30 दिसंबर 2019 को, ट्रम्प प्रशासन ने मध्य पूर्व में 1,000 अतिरिक्त सैनिकों एवं अतिरिक्त सैन्य संसाधनों की तैनाती की घोषणा की एवं ईरान के कुलीन वर्ग बल के कमांडर कासम सोलेमानी की हत्या कर दी।
- सुलेमानी को देश के सैन्य, खुफिया अभियानों एवं सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी विश्वासपात्र माना जाता है।
- दूसरी तरफ, अमेरिका उसे एक आतंकवादी एवं दुनिया के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक के रूप में टैग करता था, वहां उसे सीरिया के गृह युद्ध में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल–असद की सहायता एवं इराक युद्ध के दौरान सैकड़ों अमेरिकियों की मौत का कारण बना।
- अब, ईरान ने घोषणा की है कि वह संयुक्त व्यापक योजना (जेसीपीओए) से पूरी तरह से हट जाएगा, जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है।
- इसे सबसे आक्रामक कार्रवाई के रूप में अनुमानित किया जा रहा है, जिसने इस क्षेत्र को खतरनाक त्रासदी में फसा कर अमेरिका एवं ईरान को युद्ध की संभावित स्थिति में डाल दिया।

वैश्विक परिदृश्य –

- इस पूरे प्रकरण में खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं, जो तेल के मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं, एवं पूर्व में अर्थव्यवस्थाएं, जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, तथा जिन्हें तेल की आवश्यकता है उसमें ही सबसे ज्यादा पीड़ित होंगी। यह न केवल एक क्षेत्रीय अराजकता, बल्कि एक बहुत बड़ी, वैश्विक अराजकता का कारण बनेगा।

- एक परिणाम के रूप में, वैश्विक विकास दर में गिरावट को देखा जा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आदि, आईएमएफ ने पहले ही इंगित किया है कि अमेरिकी–चीन व्यापार युद्ध ने इस वर्ष पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को 0.5 प्रतिशत तक कम कर दिया है।
- पश्चिम एशिया में तनाव मंदी के इस प्रतिशत में पापा करेगा। इस प्रकार, पश्चिम एशिया में तनाव के आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक हैं। हालाँकि, यह कहते हुए, यह बहुत संभावना नहीं है कि यू.एस. ईरान पर हमला करने का दुस्साहस करेगा।

भारत पर प्रभाव –

- पिछली दो तिमाहियों के लिए सकल घरेलू उत्पाद में पाँच प्रतिशत से नीचे की दर के साथ, एवं खुदरा मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशत के निशान के ऊपर जाने के साथ, देश में हालात को आर्थिक रूप से बदतर बना देने के लिए एक बाहरी झटका ही शेष था।
- भारत एवं ईरान सदियों से चली आ रही गहरी आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संबंधों को साझा करते हैं– उन्होंने 1947 तक 959 किलोमीटर की सीमा साझा की, इससे पहले कि यह ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा बन गई। जब तक कि उर्दू इसे खत्म नहीं कर दीया फारसी दिल्ली की अदालतों की भाषा हुआ करता थी।
- फारस की खाड़ी के देशों को भारत का निर्यात– ईरान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। भारत में इसका प्रमुख निर्यात तेल, उर्वरक एवं रसायन हैं, जबकि यह अनाज, चाय, कॉफी, बासमती चावल, मसालों एवं जैविक रसायनों का आयात करता है।
- अरब की खाड़ी में भारतीयों की नौकरियां खतरे में– भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोस माना जाता है, प्राथमिक चिंता पश्चिम एशिया में मौजूद 10 मिलियन भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा है। अधिक तनाव की अवस्था में वे भारत की ओर पलायन कर सकते हैं।
- पश्चिम एशिया से भारतीयों को 40 अरब डॉलर धन प्राप्त होता है।
- भारत के तेल की आपूर्ति पर प्रभाव– वृहद स्तर पर, स्थायी आधार पर कीमतों में हर डॉलर की वृद्धि से देश के आयात बिल में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर (लगभग 11, 482 करोड़ रुपये) प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी।
- अगला, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह मौद्रिक नीति के फैसले को संचालित करता है। इसलिए, कच्चे तेल की कीमत में कोई भी वृद्धिथोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की संख्या को कम करके प्रभावित करेगी।
- अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित हो तो महंगाई बढ़ सकती है– ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है जो एक रणनीतिक चोक बिंदु है जो बदले में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा।
- चाबहार बंदरगाह का विकास– यदि अमेरिका ईरान पर अधिक प्रतिबंध लगाता है तू वहां चाबहार बंदरगाह परियोजना पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, भारत को अमेरिका के साथ इसे रणनीतिक संबंध से तौलना होगा। भारत को यहां बहुत सावधानी से, अर्थात् ईरान के साथ एवं अमेरिका के साथ संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।
- तेल की कीमतों में रुझान को देखते हुए, यह संभावना है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी। घरेलू ईंधन की कीमतें भारत में पहले से ही 13 महीने के उच्च स्तर पर हैं, इसलिए आगे की बढ़ोतरी की स्थिति में, सरकार को ईंधन पर करों में कमी (केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क एवं राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित करों) पर विचार करने की आवश्यकता होगी, जो, राजस्व में सेंध लगा सकता है एवं राजकोषीय घाटे को अधिक कर सकता है।
- विमान उद्योग पर प्रभाव– अमेरिका ने भारत से एयरलाइनों को रद्द कर दिया है क्योंकि वे ईरान के ऊपर से गुजरते हैं जो हवाई क्षेत्र के उद्योग को प्रभावित करेगा।
- भारत को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भारत को निश्चित रूप से एक स्वतंत्र नीति रखनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके हितों को सर्वोपरि रखा जाए जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति एवं पश्चिमी शक्तियों एवं ईरान के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं, भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह –

- श्री ट्रम्प ने अच्छी तरह से कदमों को वापिस लिया एवं खाड़ी क्षेत्र को हिंसा एवं विनाश के चक्र में नहीं टकेला।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब संकट के राजनयिक समाधान के लिए प्रयाग चाहिए एवं परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के तरीके खोजने चाहिए जो खाड़ी में दीर्घकालिक शांति ला सकते हैं।

- ईरान को झगड़े को समाप्त करने के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को संभाल लेना चाहिए।
- भारत ने फिलिस्तीन पर इजरायल के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देने की भी मांग की है।

सांसदों की अयोग्यता संबंधी स्पीकर की शक्तियां तथा स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन– उच्चतम न्यायालय

समाचार –

उच्चतम न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) ने को सांसदों, सांसदों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर की शक्ति पर विचार करने के लिए कहा, क्योंकि अध्यक्ष भी एक राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यह भी सुझाव दिया कि सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की दलीलों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने की दो अहम घोषणाएं –

- सबसे पहले, तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य विधानसभा एवं संसद दोनों के वक्ताओं को असाधारण परिस्थिति के अस्तित्व को छोड़कर तीन महीने के भीतर सदस्यों के लिए अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर फैसला करना है। यह भी माना गया कि कार्यवाही में देरी होने पर अदालतों के पास हस्तक्षेप करने की शक्तियाँ हैं।
- दूसरा, अदालत ने संसद से सिफारिश की कि वह इन याचिकाओं को लेने के लिए स्पीकर की अयोग्यता शक्तियों को हटाने एवं एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन पर जोर देती है। इस सुझाव के लिए तर्क यह है कि स्पीकर हमेशा सत्ताधारी दलों से आते हैं एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिकाओं को संसद या विधानसभाओं के बाहर एक नए तंत्र (स्वतंत्र न्यायाधिकरण), एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी।

इस निर्णय के परिणाम –

- निर्णय, अक्सर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सदस्यों के आंदोलन को रोकने के उद्देश्य से विरोधी दलबदल कानून के कार्यान्वयन पर बार–बार विवादों के प्रकाश में, एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।
- विधान सभाओं के लिए इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
- इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू यह स्पष्टीकरण है की एक अदालत अयोग्यता प्रक्रिया में हस्तक्षेप कब कर सकती है। पीठ ने कहा कि संविधान, विधायक को याचिका पर निर्णय लेने से पहले स्पीकर की कार्रवाई से बचाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब यह है कि अदालत विधायक या सांसद को अयोग्यता कार्यवाही से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकती है। कानूनन अदालत चरित्र में अर्ध–न्यायिक – अनावश्यक रूप से विलंबित अयोग्यता कार्यवाही को रोक सकती है।
- विधानसभाओं के सामने समस्या यह है कि अध्यक्ष, सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते, अक्सर अयोग्य ठहराव की कार्यवाही में देरी करता है जिससे उनकी पार्टी की संभावनाओं को चोट पहुंच सकती है। निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के लिए तीन महीने का समय प्रतिबंध लगाकर इस समस्या को दूर किया गया।
- जब भी कोई अध्यक्ष अपने निर्णय में देरी करता है, तो विरोधी पक्षों को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा, जहाँ अध्यक्ष को यह बताना पड़ सकता है कि विलक्षण परिस्थिति के कारण क्या विलम्ब हुआ। यदि कोई नहीं था, तो अदालत तेजी से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे सकती है।
- इस प्रकार, प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया, स्पीकरों की अयोग्यता शक्तियों के हटाने की संसद की सिफारिश अत्यधिक लगती है।
- सभा के अंदर अध्यक्ष की स्थिति उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां संघीय संप्रभुता का आनंद लिया जाता है। यद्यपि प्रस्तावित स्वतंत्र न्यायाधिकरण में पूर्व न्यायाधीश उनके प्रमुख के रूप में होंगे, लेकिन यह केंद्र को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव देगा जहां अब तक उसका प्रभाव था ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र, ट्रिब्यूनल के प्रभारी की नियुक्ति में एक तरह से या दूसरी तरह से शामिल होगा ही। दूसरी और अध्यक्ष का चुनाव सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं।

अनुच्छेद 19

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह से स्थगित करना अपरिहार्य है एवं जम्मू–कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि वह सभी आदेशों की समीक्षा करें।
- अदालत ने सरकार को जम्मू एवं कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के अपने आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया, अदालत ने केवल यह घोषणा करने के लिए खुद को सीमित कर दिया कि इंटरनेट पर भाषण, अभिव्यक्ति एवं व्यापार का संचालन करना संविधान एवं उचित प्रतिबंधों के अधीन स्वतंत्रता मौलिक अधिकार हैं। इंटरनेट शटडाउन को मनमानी तरीके से नहीं किया जा सकता है एवं इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई विचार व्यक्त करने से इनकार कर दिया कि क्या ष्इंटरनेट तक पहुंचष् एक मौलिक अधिकार है।
- कश्मीर के लिए, अदालत ने बंद की वैधता का परीक्षण नहीं किया एवं इसके बजाय सरकार को आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
- इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए एवं आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- 2 साल पहले तक, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत बड़े पैमाने पर बंद लागू किए जाते थे। इसमें पुलिस एवं जिला मजिस्ट्रेट को लोगों की गैरकानूनी सभाओं को रोकने के लिए शक्तियां एवं ष्किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर रहने के लिए निर्देशित करनेष् की शक्तियां प्राप्त होती है।
- अगस्त 2017 में, केंद्र ने टेम्परारी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017 को प्रख्यापित किया। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 द्वारा इसे दिए गए अधिकार के तहत उसने ऐसा किया।
- ये नियम एक राज्य में केंद्रीय गृह सचिव या गृह विभाग के प्रभारी सचिव को शटडाउन आदेश जारी करने की शक्ति के कानूनी स्रोत का पता लगाते हैं।
- यह आदेश तब एक समीक्षा समिति को यह गए, जिसे 5 कार्य दिवसों के भीतर इसकी उचितता पर निर्णय लेना था।

2017 के नियमों के साथ क्या समस्याएँ हैं?

- 2017 के शटडाउन रूल्स में अपर्याप्त ओवरसाइट एवं सुरक्षा उपायों के कारण मनमाने ढंग से शटडाउन के आदेश हैं।
- वास्तव में, इंटरनेट शटडाउन के लिए एक विशिष्ट कानूनी आधार ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सामान्य शक्ति को विस्थापित करने के बजाय बढ़ाया है।
- 2017 के नियम उन परिस्थितियों को भी सूचीबद्ध करते हैं जिनके तहत सरकार शटडाउन का आदेश दे सकती है। इनमें सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति, या सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

नियमों का पालन करने पर फैसले क्या कहता है? –

- 2017 के नियम एक ष्सार्वजनिक आपातकालष् या ष्सार्वजनिक सुरक्षा के हित मेंष् होने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के लिए पालन की जाने वाली एकमात्र प्रक्रिया है।
- सस्पेंशन रूल्स के तहत एक आदेश जारी करने का सक्षम अधिकारी, सामान्य परिस्थितियों में, गृह मंत्रालय का सचिव होगा। नियम यह भी कहते हैं कि यदि पुष्टि एक सक्षम प्राधिकारी से नहीं होती है, तो आदेश 24 घंटे की अवधि के भीतर मौजूद रहेंगे।

इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित व्यक्ति क्या कर सकता है?

- एक व्यक्ति आदेशों को विशेष रूप से चुनौती दे सकता है जो आनुपातिकता के आधार पर अदालत में लोगों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को प्रभावित करता है।
- जबकि निलंबन आदेश हमेशा न्यायिक समीक्षा के अधीन थे, सार्वजनिक डोमेन में ऐसे आदेशों की उपलब्धता की कमी ने अदालतों के समक्ष ऐसी चुनौतियों को रोका। अदालत ने यह भी फैसला दिया कि सरकार लॉजिस्टिक असुविधा का हवाला देते हुए इस तरह के आदेशों को प्रकाशित करने से इनकार नहीं कर सकती।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम असंतोष – एक जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक

समाचार –

- पिछले कुछ दिनों में, राष्ट्र ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सी एए) एवं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन सी आर) के खिलाफ व्यापक विरोध देखा। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) ने असंतोष को ष्एक जीवंत लोकतंत्र का प्रतीकष् के रूप में मान्यता दी थी।

डिसेंट एवं उसके महत्व को समझना –

- डिसेंट एक धारणा या एक प्रचलित विचार या एक इकाई के विरोध का एक भाव या दर्शन है। एक नागरिक को पीड़ित के डर के बिना असंतोष करने का अधिकार है – जब तक कि इस तरह के असंतोष के कारण अमानवीय या असंवैधानिक कार्रवाई नहीं होती है। असंतोष का अधिकार संविधान में निहित अभिव्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।
- विरोध किसी भी प्रगतिशील लोकतंत्र के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

असंतुष्ट मामलों में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन –

- लोकतंत्र में असंतोष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ष्असंतोष लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व हैष्।
- भीमा–कोरेगांव हिंसा में, ऐसे व्यक्ति जोआवाज उठाते हैं सत्ता के गलियारों में अलोकप्रिय हो सकते हैं किंतु वह भी स्वतंत्रता के हकदार हैं तथा उन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई है,। विरोधएक जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। विरोध के कारणउन लोगों को सताया नहीं जा सकतीं जो अलोकप्रिय मुद्दों को उठाते हैं।
- खड़क सिंह मामले में, एक पुलिसकर्मी की की निगरानी में किया गया कोई आंदोलन मुक्त आंदोलन नहीं है इस तरह तो पूरा देश ही उसका जेल है। भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है एवं ष्व्यक्तिगत संवेदनशीलताष् के आधार पर असंतोष किया जा सकता है। ना तो जीवन एवं नाही स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदत्त इनाम है।
- श्रेया सिंघल फैसले में, संरक्षित एवं निर्दोष भाषण पर ष्अस्पष्ट आधारों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है कि यहष् भाषण घोर आक्रामक ष्याष् झुंझलाहट या असुविधा का कारण बनता है। किसी एक को हो रही नाराजगी या असुविधा दूसरे पर समान प्रभाव नहीं डाल सकती है।
- प्री–मैरिटल सेक्स केस– नागरिकता के सामूहिक जीवन को बनाए रखने के लिए विचारों एवं विचारों का मुक्त प्रवाह आवश्यक है। एक सूचित नागरिक सार्थक शासन के लिए एक पूर्व शर्त है।

विरोध पर कहे गए प्रसिद्ध उद्धरण

- झूठ एवं लालच के विरोध में तथा ईमानदारी, सत्य तथा अन्याय के प्रति दया के लिए आवाज उठाने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। यदि सभी लोग ऐसा करेंगे तो यह विश्व बदल जाएगा।
  – **विलियम फॉकनर**
- खामोशी उस समय कायरता बन जाती है जब बोलना और उसके अनुसार कार्य करना आवश्यकता होता है। – **महात्मा गांधी**
- बिना विवाद, बिना आलोचना कोई प्रशासन कोई देश सफल नहीं हो सकता और कोई गणतंत्र अपना अस्तित्व बचाकर नहीं रख सकता। – **जएफ कैनेडी**
- राष्ट्र की शक्ति को उसके नागरिकों की राय की समानता या देश भक्ति के आधार पर नहीं नापा जा सकता। देश की असली शक्ति को तभी जाना जा सकता है जब वह अपने नागरिकों के क्रांतिकारी विचारों से डरा हुआ महसूस नहीं करता, जब वहां स्वतंत्र फ्रेश होती है जो सरकार की आलोचना कर सकती है एवं जब नागरिकों को विरोधी तर्कों को रखने के लिए अपने साथी नागरिकों के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसा होने पर ही हम सही मायनों में भाषण की स्वतंत्रता को पा सकते हैं और यही सही मायनों में स्वतंत्र होने का अर्थ है।
  – **न्यायमूर्ति एपी शाह**
- प्रशासन में अंधविश्वास सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है बड़ा दुश्मन है। – **अल्बर्ट आइंस्टीन**
- अन्याय पूर्ण नियमों को ना मानना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है। – **बेंजामिन फ्रैंकलीन**

- विज्ञान के क्षेत्र में, हजारों लोगों की और तार्किक शक्ति किसी एक व्यक्ति के तर्क से भारी होती है। – **गैलीलियो गैलीली**

- सभी स्वतंत्रता से ऊपर मुझे अपने विवेक से जानने बोलने एवं तर्क करने की स्वतंत्रता दो। – **जॉन मिल्टन**

- यदि इंसान एवं ईश्वर के बीच कोई संबंध है तो वह किसी नियम जिसे हर किसी ने त्याग दिया है के पक्ष में खड़े होने का साहस, है। – **अब्राहम लिंकन**

राजनीति का अपराधीकरण

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट नहीं देने के लिए कहने एक प्रस्ताव की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।
- बेंच ने एक संयुक्त प्रस्ताव लाने के लिए भी सहमति व्यक्त की जिसमें कहा गया कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां आपराधिक नेताओं के चक्कर में ना फंसे। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि संसद के 46 प्रतिशत सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड है।
- भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक संविधान पीठ के सितंबर 2018 के फैसले ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। फैसले ने संसद से गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने वाले नेताओं से राजनीतिक पार्टियों को शुद्ध करने के लिए एक ष्मजबूत कानूनष् लाने का भी आग्रह किया था।

कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य निर्देश –

- उम्मीदवार फॉर्म के सभी ब्यौरे भरे।
- इन फॉर्म्स में आपराधिक पृष्ठभूमि के ब्योरे को मोटा करके दर्शाया जाए
- उम्मीदवार अपनी राजनीतिक पार्टियों को अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों से अवगत कराएं
- राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों को वेबसाइट पर प्रकाशित करें
- उम्मीदवारों एवं राजनीतिक पार्टियों दोनों द्वारा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को नामांकन के पहले मुख्य अखबारों में प्रकाशित कराएं

अपराधीकरण क्या है?

- अपराधीकरण या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी को अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती करके राजनेताओं द्वारा आपराधिक गतिविधियों के उपयोग को संदर्भित करता है।
- एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक, 2014 की तुलना में 26 प्रतिशत की तुलना में 2019 में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से लगभग आधे का आपराधिक रिकॉर्ड है।
- चुनाव आयोग द्वारा विश्लेषण किए गए 539 विजयी उम्मीदवारों में से, 233 सांसदों के रूप में – या 43 प्रतिशत – पर आपराधिक आरोपों हैं।
- नई लोकसभा में, लगभग 29 प्रतिशत मामले बलात्कार, हत्या एवं महिलाओं के खिलाफ हत्या या अपराध के प्रयास से संबंधित हैं।
- इस प्रवृत्ति के लिए एक संभावित व्याख्या जाति, जातीय एवं धार्मिक है प्रत्याशी या पार्टी के आपराधिक रिकॉर्ड की तुलना में मतदाता के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना को पार्टी में चयन का आधार बनाया जाता है।
- अपराध एवं धन शक्ति के बीच संबंध– सबसे महत्वपूर्ण चालक चुनाव वित्त व्यवस्था के पतन एवं देश में कानून के शासन के कमजोर प्रवर्तन हैं जिन्होंने ष्आपराधिक राजनेताओं के लिए बाजारष् बनाया है।

कारण –

- हर चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां बिना किसी अपवाद के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं। भले ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिए गए निर्णय की बुराई करें लेकिन अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव जीततेहैं।
- ऐसा होने से लोग यह सोचने पर विवश होते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति लोगों को जो हथियार देती है वहां अक्षम लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं।
- जब हम किसी उम्मीदवार की जीत क्षमता को देखते हैं तो आपराधिकता एवं जीतने की संभावना के बीच स्पष्ट लिंक को और अधिक बल मिलता है।

- किसी भी यादृच्छिक उम्मीदवार के पास लोकसभा सीट जीतने के आठ अवसरों में से एक होता है, लेकिन आपराधिक आरोपों का सामना करने वाला उम्मीदवार के एक स्वच्छ उम्मीदवार की तुलना मेंउजीतने की संभावना दोगुनी होती है।
- राजनीतिक दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों ने इन अपराधियों या तथाकथित गुंडों के माध्यम से वोट खरीदने एवं अन्य नाजायज उद्देश्यों के लिए अत्यधिक व्यय किया है। राजनेताओं के साथ उनका संबंध राजनीति के अपराधीकरण के लिए आदर्श माहौल पैदा करता है।
- मतदाताओं में से अधिकांश सामान्य नागरिक हैं। उनमें से ज्यादातर व्यक्तिगत रूप से डरपोक एवं सामूहिक रूप से डरपोक हैं। उनका समर्थन हासिल करना भ्रष्टाचारियों के लिए आसान है।
- मतदाता, राजनीतिक दल एवं राज्य की कानून व्यवस्था सभी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। भारत में लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अच्छी गवर्नेंस दिए जाने में बहुत कम विश्वास है। यह राजनीति में अपराधीकरण को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता को मजबूर करती है।
- सुशासन – यह राजनीति के अपराधीकरण को जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार करता है।
- चुनाव में खड़े सजायाफ्ता अपराधियों के खिलाफ बने कानून इस प्रक्रिया को और प्रोत्साहित करते हैं। वर्तमान कानून के तहत, केवल उन लोगों को, जिन्हें कम से कम दो मामलों में दोषी ठहराया गया है, उम्मीदवार बनने से वंचित किया जाता है। यह चार्ज शीट वाले अपराधियों के लिए खुला मैदान छोड़ देता है, जिनमें से कई आदतन अपराधी या हिस्ट्रीशीटर हैं।
- समस्या की जड़ देश की खराब शासन क्षमता है। एक और, भारत में अत्यधिक प्रक्रियाएं हैं जो नौकरशाही को लोगों के सामान्य जीवन में खुद को सम्मिलित करने की अनुमति देती हैं तथा दूसरी और, यह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को करने में शोकपूर्ण रूप से असमर्थ है।
- राज्य की क्षमता जनता द्वारा मजबूत लोगों को प्राथमिकता देने का कारण बनती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस से निपट सकता है मुसीबत में पड़ने पर सरकारी बाबू से काम निकालना जानता है तथा उपचार के लिए किसी सरकारी अस्पताल में प्रवेश पाने में मदद कर सकता है।
- कभी–कभी ये राजनेता जातीय या धार्मिक समुदाय के हितों की सेवा करने का वादा करते हुए सांप्रदायिक तर्ज पर गठबंधन करते हैं।
- मतदाताय अपराधियों को रोकने से उल्टा उन्हें प्रोत्साहित करता है क्योंकि उसे आशा होती है कि उम्मीदवार अपने वादों को पूरा करने तथा निर्वाचन क्षेत्र के हितों को हासिल करने में समर्थ है।

राजनीति के अपराधीकरण के परिणाम –

- सबसे पहला बलिदान पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ–साथ शासन का होता है।
- भ्रष्टाचार तथा महंगे चुनाव प्रचार के कारण मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वाले लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं। ऐसे उम्मीदवार, जब निर्वाचित होते हैं, भविष्य के चुनावों के लिए जल्दी से जल्दी धन जुटाने के अलावा अपने खर्चों को वसूलना चाहते हैं, खासकर गठबंधन सरकारों के कार्यकाल में।

आगे का रास्ता –

- भारत के चुनाव आयोग (ई सी) के पास राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों के ऑडिट की शक्ति होनी चाहिए, या राजनीतिक दलों के वित्त को सूचना के अधिकार (आर टी आई) कानून के तहत लाया जाना चाहिए।
- आपराधिक राजनेताओं पर निर्भरता को कम करने के लिए मतदाताओं के लिए व्यापक शासन सुधार किए जाने चाहिए।
- राजनीतिक दलों द्वारा भी चुनाव खर्च पर एक सीमा होनी चाहिए एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के माध्यम से होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय चुनावी कोष या चुनावों की राज्य निधि की स्थापना की जानी चाहिए की जानी चाहिए जहां कोई भी दान कर सकता है एवं वहां से राजनीतिक दलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्त पोषित किया जाना चाहिए।
- चुनाव बॉन्ड तभी सफल हो सकते हैं जब किस व्यक्ति द्वारा किस पार्टी को धन दिया गया इसकी पारदर्शिता रखी जाए।

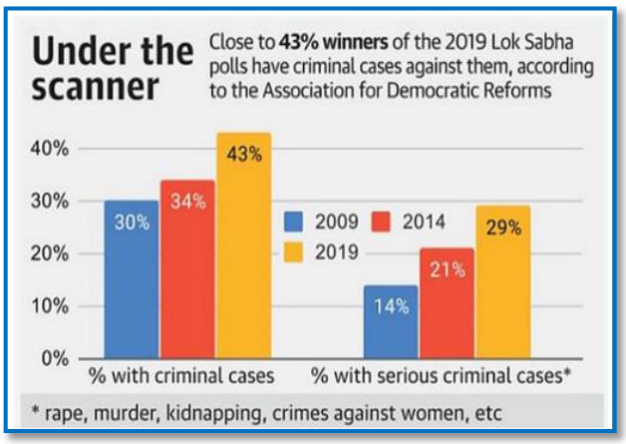

निष्कर्ष –

- आपराधिक प्रभाव की राजनीति को साफ करने की आवश्यकता को एक बार फिर से हरी झंडी दिखाई गई।
- अपराधीकरण की वेदी पर प्राथमिक बलिदान शासन की पारदर्शिता एवं जवाबदेही का होता है।
- भ्रष्टाचार तथा महंगे चुनाव प्रचार के कारण मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वाले लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं। ऐसे उम्मीदवार, जब निर्वाचित होते हैं, भविष्य के चुनावों के लिए जल्दी से जल्दी धन जुटाने के अलावा अपने खर्चों को वसूलना चाहते हैं, खासकर गठबंधन सरकारों के कार्यकाल में।

राज्यों ने अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

समाचार –

- केरल के पश्चिम बंगाल ने लोगों की चिंताओं को देखते हुए साहसिक कदम उठाए हैं, एवं एनपीआर अभियान को रोक दिया है। अब, केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी ए ए) 2019 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत एक याचिका दायर करेगी, जिससे यह केंद्र–राज्य विवाद बन जाएगा
- केरल, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी एवं पश्चिम बंगाल ने अपने–अपने राज्य विधानसभाओं में अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 32 के तहत सीएए की वैधता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं।
- दूसरी और छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जांच अधिनियम (एनआईए), 2008 के खिलाफ इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया एवं इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा कि एनआईए के पास राज्य पुलिसिंग मामलों पर कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए।

मुद्दा –

- पश्चिम बंगाल एवं केरल सरकारों ने एनपीआर से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है क्योंकि एनपीआर से संबंधित गतिविधियों के संचालन विवरण आम जनता के बीच आशंकाएं हैं।
- सीएए, जिसे 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, गैर–मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से भारत चले आए हैं।
- केरल इस अधिनियम के खिलाफ खिलाफ विधान सभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- इसने अधिनियम को निरस्त करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) में अनुच्छेद 131 के तहत एक याचिका भी दायर की है, क्योंकि अधिनियम अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, एवं अनुच्छेद के तहत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। भारत के संविधान के 25 एवं भारत में धर्मनिरपेक्षता की मूल संरचना।
- हालांकि, केरल, एक राज्य के रूप में, अनुच्छेद 256 के तहत, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने के लिए, संवैधानिक रूप से बाध्य है।
- इसने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2015, एवं विदेशियों (संशोधन) आदेश, 2015 को ष्भारत के संविधान को अल्ट्रा वायर्सष् करने एवं शून्य होने की घोषणा करने के निर्देश भी मांगे हैं।
- पासपोर्ट नियमों एवं विदेशी आदेश में संशोधन से धर्म के आधार पर वर्गीकरण का परिणाम होता है एवं वर्गीकरण ष्स्पष्ट रूप से एवं प्रकट रूप से भेदभावपूर्ण, मनमाना, एवं अनुचित है'।

पहली याचिका नहीं

- 60 वर्षों में यह दूसरी बार है जब किसी राज्य ने संसद–अधिनियमित कानून के कार्यान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
- 1961 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोल बेयरिंग एरिया (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 पारित करने वाले संसद के खिलाफ अनुच्छेद 131 के तहत अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसने केंद्र को राज्य सरकार द्वारा निहित या स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया है।

संविधान का अनुच्छेद 131 क्या है?

- अनुच्छेद राज्यों एवं केंद्र के बीच या राज्यों एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों पर मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में उच्चतम न्यायालय को निहित करता है।

- न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ है पहली बार किसी मामले की सुनवाई करने की शक्ति, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बिल्कुल विपरीत, जिसमें अदालत को निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा का ही अधिकार रहता है।
- अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र के विपरीत (जो शीर्ष अदालत को रिट आदि जारी करने की शक्ति देता है), अनुच्छेद 131 में अधिकार क्षेत्र अनन्य है, जिसका अर्थ है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है।

निष्कर्ष –

- इस सवाल पर विवाद के रूप में व्यवहार करने के बजाय कि क्या एक राज्य विधानसभा केंद्र सरकार के डोमेन के तहत एक मामले पर कानून पर सवाल उठाने में सक्षम है, केंद्र को मुख्य मुद्दे पर प्रतिबिंबित करना चाहिए– सीएए समानता के मानकों का उल्लंघन हो सकता है एवं धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत संविधान में निहित हैं।
- यह देखते हुए कि देश कानून में बदलावों पर कितनी गहराई से विभाजित है, केरल का उदाहरण केंद्र एवं राज्यों के बीच व्यापक टकराव के लिए मंच निर्धारित कर सकता है, जिन्होंने इस संबंध में केंद्र की नीति को प्रभावी करने के लिए अपनी असहमति व्यक्त की है।
- केंद्र को कमियों को समझने का प्रयास करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार का मुद्दा –

- यह अधिनियम 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मद्देनजर पेश किया गया था। अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देश की एकमात्र सही मायने में संघीय एजेंसी बनाता है, जो सीबीआई से अधिक शक्तिशाली है। यह एनआईए को भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों विवरण संज्ञान लेने एवं राज्य सरकार से अनुमति के बिना किसी भी राज्य में प्रवेश करने एवं लोगों की जांच करने एवं गिरफ्तार करने के लिए मुकदमा दायर करने की शक्तियां देता है।
- अपनी याचिका में, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि अधिनियम 'संविधान को अल्ट्रा वायर्स' एवं 'संसद की विधायी क्षमता से परे' है। राज्य के अनुसार, 2008 अधिनियम केंद्र को जांच के लिए एक एजेंसी बनाने की अनुमति देता है, जो राज्य पुलिस का एक कार्य है। 'पुलिस' संविधान की 7 वीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टित है।
- 2008 अधिनियम केंद्र की "अक्षम, विवेकाधीन एवं मनमानी शक्तियों" का हवाला देते हुए, पुलिस के माध्यम से जांच कराने की राज्य की शक्ति को छीन लेता है। अधिनियम के प्रावधान केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य किसी भी रूप में समन्वय एवं पूर्व शर्त की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, जबकि राज्य संप्रभुता के विचार को स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में परिकल्पित किया गया है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

समाचार –

- गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह, का गठन किया गया था, जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।
- अब, भारतीय दंड संहिता में नए प्रावधानों को शामिल करने वाली सिफारिशों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा।
- समूह को पहली बार अक्टूबर 2018 में #MeToo आंदोलन के बाद गठित किया गया था जिसके बाद कई महिलाओं ने अपने दर्दनाक अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। जुलाई 2019 में गृह मंत्री के अधीन इसका पुनर्गठन किया गया।
- समूह के अन्य सदस्य वित्तमंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर मौजूदा कानूनों के लिए समूह द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों में आईपीसी में आमूल–चूल परिवर्तन हैं।
- 1860 में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई आईपीसी को फिर से बनाने के लिए गृह मंत्रालय एक अन्य परियोजना पर भी काम कर रहा है।
- आईपीसी एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआर पीसी) के विभिन्न अनुभागों में संशोधन करने के लिए कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, कानूनी प्रकाशकों एवं राज्य सरकारों से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआर एंड डी) द्वारा परामर्श किया जा रहा है।
- जब आईपीसी में बदलाव किए जाते हैं, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर धारा में संशोधन किया जाएगा। कानूनों को समय के साथ बदलने की जरूरत है, एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को आईपीसी संशोधनों के माध्यम से भी संबोधित किया जाएगा।

CHAHAL ACADEMY

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2013 में यौन उत्पीड़न महिला एवं कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम का निर्देशन किया था, जो सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों एवं असंगठित क्षेत्र पर लागू था।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न –

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एवं यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं निवारण के लिए एवं इसके साथ या चिकित्सीय मामलों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
- 2013 अधिनियम में सदस्यों को कानूनी पृष्ठभूमि की आवश्यकता होने पर निर्दिष्ट किए बिना आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को एक सिविल कोर्ट की शक्तियां देने जैसी कमियां थीं।
- इसने गैर–अनुपालन के लिए नियोक्ताओं पर केवल। 50,000 का जुर्माना लगाया। अधिनियम ने कहा कि नियोक्ता महिला को सहायता प्रदान करेगा यदि वह आईपीसी के तहत 'जांच के समापन के बाद अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना', चुनती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन एवं उसके जीवन के अधिकार एवं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने एवं किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार के साथ यौन उत्पीड़न का परिणाम है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय पर यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है।
- वास्तव में, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा एवं गरिमा के साथ काम करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं उपकरणों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन, जिसे 25 जून, 1993 को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार द्वारा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, धारा 509 आईपीसी (किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के लिए शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत पंजीकृत 'कार्यालय परिसर' में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या 2017 एवं 2018 क्रमशः 479 एवं 401 थी।

- शहरों में, 2018 में दिल्ली (28), बेंगलुरु (20), पुणे (12) एवं मुंबई (12) में सबसे अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की कुल संख्या, आश्रय गृह एवं अन्य 20,962 थे।
- प्रस्तावित संशोधन काफी हद तक 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे, जिस पर 2013 अधिनियम आधारित था।
- इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की गतिविधियों को रोकने या रोकने के लिए नियोक्ता को जिम्मेदार बनाया।
- जीओएम ने न्यायमूर्ति जे.एस. की रिपोर्ट की भी जांच की। वर्मा समिति जो 2012 में निर्भया गैंगरेप एवं हत्या के मद्देनजर गठित की गई थी।
- वर्मा समिति ने आईसीसी के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की सिफारिश की थी, क्योंकि घर में ऐसी शिकायतों से निपटना महिलाओं को बाहर आने से हतोत्साहित कर सकता है।

न्यायमूर्ति वर्मा समिति –

- इसमें जे.एस. वर्मा एवं अन्य न्यायविद, जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित आपराधिक कानूनों में संभावित संशोधनों को देखने के लिए 23 दिसंबर 2012 को गठित किए गए थे।
- हालांकि, 2013 की शुरुआत में, समिति ने लिंग कानूनों पर अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए परिवर्तन संबंधी आंतरिक शिकायत समिति (प्ब्ब्) के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी, जो आंतरिक कार्यवाही के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए था। महिलाओं को शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित कर सकता है।
- समिति ने यौन उत्पीड़न बिल को ष्असंतोषजनकष् कहा एवं यह विशाखा दिशानिर्देशों की भावना को नहीं दर्शाता है।

सामान्य अध्ययन III

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रबंधन)

पारस्परिक क्षेत्र (रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज)

समाचार –

- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44। के तहत एक रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरीजष् घोषित किया। इसने संयुक्त अरब अमीरात की अदालतों की सूची को भी उसी खंड के तहत ष्श्रेष्ठ न्यायालय सुपीरियर कोर्टष् घोषित किया।
- जिससे भारतीय न्यायालयों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के सिविल कोर्ट के आदेशों के निष्पादन में सुविधा होगी।
- दुबई के अलावा, अन्य देशों को रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरीजष् घोषित किया गया है– यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड्स (नीयू सहित) एवं पश्चिमी समोआ, हांगकांग के ट्रस्ट क्षेत्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, अदन।

'पारस्परिक क्षेत्र रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज' क्या है एवं श्रेष्ठ न्यायालय सुपीरियर कोर्ट क्या हैं?

- अनिवार्य रूप से, एक पारस्परिक क्षेत्र में कुछ नामित न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भारत में एक जिला न्यायालय में संबंधित डिक्री की एक प्रति दाखिल करके लागू हो सकते हैं।
- जिन न्यायालयों को निर्दिष्ट किया गया है उन्हें सुपीरियर कोर्ट 'कहा जाता है।

सीपीसी की धारा 44 क्या है?

- धारा 44 ए, जिसका शीर्षक है, ष्पारस्परिक क्षेत्रों में न्यायालयों द्वारा पारित किए गए फरमानों का निष्पादनष् भारत में न्यायालयों के फरमानों के निष्पादन के विषय पर कानून प्रदान करता है एवं इसका उल्टा भी।
- दूसरे शब्दों में, अब, सुपीरियर के रूप में पहचाने जाने वाले यूएई न्यायालयों के नागरिक एवं वाणिज्यिक न्यायालय के आदेशों को अब भारत में जिला अदालतों के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

यूएई की कौन सी पोर्ट्स अब सुपीरियर कोर्ट है

फेडरल कोर्ट्स – फेडरल सुप्रीम कोर्ट, अमीरात, आबू धाबी, शारजाह, अजमान, उम्र अल वन, पुजारा की फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोट्स

लोकल कोर्ट्स – अबू धाबी जुडिशल डिपार्टमेंट दुबई कोट्स रास अल खेमा जुडिशल डिपार्टमेंट कोट्स आफ आबू धाबी ग्लोबल मार्केट एंड कोट्स ऑफ दुबई इंटरनेशनल फाइनेंसियल सेंटर।

क्यों महत्वपूर्ण कदम है?

- माना जाता है कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच फरमानों को लागू करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगा।
- यह कदम यूएई एवं भारत के बीच नागरिक एवं वाणिज्यिक मामलों में सहयोग से संबंधित 1999 के समझौते का एकमात्र शेष हिस्सा था।
- यूएई में भारतीय प्रवासियों को अब यूएई में एक नागरिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर अपने गृह देश में सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पाएगा। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि यह कदम वित्तीय एवं तलाक के मामलों में सिविल फैसले के निष्पादन में एक गेम चेंजर होगा।
- यह उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी होगी जो बैंकों से भारी कर्ज लेने के बाद भारत भाग जाते हैं। इससे पहले, यदि आरोपी भारत भाग जाता था तो अधिकांश बैंकों एवं व्यक्तियों को अपना पैसा वसूल करना मुश्किल हो जाता था।
- अब, वे दस्तावेजों के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के बाद यूएई अदालत के आदेश भारत में जिला अदालतों से सीधे निष्पादन की मांग कर सकते हैं।

अमेरिका, चीन व्यापार समझौते के प्रथम चरण पर हस्ताक्षर किए

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने एक व्यापार सौदे के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों द्वारा कुछ टैरिफ को वापस लिए जाने एवं अमेरिकी उत्पादों की चीनी में खरीद के बढ़ने की उम्मीद है तथा जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच 18 महीने से चल रहे व्यापार युद्ध को विराम मिलेगा।

- अमेरिका एवं चीन के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार सौदे को ऐतिहासिक करार दिया गया है, क्योंकि इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच वार्ता के निलंबन के कई महीनों एवं कठिन वार्ताओं के लगभग एक वर्ष से अधिक के समयसमापन होगा। यह एक परिवर्तनकारी सौदा है जो दोनों देशों को बहुत लाभ पहुंचाएगा।
- व्यापार सौदे के पहले चरण में बौद्धिक संपदा (आईपी) संरक्षण एवं प्रवर्तन, जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अमेरिकी कृषि का नाटकीय विस्तार, अमेरिकी वित्तीय सेवाओं के लिए बाधाओं को दूर करना, मुद्रा हेरफेर को समाप्त करना, अमेरिका–चीन व्यापार संबंध एवं प्रभावी विवाद को शामिल करना शामिल है।
- अमेरिका ने अतिरिक्त अमेरिकी डॉलर के आया तो पर टैक्स लगाने की योजना को खारिज कर दिया है तथा इसे आधा कर दिया है।
- जब तक व्यापार समझौते के दूसरे चरण पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक चीन पर दंडात्मक शुल्क लागू रहेगा।
- चीन ने 2017 में खरीद में 186 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेसलाइन से ऊपर, दो वर्षों में कम से कम 200 अमरीकी डालर के अतिरिक्त अमेरिकी कृषि उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करेगा।
- इसमें अतिरिक्त ऊर्जा खरीद में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अतिरिक्त विनिर्माण में 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर, खरीद, कृषि उत्पादों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर एवं सेवाओं में 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर शामिल है।
- लेकिन यह सौदा संरचनात्मक आर्थिक मुद्दों जिन्होंने व्यापार संघर्ष को बढ़ाया है को संबोधित करने में विफल रहा, टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया एवं इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया।
- यह विवाद के मूल मुद्दों को हल करने में भी विफल रहा, जिसमें औद्योगिक सब्सिडी, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए समर्थन, साइबर चोरी एवं व्यापार एवं प्रौद्योगिकी में अन्य प्रथाएं शामिल हैं।

क्या इससे भारत की अमेरिका एवं चीन दोनों के साथ अपनी भागीदारी को गहरा करने की योजनाएँ प्रभावित होंगी?

- सबसे पहले, यह अमेरिका एवं चीन के बीच एक लंबे व्यापार युद्ध को समाप्त करने की शुरुआत है। अमेरिका का फैसला आंशिक रूप से खिलौनों या सेल–फोन जैसे उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए अपने नियोजित निर्णय को रद्द करने के लिए है। समझौते के कारण मौजूदा टैरिफ में जहां कमी देखी गई है, वहीं 7.5 प्रतिशत टैरिफ दर अभी भी बनी हुई है।
- इसके अलावा, उत्पादों के एक बड़े समूह पर अभी भी उच्च शुल्क लगा हुआ है जो दोनों देशों द्वारा व्यापार युद्ध के हिस्से के रूप में लगाए गए थे। अमेरिका में आयात होने वाले चीनी सामानों पर + 250 बिलियन का 25 प्रतिशत टैरिफ रहता है एवं 100 बिलियन डॉलर से अधिक के सामान पर चीन का प्रतिशोधी टैरिफ भी बना हुआ है। जब तक दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है, तब तक बोर्ड भर में टैरिफ में काफी कमी आती है, भारत के लिए अवसर बरकरार हैं।
- दूसरी बात यह है कि इस आंशिक रोलबैक के बावजूद, यह कहने के लिए 25 प्रतिशत से, 10 प्रतिशत एवं पूर्ण रोलबैक नहीं होने की संभावना है, जो भारत के लिए कुछ अवसरों को छोड़ देता है। भारत अमेरिका–चीन के झगड़े को केवल एक अन्य व्यापार अवसर के रूप में नहीं देख रहा था बल्कि निवेश को आकर्षित करने के लिए देख रहा था।
- निवेश पहले से ही हमारे देश में होने लगा है। चीनी कंपनियां, जिनका मुख्य बाजार अमेरिका है, वे अब भारत में निवेश के लिए आ रही हैं क्योंकि उन्हें 10 प्रतिशत भी लगता है टैरिफ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को दूर कर सकता है।
- वे भारतीय छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमों में निवेश करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें (चीनी) लगता है कि यदि कुछ पूंजी या प्रौद्योगिकी उनके अंदर संचारित की जाए तो भारतीय छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमों के पास ऐसे आदेशों को निष्पादित करने का लचीलापन है।
- लुधियाना एवं कोयम्बटूर जैसे छोटे औद्योगिक शहर, विशेष रूप से इंजीनियरिंग में अपनी प्रगति के कारण, ऐसे निवेशों के केंद्र बिंदु हैं।
- लेकिन, यदि कठिन बातचीत वाले समझौते पहले चरण से आगे बढ़ जाते हैं एवं दोनों देशों द्वारा इसे मन से लागू किया जाता है, तो भारत भावनाओं एवं विश्व व्यापार के प्रदर्शन में समग्र सुधार से लाभान्वित हो सकता है।

आपराधिक मामलों में आंकड़ों के निवेदन के संशोधित दिशा–निर्देश

समाचार –

- गृह मंत्रालय ने किसी भी आपराधिक जांच में डेटा अनुरोध कैसे संसाधित किए जा सकते हैं, ताकि आपराधिक मामलों में विदेशी देशों से कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को कारगर बनाया जा सके, के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- इससे पहले, केंद्र ने लोकसभा में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया था जिसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी एवं इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
- अब, मंत्रालय ने आपराधिक मामलों में विदेशों से कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया, मसौदा तैयार करने एवं प्रसंस्करण पत्रों पर निर्देश जारी करने, आपसी कानूनी सहायता अनुरोध एवं समन, नोटिस एवं अन्य न्यायिक दस्तावेजों की सेवा को कारगर बनाने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
- मंत्रालय के अनुसार, किसी व्यक्ति के ई–मेल खाते विवरण जानकारी प्राप्त करने से पहले, विदेशी सर्वर पर होस्ट किया जाता है देशों, जांच एजेंसियों को यह स्थापित करना होगा कि यह एक अपराध है। अधिकांश मध्यस्थ एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, याहू !, ट्विटर एवं यूट्यूब के सर्वर भारत से बाहर हैं।
- मंत्रालय ने कहा कि यह दिखाना पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी के पास एक ई–मेल खाता है क्योंकि ष्खाते की जांच होने वाले अपराध के साथ कुछ संबंध होना चाहिएष् एवं यह ष्सभी जांच प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम कानूनी मानकष् था।

डेटा संरक्षण –

- राज्यों एवं अन्य एजेंसियों को जारी किए गए दिशानिर्देशों में, मंत्रालय ने ष्डेटा संरक्षणष् पर जोर दिया क्योंकि यह साइबर अपराधों एवं डिजिटल साक्ष्य से जुड़े लोगों की जांच की कुंजी है।
- जी–8 देशों का 24/7 नेटवर्क एक ऐसा चौनल था जिसका उपयोग वास्तविक समय में डेटा को संरक्षित करने के लिए अनुरोध करने के लिए किया जा सकता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पलटने से पहले डिजिटल डेटा के तत्काल संरक्षण अनुरोध करने की अनुमति देता है।
- इसलिए, सहायता प्राप्त करने के पारंपरिक तरीकों को बढ़ाने एवं पूरक करने के लिए (लेकिन प्रतिस्थापित नहीं), जी 8 ने नेटवर्क बनाया है।
- डेटा के लिए अनुरोध सेवा प्रदाता या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जो जी –8 24/7 नेटवर्क के संबंध में भारत में संपर्क बिंदु है, को भेजा जा सकता है।
- अनुरोध किए गए देश को उस समय अवधि को भी बताना होगा जिसमें डेटा की आवश्यकता है। अनुरोधित देश द्वारा इस अवधि को सहमति दी जानी चाहिए। हस्तांतरित डेटा को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक अवधि से अधिक समय तक नहीं रखा जाएगा जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है एवं या तो अनुरोधित देश में वापस लौटा दिया जाएगा या निर्दिष्ट अवधि के अंत में हटा दिया जाएगा।

आई4सी एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल

समाचार –

गृह मंत्रालय (एचएम) ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का उद्घाटन किया एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी समर्पित किया। यह अत्याधुनिक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)

- आई4सी स्थापित करने की योजना को व्यापक एवं समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए 415.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी।
- इसके सात घटक हैं।
  1. नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (टीएयू
  2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
  3. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी)
  4. साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट
  5. राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र
  6. राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला (एन सी एफ एल) पारिस्थितिकी तंत्र
  7. संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच
- 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्रशासित प्रदेशों) ने अपने संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

- यह एक नागरिक–केंद्रित पहल है जो पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी। सभी साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक्सेस किया जाएगा।
- यह पोर्टल 30 अगस्त 2019 को पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था एवं यह महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, रेप एवं गैंग रेप से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी साइबर अपराधों को दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

आगे की राह –

- एमएच ए व्यापक एवं समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने एवं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- अपने सफल समापन के बाद, यह नया लॉन्च किया गया पोर्टल मामलों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में सुधार कर सकता है एवं अभियोजन में सफलता में सुधार करेगा एवं वित्तीय अपराधों एवं सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे कि पीछा करने एवं धमकाने जैसे विशिष्ट अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह पोर्टल समन्वित एवं प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों, जिलों एवं पुलिस स्टेशनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करेगा।
- ष्भविष्य में, यह पोर्टल साइबर क्राइम से बचाव एवं पोर्टल पर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को स्वचालित इंटरैक्टिव सहायता प्रणाली के लिए चौटबॉट प्रदान करेगा।ष

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग एवं भारी बाढ़

समाचार –

ऑस्ट्रेलिया भर में जंगलों की आग ने 12 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि, देशी वनस्पतियों, हजारों जंगली जानवरों जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल है को नष्ट कर दिया है एवं निवासियों एवं पर्यटकों को विस्थापित करना पड़ा है। हालांकि, भारी बाढ़ एवं बारिश से कुछ राहत मिली है। लेकिन इससे स्थिति एवं अधिक खराब हो जाएगी एवं अब इसे वैश्विक हित को ध्यान में रखते हुए जलवायु आपातकाल घोषित करने की कवायद चल रही है।

विवरण –

- इस राष्ट्रव्यापी आग में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। आग ने हर राज्य को छुआ है, न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में हालात सबसे कठिन रहे में हालात सबसे कठिन रहे।
- आग घरों को झुलसा रही है और कस्बों को नष्ट कर रही है। लगभग 18 मिलियन एकड़ भूमि जल गई है – इसमें से अधिकांश बुशलैंड, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश के मूल वन्यजीवों का घर भी हैं।
- आग लगने से अकेले न्यू साउथ वेल्स में लगभग आधा अरब जानवर प्रभावित हुए हैं (नीदरलैंड से बड़ा क्षेत्र) एवं उनमें से लाखों संभावित रूप से मृत हैं। गुरु को छोड़कर सभी पक्षी, सरीसृप एवं स्तनधारी इससे प्रभावित हुए हैं। कीड़े एवं मेंढक उस संख्या में शामिल नहीं हैं।
- हालांकि, भारी बारिश ने क्वींसलैंड एवं एनएसडब्ल्यू के तटीय क्षेत्रों को भिगो दिया है।

जंगल की आग क्या होती है?

- जंगल की आग ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण का एक आंतरिक हिस्सा हैं। जंगल की आग आमतौर पर धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, लेकिन अत्यधिक गर्मी उत्पादन करतीहै। पेड़ों के ऊपरी भाग में लगी आग तेजी से बढ़ सकती है।
- ऑस्ट्रेलिया के कई देशी पौधे अग्नि प्रवण हैं एवं बहुत दहनशील हैं, जबकि कई प्रजातियां पुनरू उत्पन्न होने के लिए आग पर निर्भर हैं। स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों ने भूमि प्रबंधन उपकरण के रूप में लंबे समय तक आग का उपयोग किया है एवं इसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि को साफ करने एवं तीव्र, अनियंत्रित आग से संपत्तियों की रक्षा के लिए किया जाता है।
- इससे जानमाल का नुकसान एवं संपत्ति को नुकसान होता है।

जंगल की आग के कारण –

- जंगल में जमा होने वाली छाल, पत्ती के कूड़े एवं छोटी शाखाएं इत्यादि आग के लिए ईंधन का कार्य करते हैं सामान्यतः ईंधन जितना अधिक होगा आग उतनी ही अधिक गर्म एवं होगी। केंद्रित एवं सघन इंधन में गहन किंतु बिखरे हुए ईंधन की तुलना में आग अधिक तेजी से फैलती है।

- वर्षा के बाद का समय एवं वर्षा की मात्रा जंगल की आग के खतरे का आकलन करने का महत्वपूर्ण कारकहै। अक्सर सूखा कारक, या नमी की कमी को जंगल की आग के संकेत के रूप में माना जाता है।
- हवा आग को फैलाने का काम करती है, इसे प्रज्वलन बिंदु पर लाती है एवं ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। हवा स्पोटिंग (हवा द्वारा फेंके गए अंगारों से नई आग का प्रज्वलन) द्वारा भी आग को तेजी से फैलाती है।
- तापमान जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आग लग जाएगी या जलती रहेगी
- शुष्क हवा नम हवा की तुलना में अधिक तीव्रता से आग को बढ़ाती है। पौधे कम आर्द्रता पर अधिक ज्वलनशील हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी नमी को अधिक आसानी से छोड़ते हैं।
- आग विकिरण एवं संवहन के माध्यम से अपने ईंधन स्रोत को पहले से गरम करती है। नतीजतन, आग तेजी से ऊपर की ओर जाती है और तेजी से नीचे आती है। ढलान की स्थिरता आग फैलने की दर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- जंगल की आग मानव गतिविधि एवं प्राकृतिक कारणों दोनों से उत्पन्न हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग लगने के कुल मामलों में से 50 प्रतिशत वज्रपात (बिजली गिरने) के कारण हुए हैं।

झाड़ियाँ कहाँ होती हैं?

- ऑस्ट्रेलियाई जलवायु आमतौर पर गर्म, शुष्क एवं सूखे की संभावना वाली है। वर्ष के किसी भी समय, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में जंगल की आग लगने की संभावना होती है। अधिकांश दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के लिए, खतरे की अवधि गर्मियों एवं शरद ऋतु है।
- जंगल में आग तब लगती है जब नीलगिरी के जंगलों में हल्के एवं भारी ईंधन लोड सूख जाते है, आमतौर पर निम्न वर्षा की अवधि के बाद।
- ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की स्थिति आवृत्ति एवं गंभीरता दोनों में काफी भिन्न है। जब आबादी वाले क्षेत्रों के पास लगती है तो अत्यधिक नुकसान होता है।

सरकार को समाज के अमूल्यष् सामुदायिक संसाधनों के स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं है

समाचार –

- हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैनी गाँव के कुछ स्थल ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ निजी उद्योगपतियों को हस्तांतरित किए गए थे।
- तब, सर्वोच्च न्यायालय ने एक दलील पर अपना फैसला दिया कि सरकार को संपत्ति के व्यावसायीकरण के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों एवं उद्योगपतियों को गांव के पानी के तालाब जैसे ष्अमूल्यष् सामुदायिक संसाधनों को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, जब देश के कई इलाके बारहमासी रूप से जल संकट एवं पीने के पानी की उपलब्धता का सामना करते हैं।
- वे संसाधन जो किसी समुदाय, गांव या कस्बे में सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए– तालाब, खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क आदि।
- राज्य पानी के मौजूदा स्रोत से ग्रामीणों को अलग नहीं कर सकता, भले ही वह उन्हें एक वैकल्पिक साइट प्रदान करने का वादा करता हो। ऐसा रवैया ष्पर्यावरण संरक्षण का एक यांत्रिक अनुप्रयोगष् को प्रदर्शित करेगा।
- इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मौजूदा जल निकाय को नष्ट करने के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त किया जाएगा और लोग वैकल्पिक स्थल तक पहुंचने के लिए मीलों लंबी यात्रा करने के लिए मजबूर होंगे।
- हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ऐसे गाँव के सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ये सामान्य क्षेत्र ग्राम समुदायों की जीवन रेखा हैं, एवं अक्सर विभिन्न कार्यों को बनाए रखते हैं एवं जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया लेकिन शीर्ष अदालत ने अधिकारियों एवं उद्योगपतियों को सभी अवरोधों को हटाने एवं तीन महीने के भीतर जल निकायों को बहाल करने का आदेश दिया।
- अनुच्छेद 21– जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यहां तक कि राज्य भी उस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता।

पूर्वोदय योजना

समाचार –

- प्रयुक्त संसाधनों के उपयोग द्वारा पूर्वी भारत के विकास को लेकर प्रधानमंत्री के विजन के अंतर्गत पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री ने 11 जनवरी 2020 को इंटीग्रेटेड स्टील हब की स्थापना के साथ मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की।
- इस हब का उद्देश्य लागत एवं गुणवत्ता दोनों के मामले में तेजी से क्षमता बढ़ाने एवं स्टील उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करना होगा। बढ़ी हुई स्टील क्षमता के अलावा, यह हब सर्वश्रेष्ठ–इन–क्लास मूल्य संवर्धन को बढ़ाने में भी मदद करेगा

क्षमताओं एवं सामाजिक–आथिक प्रगति।
भारत का पूर्वी क्षेत्र –

- भारत के पूर्वी राज्यों (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी आंध्र प्रदेश) में सामूहिक रूप से देश का 80 प्रतिशत लौह अयस्क, 100उप्रतिशत कोकिंग कोल एवं क्रोमाइट, बॉक्साइट एवं डोलोमाइट भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह क्षेत्र पारादीप हल्दिया विशाखापट्टनम कोलकाता इत्यादि जैसे बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण देश के बंदरगाह क्षमता का 30 प्रतिशत से अधिक साझा करता है एवं राष्ट्रीय जलमार्ग, राजमार्गों तथा रेल से पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
- इन लाभों के बावजूद, ये राज्य जीएसडीपी प्रति व्यक्ति एवं मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जैसे आर्थिक एवं विकास संकेतकों के मामले में वर्तमान में कई अन्य भारतीय राज्यों से पीछे हैं।

पूर्वी राज्य भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं?

- 5 पूर्वी राज्य एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं जहां इस्पात क्षेत्र उत्प्रेरक बन सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति, पहले से ही स्थापित इस्पात उद्योग के साथ मिलकर, पूर्वी भारत के लिए घरेलू इस्पात उद्योग में अपेक्षित वृद्धि, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एवं पूरे देश के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करती है।
- इस पूर्वी बेल्ट में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा लागू देश की 75 प्रतिशतसे अधिक वृद्धिशील स्टील क्षमता को जोड़ने की क्षमता है। यह अपेक्षित है कि 2030 तक 3130 तक 300 मीट्रिक टन क्षमता में से, 200 मीट्रिक टन अकेले इस क्षेत्र से आ सकता है, जो उद्योग 4.0 द्वारा संचालित है।
- अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा घोषित 100 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे के निवेश एवं प्रधान मंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सागरमाला, भारतमाला, आदि जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से बुनियादी ढाँचा निर्माण को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा।
- इस्पात उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद के साथ–साथ रोजगार में भी कई गुना प्रभाव है। ये राज्य विकास सूचकांक पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस्पात मंत्रालय ने इस क्षेत्र में एक एकीकृत स्टील हब की कल्पना की है, जो एक जीवंत इस्पात उद्योग विकसित करके पूर्वी भारत के परिवर्तन में उत्प्रेरक का काम करेगा।

लाभ –

- ऐसे विश्वस्तरीय स्टील हब का निर्माण पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए पूर्वोदय में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- इस तरह के हब के माध्यम से इस्पात उद्योग के विकास से क्षेत्र में 2.5 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित होने के साथ–साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे।
- विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स एवं यूटिलिटीज इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी क्षेत्रों में अन्य विनिर्माण उद्योगों के विकास को प्रेरित करेगा।
- यह शहरों, स्कूलों, अस्पतालों, कौशल केंद्रों आदि के रूप में सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ भी होगा। इस तरह के विकास, विशेष रूप से इन राज्यों में सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों में, पूर्वी के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत, इस प्रकार पूर्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करता है।पूरा खत्म हो गया है।

CHAHAL ACADEMY

कोयला खनन में एफडीआई

समाचार –

- पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनन नियमों को आसान बनाने के लिए दो कानूनों में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिससे कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सक्षम हो सके।
- 1973 में भारत के कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- 2018 में, सरकार ने निजी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी थी, लेकिन गैर–कोयला कंपनियां नीलामी में भाग नहीं ले सकीं।
- अगस्त 2019 में, सरकार ने खुली बिक्री के लिए कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा की, इसके अलावा संबंधित बुनियादी ढांचे, जैसे वॉशरियों का निर्माण किया।
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है।
- निवेश को आकर्षित करने एवं घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ईंधन के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध हटाते हुए अध्यादेश देश में कोयला खनन को गैर–कोयला कंपनियों के लिए खोल देगा।
- अध्यादेश के तहत, समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे के लिए कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का आवंटन प्रदान किया गया है। उन मामलों में पिछली मंजूरी की आवश्यकता है जहां केंद्र सरकार द्वारा ब्लॉकों का आवंटन किया गया था।
- सरकार 2023– 2024 तक एक अरब टन का उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

कोयला खदानों की नीलामी को कम करने के लिए कानूनों में संशोधन के लिए अध्यादेश –

1. कोयला एवं खनन क्षेत्र में विकास के नए क्षेत्रों को खोलने का इरादा।
2. यह खनन के लिए अस्पष्टीकृत एवं आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉकों की पेशकश करेगा।
3. यह निवेश करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कोयला खनन क्षेत्र में आने की अनुमति देकर इसे लोकतंत्रीकरण की और ले जाएगा।
4. यह भागीदारी के लिए प्रतिबंध एवं पात्रता मानदंड को हटाकर कोयला खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देगा।

लाभ –

- इससे खनन के लिए अस्पष्टीकृत एवं आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉकों की पेशकश होगी
- इससे एक कुशल ऊर्जा बाजार बनने, प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करने एवं कोयला आयात को कम करने में मदद होगी, जबकि राज्य के स्वामित्व वाले कोयला उद्योग लिमिटेड का एकाधिकार भी समाप्त होगा
- इसमें कहा गया है कि इस निर्णय से व्यापार करने में आसानी होगी एवं क्षेत्र में विकास के अवसर बढ़ेंगे।
- किसी को भी कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने की अनुमतिष् के साथ ष्अंतिम उपयोगकर्ताओं पर लगे प्रतिबंध दूर दिए गए हैं
- अध्यादेश उन खानों की नीलामी प्रक्रिया को मजबूत करेगा, जिनके पट्टे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रहे थे। निर्बाध स्थानांतरण की भी सुविधा होगी।
- कानून में संशोधन करने का कदम भारत को वैश्विक खननकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूमिगत खनन के लिए उच्च–तकनीकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा।
- इस्पात उद्योग को सस्ता कच्चा माल मिलेगा, जिससे श्प्रतिस्पर्धाश् में वृद्धि होगी।

एक उर्जा मंत्रालय की आवश्यकता

समाचार –

- वर्तमान ऊर्जा संयंत्र टिकाऊ भरोसेमंद स्थाई तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंचे देने का लक्ष्य रखता है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत में पांच विभिन्न ऊर्जा मंत्रालय कार्य करते हैं जिससे क्षेत्र में कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

विवरण –

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कोयला नवीनीकृत ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा सभी के अपने अलग मंत्रालय एवं विभाग है इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य स्तरीय मंत्रालय एवं विद्युत नियामक कंपनियां और डिस्काउंट है
- प्रत्येक प्रकार के विभिन्न नियम को का क्षेत्र में होना क्षेत्र में व्यापार के संचालन को मुश्किल बना देता है
- इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के दो नियामक हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बंस फॉर अपस्ट्रीम एक्टिविटीज तथा द पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फॉर डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज

- प्रस्तावित मंत्रालय में विभिन्न क्षेत्रों के पहलुओं को संभालने के लिए 6 एजेंसीज होंगी – एनर्जी रेगुलेटरी एजेंसी एनर्जी डाटा एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी एनर्जी प्लानिंग एंड टेक्निकल एजेंसी एनर्जी स्कीम्स इंप्लीमेंटेड एजेंसी एंड एनर्जी एजेंसी

चुनौतियां –

- वर्तमान समय में संयोजित एवं पूर्ण ऊर्जा नीति बनाना आवश्यक है जो इस प्रकार के जटिल वातावरण में ना केवल मंत्रालयों के बीच कोआर्डिनेशन की कमी बल्कि अच्छी गुणवत्ता के डेटा की कमी के कारण भी चुनौतीपूर्ण होगा
- कोई भी एजेंसी पूर्ण तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करती है इन एजेंसियों के लिए वास्तव में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय विभिन्न स्रोतों से या मंत्रालयों से प्राप्त डाटा के आधार पर सर्वे करता है
- ऊर्जा दक्षता के मोर्चे पर भी कोई एजेंसी कार्यरत नहीं है वास्तव में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस कार्य को देखता है
- परमाणु ऊर्जा विभाग (डी) को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसका ऊर्जा के दायरे से परे प्रभाव है एवं इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं।

मुख्य सुझाव –

- केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में "2030 तक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आयात निर्भरता में कमी का रोडमैप" (2013) में कहा है कि "कई मंत्रालय एवं एजेंसियां वर्तमान में ऊर्जा से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन, समन्वय एवं इष्टतम संसाधन उपयोग की चुनौतियों को पेश करने में शामिल हैं। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास कमजोर हो रहे हैं।
- ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी (एनपी) में, नीति आयोग वकालत की है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (एमओपीएनजी), कोयला (एम ओ सी), नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एम एन आर) एवं मंत्रालयों को मिलाकर एक ऊर्जा मंत्रालय बनाया जाए। पावर (ओपी)।

उठाए गए कदम –

- अतीत में, इस सरकार के पास ग्राम विद्युतीकरण, एलईडी बल्ब वितरण (सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा न्ददंज श्रलवजप, या न्श्र।स।), बिजली क्षेत्र में सुधार (न्रूंस क्ष्ब्ड ेनतंदबम ल्वरंदं,) में डछत्म्, डवच् एवं डवब् के लिए एक ही मंत्री थे। या न्च।ल), कोयला ब्लॉक ई–नीलामी एवं कोयले की कमी को दूर करता है।
- यह ऊर्जा प्रशासन संरचना में सुधार के लिए राजनीतिक नेतृत्व के इरादे को प्रदर्शित करता है।
- जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के विलय से बनाया गया था। इस कार्रवाई का उद्देश्य पानी का एकीकरण करना है
- प्रबंधन कार्य, जल प्रबंधन के मुद्दों को समग्र रूप से मानते हैं एवं प्रयासों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हैं।
- यह ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण निर्णय था जब लगभग 600 मिलियन भारतीयों ने ष्उच्च से अत्यधिक पानी के तनावष् का सामना किया, जबकि 75 प्रतिशत घरों में अपने परिसर में पीने का पानी नहीं था।

आगे को राह –

- इस सरकार द्वारा कार्रवाई सही दिशा में एक कदम है, आगे एक लंबी सड़क है।
- ऊर्जा प्रशासन में सुधार पर एनईपी की सिफारिशों को स्वीकार करने एवं लागू करने के लिए मौजूदा नौकरशाही संरचना पर उनके कठिन प्रभाव को देखते हुए सावधानीपूर्वक पता लगाने की आवश्यकता होगी। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं पहुंच सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।
- ऊर्जा संक्रमण के इस युग में, यह केवल त्वरित एवं समग्र निर्णय लेने के साथ–साथ विभिन्न ईंधनों के लिए एक स्तर का खेल मैदान प्रदान करने के साथ हो सकता है, यह सब हो सकता है यदि एक मंत्रालय पूरे क्षेत्र को संभालता है।
- ऊर्जा का ऐसा एकीकृत मंत्रालय न केवल भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के साथ बनाए रखने में सक्षम होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए एक नेता के रूप में भी जारी रहेगा।
- ऊर्जा का एक एकीकृत मंत्रालय भारत को ऊर्जा पर एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा जो ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं पहुंच के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का अनुकूलन करने में सक्षम होगा।
- एक ही व्यक्ति के इन दोनों मंत्रालयों के प्रमुख होने से पारंपरिक एवं नवीकरणीय बिजली जनरेटर जैसे कि पावर बैलेंसिंग एवं ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग दोनों का सामना करने में मदद मिलेगी।

- जनरेटरों को क्वैब्डै द्वारा बकाए का भुगतान न करने के गर्म बहस वाले मुद्दे को भी प्रशासन में इस तरह के तालमेल के साथ हल किया जा सकता है।
- भारत सरकार ने पहले ही 2022 तक 5 गीगावॉट की अपतटीय क्षमता विकसित करने एवं 2030 तक 30 गीगावॉट का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत के विकास लक्ष्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ऊर्जा का एक एकीकृत मंत्रालय तस्वीर में आना चाहिए।

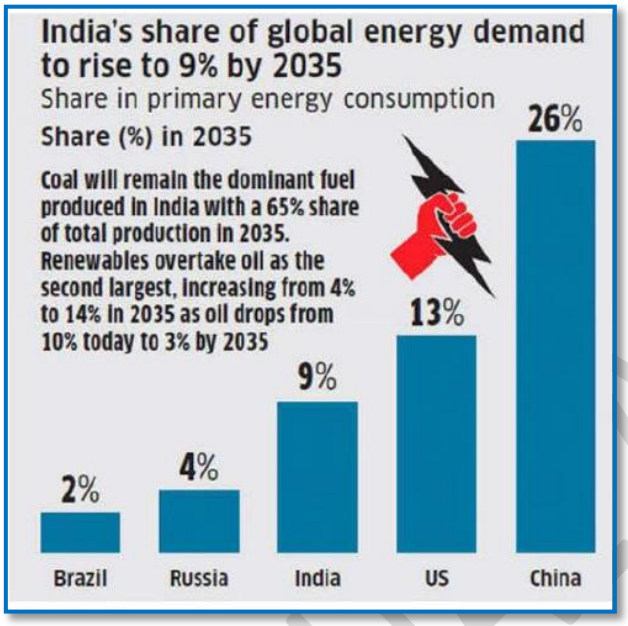

विश्व बैंक की अर्ध–वार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के पूर्वानुमान

समाचार –

- विश्व बैंक की अर्ध–वार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में मामूली वृद्धि होगी।
- उभरती, विकासशील अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 2020 में कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं तनाव की अवधि से बाहर निकली है।
- कर्ज में वृद्धि, उत्पादकता में गिरावट नीति निर्माताओं के लिए चुनौतियां है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी जारी की अपनी रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी के बीच है।
-
- इसने विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ ही विकास को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपायों के प्रति सतर्कता बरतते हुए मंदी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा।
- 2019 की जुलाई–सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत तक कम हो गई एवं उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2020 में विकास 5 प्रतिशत से नीचे रहेगा।

विश्व बैंक द्वारा वैश्विक पूर्वानुमान –

- विश्व अर्थव्यवस्था का विस्तार 2020 में 2.5 प्रतिशत, 2019 में 2.4 प्रतिशत से, व्यापार एवं निवेश धीरे–धीरे ठीक होने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को 1.6 प्रतिशत से 1.4 प्रतिशत के समूह के रूप में धीमा करने की उम्मीद है, मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर कमजोरी को दर्शाता है।
- यह पलटाव व्यापक–आधारित नहीं है। इसके बजाय, यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के एक छोटे समूह के बेहतर प्रदर्शन को मानता है, जिनमें से कुछ पर्याप्त कमजोरी की अवधि से उभर रहे हैं। उभरते हुए बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से लगभग एक तिहाई को कमजोर–अपेक्षा वाले निर्यात एवं निवेश के कारण इस साल मंदी का अनुमान है।
- यह कुछ उभरते एवं विकासशील देशों में एक अपेक्षित पुनर्प्राप्ति को दर्शाता है, जो एक कठिन 2019 था। लेकिन यह संयुक्त राज्य एवं कुछ अन्य विकासशील देशों में धीमी वृद्धि से ऑफसेट होगा।
- चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में आर्थिक विकास दोनों देशों द्वारा एक–दूसरे के सामान पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ से उत्पन्न अनिश्चितता से प्रभावित हुआ है।
- दो कारक जो उदारवादी मदद कर सकते हैं कि तेल की कीमतें कैसे प्रतिक्रिया देती हैं– तथ्य यह है कि तेल उत्पादकों के समूह ओपेक उत्पादन को प्रतिबंधित कर रहे हैं एवं उस कार्रवाई को उलट सकते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी शेल तेल उद्योग, जो वैश्विक बाजार में एक अपेक्षाकृत नया कारक है, तेल प्राप्त करने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि कर सकता है।
- सुस्त विकास की प्रवृत्ति का एक चिंताजनक पहलू यह है कि भले ही उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में सुधार अपेक्षित रूप से हो, लेकिन प्रति व्यक्ति विकास लंबी अवधि के औसत से नीचे रहेगा एवं आगे बढ़ेगा।

- गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत धीमी गति। वास्तव में उप–सहारा अफ्रीका में आय वृद्धि सबसे धीमी होगी।
- वह क्षेत्र जहां दुनिया के 56 प्रतिशत गरीब रहते हैं।
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऋण के तेजी से निर्माण विवरण भी चिंता है जो आर्थिक विकास पर बार–बार निराशा के साथ हुई है, जिससे ऋण का भुगतान करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करना कठिन हो सकता है।
- समग्र चित्र एक वैश्विक दृष्टिकोण से एक है जो कि घटाटोप एवं अत्यधिक अनिश्चित है।
- भारत में, जहां गैर–बैंक वित्तीय कंपनियों से ऋण में कमजोरी की आशंका है, वित्त वर्ष 2019ध्20 में विकास दर 5 प्रतिशत तक धीमी होने का अनुमान है, जो 31 मार्च को समाप्त होता है एवं अगले वित्तीय वर्ष में 5.8 प्रतिशत तक ठीक हो जाता है।

विश्लेषण एवं मुख्य सुझाव –

- पिछले 50 वर्षों में ऋण संचय की चार लहरें आई हैं। नवीनतम लहर, जो 2010 में शुरू हुई थी, ने चार के बीच ऋण में सबसे बड़ी, सबसे तेज एवं सबसे व्यापक–आधारित वृद्धि देखी है। जबकि मौजूदा निम्न स्तर की ब्याज दरें उच्च ऋण से जुड़े कुछ जोखिमों को कम करती हैं, पिछले
- व्यापक वित्तीय संकट के साथ व्यापक–आधारित ऋण संचय की लहरें समाप्त हो गईं।
- संकटों की संभावना को कम करने एवं उनके प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत विकल्पों को लागू करना चाहिए, जिसमें लचीला मौद्रिक एवं राजकोषीय ढांचे का निर्माण करना, मजबूत पर्यवेक्षी एवं नियामक व्यवस्थाओं को स्थापित करना एवं पारदर्शी ऋण प्रबंधन प्रथाओं का पालन करना शामिल है।
- वैश्विक दशकों में किसी भी समय की तुलना में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से उत्पादकता वृद्धि एवं अधिक व्यापक एवं धीमी गति से बढ़ी है। उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, मंदी निवेश में कमजोरी को प्रतिबिंबित किया है –
- एवं कार्यकुशलता हासिल करने के साथ–साथ क्षेत्रों के बीच घटते संसाधन वास्तविककरण को नियंत्रित करना। शिक्षा एवं संस्थानों सहित श्रम उत्पादकता के कई प्रमुख ड्राइवरों में सुधार की गति वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से धीमी या स्थिर हो गई है।
- कभी–कभी सामाजिक नीति के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, मूल्य नियंत्रण निवेश एवं विकास को प्रभावित कर सकते हैं, गरीबी के परिणामों को खराब कर सकते हैं, जिससे देशों को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है, एवं मौद्रिक नीति के प्रभावी आचरण को जटिल बना सकता है।
- विस्तारित एवं बेहतर लक्षित सामाजिक सुरक्षा जाल के साथ मूल्य नियंत्रण की जगह, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार एवं एक ध्वनि नियामक वातावरण खराब एवं समर्थक विकास हो सकता है।
- कम आय वाले देशों में मुद्रास्फीति 2019 में 25 प्रतिशत से 2019 के मध्य में 3 प्रतिशत के मध्य तक पहुंच गई है। गिरावट को अधिक लचीली विनिमय दर शासन, अधिक केंद्रीय बैंक स्वतंत्रता, कम सरकारी ऋण, एवं अधिक सौम्य द्वारा समर्थित किया गया है। बाहरी वातावरण।
- बढ़ते राजकोषीय दबाव एवं विनिमय दर के झटकों के जोखिम के बीच कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए, नीति निर्माताओं को मौद्रिक नीति ढांचे एवं केंद्रीय बैंक की क्षमता को मजबूत करने एवं अधिक कुशल नीतियों के साथ मूल्य नियंत्रण को बदलने की आवश्यकता है।
- व्यावसायिक जलवायु, कानून के शासन, ऋण प्रबंधन एवं उत्पादकता में सुधार के कदम निरंतर वृद्धि हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट डब्ल्यू ई एस पी) 2020

समाचार –

- विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं डब्ल्यू ई एस पी) 2020 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई थी।
- रिपोर्ट ने भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान मौजूदा वित्त वर्ष में 5.7 प्रतिशत (2019 में 7.6 प्रतिशत पूर्वानुमान से) घटाया एवं अगले वित्त वर्ष के लिए इसके पूर्वानुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत (पहले 7.4 प्रतिशत) कर दिया
- इसने 2021 की शुरुआत में राजकोषीय वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का भी अनुमान लगाया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं –

- रिपोर्ट के अनुसार, जीडीपी की वृद्धि दर 2020 में 2.5 प्रतिशत संभव है, लेकिन व्यापार तनाव, वित्तीय उथल–पुथल या भू–राजनीतिक तनावों का भड़कना इत्यादि इसे पटरी से उतार सकती है। वैश्विक स्तर पर, 2020 में वैश्विक विकास दर घटकर महज 1.8 फीसदी रह जाएगी।
- संयुक्त राज्य में जीडीपी की वृद्धि के 2019 में 2.2 प्रतिशत से घटकर 2020 में 1.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- यूरोपीय संघ में, वैश्विक अनिश्चितता से विनिर्माण की ओर वापसी होगी, लेकिन यह निजी खपत में लगातार वृद्धि से आंशिक रूप से सफल होगा, जिससे 2019 में जीडीपी विकास दर में 1.4 प्रतिशत से मामूली वृद्धि होगी एवं 2020 में 1.6 प्रतिशत हो जाएगी।
- ब्राजील, भारत, मैक्सिको, रूसी संघ एवं तुर्की सहित अन्य बड़े उभरते देशों में विकास 2020 में कुछ गति हासिल करने की उम्मीद है।
- चीन में, जीडीपी वृद्धि 2019 में धीरे–धीरे 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 6.0 प्रतिशत एवं 2021 में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों द्वारा समर्थित है।
- महत्वपूर्ण समस्याओं के बावजूद, पूर्वी एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र बना हुआ है एवं वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- प्रति पांच में से एक देश 2020 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को देखेगा, लेकिन भारत को उन देशों में सूचीबद्ध किया गया है जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास दर 2020 में 4 प्रतिशत के स्तर से अधिक हो सकती है।

प्रभाव –

- ये जोखिम, विकास की संभावनाओं पर गंभीर एवं लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- वे वैश्विक सहयोग के सर्वोपरि होने पर एक बिंदु पर केंद्रित नीतियों को और बढ़ावा देने के लिए खतरा हैं।
- वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक कमजोरी सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण असफलताओं का कारण बन सकती है, जिसमें गरीबी उन्मूलन एवं सभी के लिए अच्छे रोजगार पैदा करने के लक्ष्य शामिल हैं।
- जलवायु संकट, लगातार उच्च असमानताएं, एवं खाद्य असुरक्षा एवं अल्पपोषण के बढ़ते स्तर कई समाजों में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते रहेंगे।
- ऊर्जा संक्रमण की तात्कालिकता को कम करके आंका जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तेल एवं गैस की खोज एवं कोयला आधारित बिजली उत्पादन में निवेश का विस्तार करने जैसे अल्पकालिक निर्णय लिए गए हैं। इससे न केवल कई निवेशकों एवं सरकारों को अचानक नुकसान का सामना करना पड़ता है, बल्कि पर्यावरण के लक्ष्यों को भी काफी नुकसान होता है।
- अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कई उप–सहारा अफ्रीकी देशों एवं लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन एवं पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में बढ़ी है।
- अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी के हिस्से में पिछले कुछ दशकों में लगातार गिरावट आई है एवं काफी हद तक चीन एवं भारत में सफल अनुभवों के कारण।

आगे की राह –

- जैसा कि वैश्विक आर्थिक संतुलन यूरोपीय संघ, अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों से चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों में बदल रहा है, वैश्विक आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति भी बदल रही है।
- वैश्विक सहयोग तंत्र को अंडर शिफ्ट होने की अनुमति देने के लिए जारी रखने के दौरान इस स्थानांतरण संतुलन को पहचानने की आवश्यकता होगी।
- गरीबी में कमी की दिशा में निरंतर प्रगति के लिए उत्पादकता वृद्धि एवं फर्म प्रतिबद्धताओं दोनों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देना होगा ताकि उच्च स्तर की असमानता से निपटा जा सके।
- नीति निर्माताओं को केवल जीडीपी विकास को बढ़ावा देने पर एक संकीर्ण ध्यान केंद्रित से आगे बढ़ना चाहिए, एवं इसके बजाय समाज के सभी हिस्सों में अच्छी तरह से वृद्धि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास परियोजनाओं में निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक नीति पर अधिक निर्भरता केवल विकास को पुनर्जीवित करने के लिए अपर्याप्त नहीं है, यह वित्तीय स्थिरता जोखिमों के निष्पादन सहित महत्वपूर्ण लागतों को भी पूरा करती है।
- अधिक संतुलित नीति मिश्रण की आवश्यकता है, जो कि अधिक सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता एवं पर्यावरणीय रूप से स्थायी उत्पादन की एवं बढ़ते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
- समावेशी विकास की कमी के बीच असंतोष बढ़ रहा है, परिवर्तन के लिए कॉल दुनिया भर में व्यापक हैं। नीतिगत उपायों के वितरण एवं पर्यावरणीय निहितार्थों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- एक स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण के संक्रमण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो न केवल पर्यावरण एवं स्वास्थ्य लाभ, बल्कि कई देशों के लिए आर्थिक अवसर लाएगा।

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in